वर्ष : 7, अंक : 31-32 (संयुक्तांक)

जुलाई-दिसम्बर 2024

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

"हिंदी हैं हम"

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
निजभाषोन्नति राष्ट्रोन्नति

विशेष :
भारतीय भाषा दिवस

‘भारतीय भाषा दिवस’ के उपलक्ष्य में
‘भारतीय भाषा उत्सव’ आयोजन के कुछ चित्र

वर्ष : 7, अंक : 31-32 (संयुक्तांक)

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

मूल्य : 30 रुपये

सम्पादक

सुधाकर बाबू पाठक

प्रबन्ध सम्पादक : **विजय कुमार शर्मा**

परामर्श सम्पादक : **सुरेखा शर्मा**

संयुक्त सम्पादक : **राजकुमार श्रेष्ठ**

सह सम्पादक : **सागर समीप**

उप सम्पादक : **सरोज शर्मा**

: **सुषमा भण्डारी**

: **डॉ. सोनिया अरोड़ा**

: **शशि प्रकाश पाठक**

सम्पादकीय सलाहकार : **डॉ. वनीता शर्मा**

: **गरिमा संजय**

: **विनोद पाराशर**

वित्तीय सलाहकार : **राम सिंह मेहता**

कार्यालय :

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034

ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा।

सम्पादन एवं संचालन पूर्णत: अवैतनिक और अव्यावसायिक है।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित।

विषय सूची

सम्पादकीय : 04
भारतीय भाषा उत्सव : बच्चों में मातृभाषा के साथ संस्कारों का हस्तांतरण

रिपोर्ट : 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' आयोजन सम्पन्न 06

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' का आयोजन के चित्र 08

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में मनाए गए 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' के चित्र 09-10

रिपोर्ट : दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव : कलरव-2024 का भव्य आयोजन सम्पन्न 11

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव : कलरव-2024 भव्य आयोजन के चित्र 12

भाषा, समाज और सामर्थ्य का भारतीय परिदृश्य -गिरीश्वर मिश्र 13

भारत की भाषिक विविधता और हिन्दी का वर्तमान परिदृश्य -विरेन्द्र परमार 17

चैटबॉट में हिन्दी का प्रयोग -विजय प्रभाकर 'नगरकर' 20

हिन्दी का रोमनीकरण : एक खतरा -संतोष बंसल 22

नई शिक्षा नीति एवं हिन्दी भाषा: संस्तुतियाँ एवं अवसर -पुष्पा शर्मा 24

भारतीय भाषाएँ एवं भाषिक प्रौद्योगिकी -प्रो. महावीर सरन जैन 26

प्रौद्योगिकीकरण के दौर में बदलती हिन्दी भाषा की तकनीक -डॉ. मनोज कुमार 27

दो पाठ्यक्रम के विचारणीय प्रश्न -प्रेमलता शर्मा 29

हिन्दी और लुप्त होती भारतीय भाषाएँ -सोनी गुप्ता 31

रिपोर्ट :
राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता-2024' का आयोजन सम्पन्न -विनोद पाराशर 32

राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता-2024' के चित्र 33

दिल्ली प्रदेश के शिक्षकों के लिए आयोजित राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता' में प्रथम स्थान प्राप्त भाषण -सुश्री चन्द्रावती 34

राजभाषा हिन्दी देश में उपेक्षित विदेश में सुपरहिट -सुनील बादल 35

ब्रजभाषा का भौगोलिक परिदृश्य और उसका स्वरूप -डॉ. दिग्विजय शर्मा 36

राष्ट्रभाषा : मनन-मंथन-मंतव्य -संजय भारद्वाज 41

माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाएँ सम्मिलित करने के कारण और औचित्य -रेणु शर्मा 44

स्थानीय भाषाओं का अस्मिताबोध और हिन्दी -उमेश चतुर्वेदी 48

सम्पादकीय

भारतीय भाषा उत्सव : बच्चों में मातृभाषा के साथ संस्कारों का हस्तांतरण

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

भारत एक बहुभाषी देश है, या कुछ यूँ कहें कि भारत भाषाओं की सुंदर फुलवारी है । यहाँ 123 आधिकारिक भाषाएँ बोली जाती हैं । सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ 1600 से अधिक उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं । प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, व्याकरण, शब्द भण्डार और संरचना होती है, उसकी अपनी विशेष प्रकृति है । इसी तरह बोली की अपनी भिन्न मिठास है । भाषाओं के व्युत्पत्ति का इतिहास और विकास क्रम के साथ-साथ हर भाषा का अपना एक प्रभुत्व क्षेत्र है । प्रत्येक भाषा की अपनी समृद्ध साहित्य परम्परा और सांस्कृतिक विरासत है ।

मानव सभ्यता के इतिहास में भाषाओं का जीवित होना एक सामान्य घटना नहीं है । भाषाओं का निर्माण कारखानों में नहीं होता और न ही भाषाएँ पुस्तकों की मोहताज होतीं हैं । अभी भी कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है, किन्तु उस समाज में प्रचलित हैं । एक भाषा के निर्माण में सदियाँ लग जाती हैं । कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, बनते-बिगड़ते हुए, संशोधित होते हुए, अनेक लोगों द्वारा प्रयुक्त होते हुए, समाज की जीवन शैली में घुलते-मिलते हुए, एक लम्बे अंतराल के बाद किसी भाषा को अपना एक मानक स्वरूप प्राप्त होता है । हमारे आसपास जितनी भी भाषाएँ इस समय प्रचलित हैं, उनके मानकीकरण के पीछे भी कई सदियों का अथक श्रम और निरंतर अभ्यास छिपा हुआ है ।

भाषा मनुष्य की सर्वोत्तम खोज है । भाषा मनुष्य की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है । भाषा समाज को अपने साथ लिए चलती है । समाज की जीवंतता भाषा के अस्तित्व पर टिकी होती है । समाज अनेक विचारों का संगठन है । विचारों के सम्प्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है । विचारों का सम्बन्ध हर उस तत्व के साथ है जो समाज को प्रभावित करता है । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक और बौद्धिक तत्व ही समाज की गतिविधियों और योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं । इन सभी तत्वों के बीच आपसी सम्बन्ध स्थापित करने, नीतियों के निर्माण करने और उसके प्रचार-प्रसार और स्थायित्व के लिए भाषा की भूमिका अतुलनीय है ।

भाषा हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है । भाषा ही हमारे आनुवांशिक संरचना (जेनेटिक कम्पोजिसन) का आधार होती है । हमारे मस्तिष्क में जिस भाषा में सूचनाएँ कोडिंग होती हैं, वो हमारी मातृभाषा में होती है । मातृभाषा ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है । हमारी आनुवांशिक संरचना ने हमें इस तरह से तैयार किया होता है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपनी मिट्टी को लेकर भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़े होते हैं । सूचना और तकनीक के इस युग में आज हम राष्ट्रवाद को लेकर जितने मुखर हैं, उसके पीछे भी भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । भाषा ही हमें समग्र राष्ट्र से जोड़ती है । कोई राष्ट्र भौगोलिक सीमाएँ तक ही सीमित नहीं होता । राष्ट्र के भीतर बहने वाली नदियाँ, झरने, पहाड़, हिमालय, वनस्पतियाँ, वन, जीव-जन्तु से लेकर धर्म, जाति, आस्था, विश्वास, पर्व, त्योहार, उत्सव, संस्कृति, स्थापात्य, कला-कृतियाँ, मठ-मन्दिर, भवन, संग्रहालय, पुस्तकालय, साहित्य, कला, भाषा, शिक्षा आदि अवयवों का समष्टिगत रूप राष्ट्र है । राष्ट्र के समुन्नत विकास और उसकी सार्वभौमिक अस्मिता को अक्षुण्ण रखने में भाषा ही नागरिकों के बीच परस्पर सामाजिक सौहार्द, भातृत्व, देशप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करती है ।

भाषा हमें गढ़ती है और संस्कारों से जोड़ती है । संस्कार के रूप में प्राप्त नैतिक मूल्य ही हमारी सोच, विचारधारा और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं । किसी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कार से होती है । हमारे संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है । भूमंडलीकरण और औद्योगिक क्रान्ति के इस युग में बच्चों को भारतीय ज्ञान, परंपरा, भाषा, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना आवश्यक है । भाषाएँ हमारी सृजनशीलता, रचनात्मकता और मौलिकता की द्योतक हैं, तो संस्कार लोक व्यावहार का अंग है, जो समाज में व्यक्ति को संयमित, संतुलित और सम्यक रूप से जीवन निर्वाह करने के गुण सिखाता है । बच्चे देश के कर्णधार होते हैं । देश का भविष्य बच्चों के नन्हें हाथों में अंकुरित होता है । आने वाले समय में देश की स्थिति कैसी होगी ? देश की शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, सुरक्षा संसाधन, स्वास्थ्य सेवा जैसे विकास और निर्माण कार्यो की दशा और दिशा क्या होगी ? यह सभी बातें बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार पर निर्भर करती है । एक समृद्धशाली देश के निर्माण में बच्चों का संस्कारित होना अत्यावश्यक है । एक गौरवशाली और सशक्त देश की परिकल्पना में बचपन की अवहेलना नहीं की जा सकती । बचपन बहुत जल्दी बीत जाता है, किन्तु यह वो अमूल्य समय होता है जहाँ बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है । बचपन आने वाले कल का द्वार खोलता है । बचपन में जो संस्कार बच्चा प्राप्त करता है, वही उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । इस आयु वर्ग के बच्चों में ग्रहण करने और सीखने की असाधारण क्षमता होती है । अच्छे संस्कार में पला-बढ़ा बच्चा जीवन के विषम परिस्थितियों में भी सत्मार्ग और न्याय को ही चुनता है । भौतिक सुविधाओं को भोगने की लालसा से परे वो समाजोत्थान और देशभक्ति को समर्पित होता है ।

भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम हमें अंग्रेजी मानसिकता से बाहर आना होगा । अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और सूचनाओं के संग्रहण के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, किन्तु इसे जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाना चाहिए । अंग्रेजी को लोकाचार और पत्र-व्यवहार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देती है। विश्व के सभी शिक्षाविदों और भाषाविदों के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा देना शिक्षा का सबसे सुलभ और प्राकृतिक माध्यम है । मनुष्य की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और मौलिकता उसकी मातृभाषा में प्रतिबिम्बित होती है । मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक चेतना और उन्नति का आधार होती है । हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और यही भाव आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहिए। जब हम मातृभाषा के लिए समर्पित होकर काम करेंगे तभी देश का उत्थान होगा। वर्तमान समय में देश में जिस तरह का सामाजिक और आर्थिक वातावरण पनप रहा है, वहाँ बच्चे मातृभाषाओं से दूर हो रहे हैं और युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से विमुख हो रही है । उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मातृभाषाओं में रोजगार का आभाव होना । भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उन्नयन के लिए भारतीय भाषाओं को विज्ञान और तकनीकि शिक्षा से जोड़ना होगा । प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी, चिकित्सकीय और सभी अनुसंधान और शोध संस्थानों में मातृभाषा को बढ़ावा देना होगा । जब हम अपनी भाषा में गणित और विज्ञान की पढ़ाई करेंगे, शासन-प्रशासन की भाषा के रूप में मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे और अपने जीवन में मातृभाषा को अपनाएंगे, तो भाषाओं का विकास स्वत होगा । आने वाले समय में उन्हीं देशों की भाषाएँ बची रहेंगी जो आर्थिक रूप से सम्पन्न और सूचना एवं प्राविधिक रूप से उन्नत होंगे। भविष्य की इन्हीं संभावनाओं को रेखांकित करते हुए हमें अपने देश को विश्व के श्रेष्ठतम स्थान पर पहुँचाने के लिए भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा ।

वर्ष 2022 में भारतीय भाषाओं के महत्त्व को समझते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया और उत्तर-दक्षिण के सेतु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की जयंती (11 दिसम्बर) को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की । भारतीय भाषा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर अनेक भाषा-भाषी समुदायों के बीच परस्पर भाषाई सौहार्द को विकसित करना और छात्रों को अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए सहज वातावरण तैयार करना है । भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा घोषित 'भारतीय भाषा दिवस' का यह तीसरा संस्करण है। पिछले वर्ष तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 'भारतीय भाषा उत्सव' का भव्य आयोजन किया गया था, जहाँ लगभग दस हजार लोगों की उपस्थिति थी । इस विहंगम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति माननीय राम नाथ कोविन्द जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री माननीया श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की गरिमामयी उपस्थिति थी।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी पिछले आठ वर्षों से बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है । इस सम्मान समारोह में भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत प्रतिशत (100%) अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' एवं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया जाता है । अकादमी के इस महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करना है । प्रत्येक आयोजन में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है ।

राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ाने तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उदेश्य से 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली' के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, दिल्ली में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम में डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, प्रमुख अतिथि कर्नल आकाश पाटिल, अध्यक्ष, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉ. अजित कुमार, निदेशक, राजभाषा अनुभाग, डॉ. राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, अनिल जोशी, जीत राम भट्ट की गरिमामयी उपस्थिति में इस वर्ष 309 विद्यालयों के 7152 मेधावी छात्रों को 'भाषादूत सम्मान', 307 छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' तथा 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 853 शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया गया ।

इन सम्मान समारोहों ने शैक्षिक, साहित्यिक एवं अकादमिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है । अपनी मातृभाषा को लेकर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है । इस तरह के आयोजन से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का मनोबल बढ़ता है। वहीं भव्य समारोह में सम्मानित होकर छात्र एवं शिक्षक अपनी भाषा के प्रति गौरवान्वित होते हैं ।

आइए, एक जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक होने के नाते हम बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने के साथ-साथ बच्चों में संस्कारों का हस्तांतरण करने का प्रण लें । इति शुभम् ।

-सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

रिपोर्ट

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' का आयोजन सम्पन्न हुआ

राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ाने तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली' के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, दिल्ली में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ । दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, प्रमुख अतिथि, कर्नल आकाश पाटिल, निदेशक, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉ. अजित कुमार, निदेशक, राजभाषा अनुभाग, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति थी । मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं भारतीय भाषा उत्सव-2024 की स्मारिका के लोकार्पण के बाद सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया ।

अपने स्वागत वक्तव्य में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि आप सभी लोग मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह के इस आठवें संस्करण के साक्षी हैं । पिछले वर्ष इस सम्मान समारोह का सातवाँ संस्करण तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में भव्य रूप में आयोजित किया गया था, जहाँ 10000 लोगों की उपस्थिति थी । पहली बार जब इस सम्मान समारोह को आयोजित किया गया था, तब केवल 25 विद्यालयों के 225 छात्रों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया था । आज इस सभागार में 309 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं के 853 भाषा शिक्षकों और 7152 मेधावी छात्रों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) सम्मानित किया जा रहा है । प्रशासन की ओर से व्यवस्था की दृष्टि से हमें सभी छात्रों को बुलाने की अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए केवल शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 307 मेधावी छात्रों को ही मंच पर 'भाषा रत्न सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा । उन्होंने सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से अपील भी की कि वे अपने विद्यालयों में भी भारतीय भाषा दिवस को मनाए और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए उन्हें और सभी भाषा शिक्षकों को विधिवत रूप से विद्यालय स्तर पर सम्मानित करें । भाषा की पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में 7000 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं । भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 3 महीने में एक भाषा मर रही है और इस सदी के अंत तक केवल 200 भाषाएँ ही बची रहेगी । भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है । भाषाओं को बचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर होती है । कई बार हमसे पूछा जाता है कि आप यह सम्मान समारोह किस लिए करते हो ? इससे क्या हो जाएगा ? विद्यालयों में भाषा शिक्षकों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है । भाषाओं को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, किन्तु अन्य विषयों के शिक्षकों की तुलना में भाषा शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वे हकदार हैं । कई बार उनकी नौकरी पर बात आती है । इस सम्मान समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य ही भारतीय भाषाओं के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना है और बच्चों को भाषाओं से जोड़ना है ।

राजकुमार श्रेष्ठ

प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर केवल एक कन्वेंशन सेंटर ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए कठोर और प्रमाणिक अनुसन्धान करने का एक चार्टर है । जब हमें पता चला कि 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 309 विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि एक सहयोगी संस्था के रूप में हम भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आपका मार्गदर्शन लेंगे । उन्होंने आगे कहा कि भीम ऑडिटोरियम को एक वर्ष में इतना भरा हुआ कभी नहीं देखा । भारतीय भाषा दिवस पर आप सभी से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है ।

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी ने भारतीय भाषाओं, लोकभाषाओं, बोलियों, बोलियों के भाषा बनने की प्रक्रिया, भाषाओं के आपसी समन्वय, वैश्विक भाषाओं के साथ आदान-प्रदान तथा भाषाओं के विलुप्तिकरण पर अपनी बात रखी । भाषा की भूमिका पर उन्होंने कहा कि भाषा एक समष्टि प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है । आदमी से आदमी को जोड़ने की प्रक्रिया है । भाषा का जन्म ही संवाद की इच्छा से होता है । यदि आदमी अकेला ही रहा होता तो ना उसे भाषा की जरूरत थी, ना ही संस्कृति की

जरूरत थी। भाषा की जरूरत इसलिए है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है; बिना संवाद के वो रह नहीं सकता।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो हमको अन्य प्राणियों से अलग करता है। हम सब यह भी जानते हैं कि बहुत से अन्य प्राणी भी वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं, किन्तु हमारे पास भाषा है इसलिए हम उन प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। जब भारत सरकार ने राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह निर्णय लिया कि हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाएँगे तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह सारा काम हमने इतने समय बाद क्यों किया ? बहुत सारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार हम कई वर्षों तक औपनिवेशिक मानसिकता को ही ढोते रहे हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए और औपनिवेशिक मानसकिता से मुक्ति पा लेनी चाहिए, तब हमने भारतीय भाषा दिवस मनाना प्रारम्भ किया। यह भारत के लिए ही नहीं समूचे विश्व के लिए गर्व की बात है कि भारत जैसा देश, जहाँ पर सबसे ज्यादा भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं, वहाँ भाषा का इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। आप सबको यह भी जानके प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष जो आयोजन हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 10000 विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे, संभवत: भारतीय भाषा दिवस का वह पूरे देश में सबसे बड़ा आयोजन था और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। हम इस आयोजन को राष्ट्रीय आयोजन इसलिए भी कहते हैं, कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ अलग-अलग भाषाओं के लोग आकर बसते हैं। दिल्ली में केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के ही नहीं तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उर्दू सभी माध्यमों के विद्यालय है। दिल्ली में हम ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर वह भारतीय भाषा का राष्ट्रीय कार्यक्रम की श्रेणी होता है।

मंचासीन अतिथियों में डॉ. अजित कुमार, अनिल जोशी, डॉ. जीत राम भट्ट, दिनेश गौतम, सलाहकार संपादक, टाइम्स नाउ, नवभारत ने भी भाषाओं को लेकर अपने-अपने मंतव्य दिए। समारोह के दूसरे सत्र में अतिथियों द्वारा 309 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 853 शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से तथा 307 छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' से सम्मानित किया गया। 7152 मेधावी छात्रों के 'भाषादूत सम्मान-पत्र' का फोल्डर उनके उपस्थित शिक्षकों को हस्तांतरित किया गया। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में कमलेश कमल, राजेन्द्र कलकल, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. तूलिका सेठ, डॉ. भावना तिवारी, डॉ. कविता मल्होत्रा, सविता भाटिया, संगीता राय, रणजीता सिंह, किशोर श्रीवास्तव, सुखवर्षा पाठक, अंकित देव अर्पण आदि की उपस्थिति थी।

कार्यक्रम का संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की साहित्यिक सलाहकार श्रीमती गरिमा संजय ने किया और संचालन में उनका साथ अकादमी के वरिष्ठ पदाधिकारी विनोद पाराशर ने दिया। सम्मान समारोह के सुचारू ढंग से चल पाने में मुख्य भूमिका अकादमी के संयुक्त संपादक राजकुमार श्रेष्ठ की रही, जिन्होंने इतने बड़े और लंबे समय तक चलने वाले आयोजन की गति को मध्यम नहीं होने दिया और उनकी सहयोगी के रूप में सुश्री राज वर्मा ने विशेष योगदान दिया। आयोजन के प्रबंधन में अकादमी की पत्रिका के उप संपादक एवं शोधार्थी शशि प्रकाश पाठक, शोधार्थी आशीष तिवारी सहित उनके साथियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के वरिष्ठ सदस्य श्री विजय कुमार शर्मा, डॉ. वनिता शर्मा, सुषमा भंडारी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम के अंत में श्री सुधाकर पाठक ने आयोजन में सहयोग देने के लिए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

-राजकुमार श्रेष्ठ

‘भारतीय भाषा दिवस’ के अवसर पर ‘भारतीय भाषा उत्सव-2024’ आयोजन के चित्र

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में मनाए गए 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' के चित्र

रामजस स्कूल, पूसा रोड, दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया।
प्रधानाचार्या द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

राजा रवि वर्मा सर्वोदय कन्या विद्यालय, बी-ब्लॉक, नन्द नगरी, दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया।
प्रधानाचार्या द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया

सेंट ग्रिगोरियस स्कूल, द्वारका सेक्टर-11 में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया।
प्रधानाचार्य द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में मनाए गए 'भारतीय भाषा उत्सव-2024' के चित्र

एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल, सुब्रोतो पार्क, दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्या द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया

यूनिवर्सल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महावीर एन्क्लेव, दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया

राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लिबासपुर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरुग्राम में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्या द्वारा मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

रिपोर्ट

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव : कलरव-2024 का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में दो दिवसीय 'बाल नाट्य उत्सव: कलरव-2024' का भव्य आयोजन 14-15 अक्टूबर को मंडी हाउस, दिल्ली में स्थित लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) सभागार में सम्पन्न हुआ। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक एवं हिन्दी अकादमी के सचिव श्री संजय कुमार गर्ग ने दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

स्वागत वक्तव्य देते हुए श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के रंगमंच में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए हम एक महत्त्वपूर्ण योजना पर काम करना चाहते थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कला को अवसर प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को सकारात्मक मार्गदर्शन देना है। जब इस प्रस्ताव को लेकर हम हिन्दी अकादमी में गए, तो सचिव महोदय ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन से निश्चय ही बच्चों में छुपी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इतने बड़े स्तर पर इस भव्य आयोजन में सहयोग देने के लिए उन्होंने हिन्दी अकादमी का आभार भी व्यक्त किया।

योजना के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों से प्राप्त कुल प्रविष्टियों में से एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से 30 विद्यालयों के नाट्य मंडली को चयनित किया गया था। खचाखच भरे सभागार में उपस्थित नाट्य मंडली के छात्रों और शिक्षकों का उत्साह देखते ही बनता था। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, दहेज-प्रथा, प्रतिस्पर्धा के युग में छात्रों में अच्छे अंक लाने का मानसिक दबाव, शिक्षा का व्यवसायीकरण, समाज में फैले अंधविश्वास, गिरते नैतिक मूल्य, बच्चों में सोशल मीडिया के दुष्परिणाम, शिक्षा के क्षेत्र में किन्नर समाज की उपस्थिति, वृद्धाश्रम, यौन रोग, विवाह और जन्मदिन जैसे आयोजन में होने वाले भोजन की बर्बादी आदि जैसे विषयों पर बच्चों की प्रस्तुतियों ने सब को बाँधे रखा। किसी मंझे हुए कलाकार की भांति छात्रों के अभिनय कौशल ने वास्तव में इस उत्सव में चार चाँद लगाने का काम किया।

दो दिवसीय नाट्य उत्सव के पहले दिन 15 नाटकों का मंचन किय गया और उसके बाद सायं 6 बजे से श्रीमती सुनीता अग्रवाल द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक 'आठवाँ सुर और उस पर 10 वीं ताल भाग-2' का मंचन हुआ। हिन्दी अकादमी एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा सुनीता अगवाल के नाटक मंडली को अंगवस्त्र और पुस्तक सेट भेंट करके सम्मानित किया गया। नाट्य उत्सव के दूसरे दिन शेष 15 नाटकों का भी दीप प्रज्ज्वलन के बाद विधिवत रूप से मंचन किया गया। 30 नाटकों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने जिस अंदाज में दर्शकों का दिल जीता, वहीं यह निर्णायक मंडल के लिए चुनौतीपूर्ण रही। निर्णायक मंडल के रूप में लम्बे समय से रंगमंच से जुड़े श्री अजय मनचंदा, श्री किशोर श्रीवास्तव और श्रीमती सुनीता अग्रवाल की उपस्थिति थी।

गरिमा संजय

प्रूडेंस पब्लिक स्कूल, द्वारका की प्रस्तुति 'जामुन का पेड़' को प्रथम स्थान, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सैकंडरी स्कूल, शाहदरा की प्रस्तुति 'पुरानी चिट्ठी' को द्वितीय स्थान, कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार की प्रस्तुति 'व्यथा' को तृतीय स्थान, तथा राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजोकरी की प्रस्तुति 'कुमार स्वामी' और साईं मेमोरियल स्कूल, गीता कॉलोनी की प्रस्तुति 'आई गिरी नंदिनी' को प्रोत्साहन स्थान प्राप्त हुआ। हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी के हाथों से सभी विजताओं को सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दो प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में क्रमश: 11000/-, 7500/-, 5100/-, 2500/-, 2500/- की पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र भेंट की गई। इसके साथ ही सभी 30 टीमों को प्रमाण-पत्र और परिवहन व्यय के रूप में 3000/- रुपए विद्यालयों के बैंक खातों में भेजे गए। पुरस्कार वितरण के अवसर पर श्री सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन की अवधि दो दिन से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें अधिक विद्यालयों की नाट्य मंडलियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

पुरस्कार वितरण के बाद सायं युवा कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस कवि सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों एवं शोधार्थियों की सहभागिता थी। युवा कवि सम्मेलन का संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के सम्पादकीय सलाहकार एवं वरिष्ठ कवि श्री विनोद पाराशर ने किया। मंचासीन अतिथियों के रूप में श्री किशोर श्रीवास्तव और डॉ. तुलिका सेठ की उपस्थिति थी। कार्यक्रम के समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को अंगवस्त्र और प्रमाण-पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया।

दो दिवसीय नाट्य उत्सव कार्यक्रम का संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की सम्पादकीय सलाहकार डॉ. वनिता शर्मा ने किया। आयोजन की परिकल्पना, व्यवस्थापन और प्रबंधन में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त सम्पादक श्री राजकुमार श्रेष्ठ की मुख्य भूमिका रही। इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के वरिष्ठ पदाधिकारियों आ. विजय शर्मा, श्रीमती सुरेखा शर्मा और श्रीमती सरोज शर्मा तथा हिन्दी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा, सह सचिव श्री जगदीश शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा की विशेष उपस्थिति थी।

-गरिमा संजय

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव : कलरव-2024 भव्य आयोजन के चित्र

भाषा, समाज और सामर्थ्य का भारतीय परिदृश्य

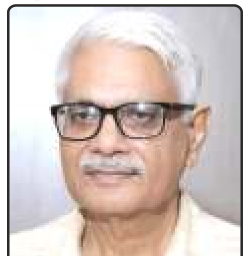
गिरीश्वर मिश्र

हमारे जीवन में भाषा कुछ इस तरह और इतनी गहरी पैठी हुई है कि आमतौर पर हमें उसकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगता, कुछ वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी से सारी दुनिया को जीवन शक्ति मिलती है। पर सूरज प्रकृति का स्वाभाविक हिस्सा है, पूरी तरह से नैसर्गिक, जबकि भाषा मनुष्य की रचना, एक ऐसी कृति जो उसके आविष्कार और अभ्यास पर टिकी होती है, पर है सूरज की ही तरह शक्तिशाली। दुनिया क्या है और उस दुनिया में हम क्या कुछ करते हैं या कर सकते हैं यह सब बहुत हद तक भाषा का चमत्कार लगता है। भाषा के लेंस के सहारे ही हम दुनिया को देखते-समझते है, वस्तुओं को पहचानते हैं। भाषा से ही खुद को पहचानते हैं और दूसरों को पहचनवाते हैं, आपस में संवाद करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं, सूचना और ज्ञान को संजोते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भाषा हमारे अस्तित्व का प्रमाण बन जाती है। उसकी शक्ति से ही हम जीवंत होते हैं।

सच कहें तो भाषा के तिलस्म का विस्तार अछोर और गहराई अथाह होती है। एक सतत् सर्जनशील उपक्रम होने के कारण भाषा का तिलस्म कभी कम होने वाला नहीं है। भाषा में प्रयोग भी होते हैं और वह अपनी शक्ति का स्वयं अतिक्रमण करती रहती है। उसकी रचनाशीलता जीवन में ताजगी बनाए रखती है। भाषा से क्या कुछ नहीं होता । पर भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती, उसका अपना भी निजी वजूद होता है यानी भाषिक कर्म की अपनी सत्ता भी होती है। उसका सौष्ठव और सौंदर्य साहित्य में ही नहीं हमारे आचरण का भी एक ख़ास हिस्सा होता है। कब, क्या और कैसे बोलें इसका भी सामाजिक रूप से स्वीकृत व्याकरण होता है और इसके सामाजिक मानक हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन को सहज या मुश्किल बनाते रहते हैं।

सभ्य समाज में भाषा की एक बनी-बनाई दुनिया बच्चे को तैयार मिलती है। उसके परिवार में प्रयुक्त भाषा के प्रवाह के बीच वह अपना जीवन शुरू करता है। ध्वनियाँ उसके कानों में गूंजती रहती है और अपने परिचय का दायरा बनाती रहती हैं। परिचित होता हुआ बच्चा इन ध्वनियों का स्वाद पाता रहता है। उच्चारण के यंत्र के परिपक्व होने के साथ वह शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। सभ्य समाज का सदस्य बनाने में भाषा का बड़ा हाथ होता है। बिना किसी स्कूल गए अपनी मातृभाषा की आधारभूत प्रयोगशीलता बच्चे को स्वत: खेलते-कूदते हुए मिल जाती है। भाषा-प्रयोग की शक्ति नैसर्गिक या प्राकृतिक होती है और परिवार के अनौपचारिक परिवेश में उसका उद्घाटन और विकास होता रहता है। स्कूल का औपचारिक परिवेश इस योग्यता का उपयोग करते हुए शिक्षा में आगे बढ़ने के कार्य को सुगम कर सकता है। यदि मातृभाषा ही स्कूल की भाषा रहे तो स्कूल का आकर्षण और ज्ञानार्जन का काम सभीते से होगा। दूसरी ओर मातृभाषा को ख़ारिज कर दूसरी भाषा को माध्यम बनाएँ तो सीखने का काम मुश्किल हो जाता है। बच्चे के लिए यह काम भी करना होता है कि कब किस भाषा का (स्कूली भाषा या मातृभाषा?) का उपयोग किया जाय। बच्चे के ज्ञानार्जन का क्रम इस पर भी निर्भर करेगा कि उन दोनों भाषाओं का पारस्परिक रिश्ता कैसा है। भाषा प्रयोग की महारत भी इससे प्रभावित होती है। बच्चों में भाषा ग्रहण करने की तत्पारता होती है इसलिए समर्थन मिलने पर वे इस जटिलता को सँभाल लेते हैं पर ज्यादातर बच्चों में दुविधा बनी रहती है। ख़ासतौर पर यदि कोई एक भाषा सामाजिक आभिजात्य से जुड़ जाए।

भारत में स्कूली भाषा के रूप में अंग्रेजी को तरजीह देने की प्रवृत्ति जारी है और मातृभाषा को दोयम दर्जा देने का चलन घर कर गया है। इससे भाषा-प्रयोग की शक्ति और ज्ञानार्जन की प्रगति दोनों प्रभावित हो रही है। साथ ही भाषा में संस्कृति गुँथी होती है भाषाई संस्कार को दुर्बल बनाते हुए सांस्कृतिक अपरिचय या भ्रम को भी बल मिलता है। कोई बच्चा बहुत सारी चीजें मातृभाषा में जानता है परंतु अंग्रेजी में उन चीजों के नाम को नहीं जानता है। ऐसे में अंग्रेजी के निकर्ष पर (ज्ञान होने पर भी !) वह अज्ञानी ही कहा जाता है। ऐसी दुविधाएँ बच्चों के आत्मविश्वास को खंडित करती हैं और अपनी संस्कृति से दूरी भी बढ़ाती हैं। व्यक्तित्व की रचना और अभिव्यक्ति की शक्ति को भी ये क्षीण करती हैं। देश की नई शिक्षा नीति में स्कूली स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है परंतु जमीनी हालात में परिवर्तन नहीं आ रहा है। देश के विकास और भावी भारत की सामर्थ्य को सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जगत के लिए मातृभाषा के उपयोग पर गम्भीरता से लेना होगा। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए शिक्षा ही एक मात्र उपाय है । शिक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए भाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भारत का भाषाई संसार वैविध्यपूर्ण और समृद्ध है इसका लाभ उठाना आवश्यक है। इस सत्य की उपेक्षा

कर भाषाई उपनिवेश को बढ़ावा देने पर मानसिक गुलामी ही बढ़ेगी ।

शिक्षा देश के सर्वतोंमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक निवेश है। शिक्षा देने के उपायों में भाषा का उपयोग सर्वविदित है, क्योंकि ज्ञान प्राय: भाषा में ही निबद्ध होता है और उसके समुचित सहयोग लिए बिना शिक्षा की प्रगति प्रतिबंधित ही रहेगी। भाषा समाज की विरासत और सम्पदा होती है जिसमें जीवन के सहज स्वर गूंजते हैं। यदि शिक्षा का आयोजन समाज की अपनी भाषा न हो कर कोई पराई भाषा हो, ज्ञान पाने का काम दुहरी तिहरी कठिनाई वाला हो जाता है। उस अतिरिक्त भाषा को अपनाना एक अतिरिक्त काम हो जाता है जो समाज की मूल भाषा में व्यवधान भी डालता है और ज्ञान अर्जित करने के काम को अधिक कठिन बना देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के प्रश्न पर विचार करते हुए हमारा ध्यान भारत की भाषाई विविधता पर जाता है जो देश की एक प्रमुख सामाजिक विशेषता है। यहाँ पर हजार से ज्यादा भाषाएँ हैं जो विश्व के अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन भाषाओं का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और इनके प्रयोग करने वालों की संख्या में बड़ी विविधता है। यदि प्रमुख भाषाओं की बात करें तो आज की स्थिति यह है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अंकित किया गया है जो प्रमुखता से आज प्रयोग में आ रही हैं। हिन्दी को वैधानिक राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और अंग्रेजी सह राजभाषा है।

उच्च शिक्षा का वर्तमान स्वरूप अंग्रेजी राज में औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ था और किसी भारतीय भाषा की जगह विदेश की अंग्रेजी भाषा को उसके संचालन के लिए एक मात्र माध्यम के रूप में स्थापित किया गया। यह अंग्रेजी राज की सुविधा के लिए और उसकी साम्राज्यवादी सोच के अनुसार था। पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए भारत में उसके प्रसार के लिए अंग्रेजी बड़ी मुफीद साबित हुई। इस तरह भाषा और ज्ञान के विषय दोनों का ही आयात किया गया और यहाँ की उच्च शिक्षा की संस्थाओं को उसके अनुरूप ढाला गया। पठन-पाठन और मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था बर्तानवी विश्वविद्यालय के ढाँचे पर अपनाई गई। कहना न होगा कि इस तरह की औपनिवेशिक व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का विस्तार भी भारत में हुआ। उसे प्रामाणिक, प्रासंगिक और उपयोगी कह कर इस तरह प्रचारित-प्रसारित किया गया कि लोगों के मन में बैठ गया कि यही ठीक है। इसका स्वाभाविक परिणाम यहाँ की ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाओं की सतत् उपेक्षा के रूप में सामने आया। इस प्रक्रिया में भारतीय शिक्षा का भारत के साथ विलक्षण सम्बन्ध बना जिसमें भारत पश्चिमी ज्ञान के उपयोग की एक प्रयोगशाला बनता गया और देशज ज्ञान हाशिए पर जाता रहा या फिर उसे पश्चिमी ज्ञान के अनुकूल ढाला गया। इस तरह भारत के ज्ञान-केंद्रों पर ज्ञान-सृजन करने की जगह ज्ञान का अनुकरण और समायोजन का काम ही चलता रहा। विद्यार्थी वर्ग के लिए जरूरी शैक्षिक समाजीकरण के अन्तर्गत अंग्रेजी सीखना, पश्चिमी ज्ञान देने वाले विषयों को सीखना और सुविधानुसार उसका उपयोग करना एक मानक काम बन गया। ऐसे में न केवल शिक्षा की जटिलता बढ़ गई, बल्कि देश की प्रकृति की समझ भी बिगड़ती गई।विद्यार्थी पर शिक्षा का भार भी बढ़ गया। साथ ही एक हीनता की ग्रंथि का भी बीजारोपण हो गया। उसे सदा के लिए दूसरे की ओर देखना नियति बन गई। गुलामी की मानसिकता इतनी प्रचंड थी कि आज भी कई स्कूल अंग्रेजी न बोलने और हिन्दी जैसी भारतीय बोलने पर दंडित करते हैं। अंग्रेजी में गिटपिट बहुतों के लिए सुरक्षा कवच है, तो बहुत लोग इसे रोब गालिब करने का जरिया बनाए हुए हैं। आज भी कइयों के लिए अपनी विशिष्टता दिखाने और अलग पहचान बनाने के लिए अंग्रेजी एक मजबूत वैसाखी बन खड़ी होती है। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का अपना महत्व और आकर्षण है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी के अपने नाज-औ-नख़रे हैं, सौष्ठव है, असर है और वह बना रहे, परंतु भारतीय भाषाओं को विस्थापित कर अंग्रेजी मेम की जिस तरह तूती बोलती है वह किसी लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। भारत में भाषा की गुलामी की दास्तान लम्बी हो चली है उसके दुष्परिणाम का आकलन सरल नहीं है। यहाँ इतना कहना ही काफी होगा कि अपनी भाषा के स्वास्थ्य बनने और बिगड़ने के साथ विचार, आचार और पूरी संस्कृति भी बनती बिगड़ती है ।

भाषा-प्रयोग का एक पक्ष यह भी है कि भाषा की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है पर वास्तविकता कोसों दूर है। न्यायालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय और अस्पताल हर कहीं आज अंग्रेजी का ही वर्चस्व बना हुआ है। अलिखित रूप से भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पर बंदिश और अंग्रेजी पर प्रलोभन का वातावरण चारों ओर व्याप्त हो रहा है। यह स्थिति सामान्य मानव अधिकारों के हनन को भी बखूबी व्यक्त करती है। हमें यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र की मर्यादा है सबके लिए अवसर की समानता, समता, बंधुत्व और इन सबके लिए संवाद ही मुख्य आधार होता है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के साथ समाज में बड़े छोटे की दो कोटियाँ-अंग्रेजीदाँ और गैरअंग्रेजीदाँ की

खड़ी कर दी गई जिसके दूरगामी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले सिद्ध हुए। उससे उपजने वाली असुविधा और दुविधा पसरती गई और उससे अंग्रेजी की श्रेष्ठता और प्रामाणिकता को बल मिलता रहा। साथ ही सामाजिक जीवन में ऊँच-नीच के भेद-भाव और पूर्वाग्रह का भाषाई आधार स्वतंत्र भारत में दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। लोकतंत्र में शासक और शासित या प्रजा तथा राजा के बीच की दूरी कम होनी चाहिए थी पर वह बढ़ती रही। भारतीय संविधान भी मूलत: अंग्रेजी में ही तैयार हुआ। परीक्षाओं और नौकरी में अंग्रेजी को प्राथमिकता का रिवाज अभी भी प्रचलित है। इस माहौल में यही संदेश फैला कि भारतीय भाषाएँ विचलन हैं और मानक भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। इसका दबाव भाषाओं में अस्वाभाविक दखल के रूप में उभरने लगा। भारतीय समाज और संस्कृति को देखने का देशज की जगह विदेशी नजरिया प्रचलित हुआ और आधुनिक ज्ञान का विकास अपनी जड़ें उस तरह से न जमा सका जो होना चाहिए था।

चूँकि हमारा जीवन व्यापार ज्यादातर भाषा की सहायता से ही सम्पादित होता है । दुनिया के साथ उसका रिश्ता भाषा की मध्यस्थता के बिना अकल्पनीय है। इसलिए भाषा सामाजिक सशक्तीकरण के विमर्श में प्रमुख किरदार है, फिर भी अक्सर उसकी भूमिका की अनदेखी की जाती है। वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा में आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प है। आत्म-निर्भरता के लिए जरूरी है कि अपने स्रोतों और संसाधनों के उपयोग को पर्याप्त बनाया जाए ताकि कभी दूसरों का मुँह न जोहना पड़े। कभी इस तरह की बातें गुलाम देश को अंग्रेजी साम्राज्य की कैद से स्वतंत्र कराने और स्वराज्य स्थापित करने के प्रसंग में की जाती थीं। अंग्रेज गए, स्वराज्य आया और देश में अपना शासन स्थापित हुआ। जनतंत्र में जिस लोकशाही की उम्मीद थी वह धीरे-धीरे बिखरती गई और राजा और प्रजा, शासक और शासित का भेद बढ़ता गया। शरीर तो भारत का रहा पर मन और बुद्धि अंग्रेजीमय या अंग्रेजीभक्त हो गया। भवसागर से मोक्ष के लिए हमने अंग्रेजी की नौका को स्वीकार किया और उसे शिक्षा तथा आजीविका का स्रोत बना दिया। अंग्रेजी से मुक्ति अंग्रेजों से मुक्ति से कहीं ज्यादा मुसीबतजदा और मुश्किल पहेली बन गई। मानसिक उपनिवेश बने रहने का सीधा परिणाम यह हुआ कि सृजनात्मकता प्रतिबंधित होती गई ।

वर्तमान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की अवधारणा को विमर्श के केंद्र में लाकर सामर्थ्य के बारे में हमारी सोच को आंदोलित किया है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने पर विचार किया गया है। शिक्षा स्वाभाविक रूप से संचालित हो इसके लिए मातृभाषा में अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए । इसलिए बहुभाषिकता के आलोक में मातृभाषा का आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना आवश्यक है। अमृत-महोत्सव के संदर्भ प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए आह्वान किया है और इसके लिए मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है।

यह स्मरणीय है कि भाषा सबकी जरूरत है। हवा, पानी और भोजन की ही तरह यह भी बेहद जरूरी है। हम जो होना चाहते हैं उसके बारे में सोचना और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हम भाषा का ही सहारा लेते हैं । दरअसल भाषा का कोई विकल्प नहीं है । भाषा से गुजर कर ही हम सोचते हैं और किसी भी तरह के सृजन को आकार मिलता है । कह सकते हैं भाषा आत्मा या कहें हमारे अस्तित्व का लिबास होती है । साथ ही वह आवरण का भी काम करती है और दुराव-छिपाव को भी संभव बनाती है और हम जो चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति भी संभव करती है । उसके प्रयोजन अनेक होते हैं और उनकी कोई सीमा भी तय नहीं की जा सकती । जैसे मिट्टी के बर्तन से कुम्हार तरह-तरह के बर्तन बनाता है जिनसे भिन्न-भिन्न काम लिए जाते हैं वैसे ही भाषा से भी तरह-तरह के काम लिए जाते हैं । भाषा के काम इतने हैं कि यदि यह कहें कि भाषा कर्तृत्व की सीमा है तो अत्यक्ति न होगी। भाषा एक संवेदनशील और परिवर्तनक्षम उपकरण है । भाषा की ख़ासियत यह भी है कि उसकी सामर्थ्य विकसनशील और सर्जनात्मक है और इस अर्थ में अनंत है। भाषा ही वह आँख है जिससे हम दुनिया देखते-समझते हैं। उसकी संभावनाओं की शृंखला का कोई ओर-छोर नहीं होता है ।

यह जरूर है कि किसी भी समय भाषाओं की दुनिया में बड़ी विविधता है। कोई भाषा अकेली नहीं होती । प्रयोक्ताओं की दृष्टि से कुछ अधिक व्यापक होती हैं तो कुछ कम । भाषा रचना भी है और रचना का माध्यम भी । वह जितनी प्रयोक्ता में उपस्थित रहती है उससे कम प्रयोग में नहीं। वह कई रूप धारण करती है । यह भी नोट करना होगा कि सामाजिक जीवन की यह विवशता है कि राजनीति भी भाषा के औजार से ही की जाती है। उसी के आधार पर संचार होता है और संवाद और विवाद की घटनाएँ भी होती हैं । हम लोग सार्वजनिक जीवन और मीडिया में देख पा रहे हैं कि भाषा एक बड़ा लचीला और बहुउद्देशी माध्यम है और

उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों हो रहा है । पर भाषा का भी अपना जीवन होता है और वह भी राजनीति का शिकार होती है । भाषा की शक्ति को पहचानना और उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है । भारत की संविधान स्वीकृत राजभाषा हिन्दी की स्थिति यही बयान करती है। स्वतंत्रता मिलने के पहले की राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वतंत्र भारत में 14 सितम्बर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में भारतीय संसद की स्वीकृति मिली थी। यह स्वीकृति सशर्त हो गई! जो व्यवस्था बनी उसमें हिन्दी विकल्प की भाषा बन गई। आज विश्व में संख्या बल में इसे तीसरा स्थान प्राप्त है। 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस भी मनाया जाता है। 14 जनवरी का हिन्दी दिवस हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के संकल्प से जुड़ गया और 1953 से मनाया जा रहा है ।

देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ परंतु मानसिक या वैचारिक स्वराज की दृष्टि से संशय बरकरार रहा। बारहवीं सदी से प्रयुक्त हो रही हिन्दी स्वतंत्रता-संग्राम के दौर में फूलती-फलती रही। हिन्दी जो 'भारत-भारती' का गान कर रही थी। हिन्दी को घर में नजरबंदी के आदेश के साथ जमानत मिली। उसे जो स्वीकृति मिली थी वह निर्वासन की सजा के साथ मिली, ताकि वह अपने को सुधार कर जरूरी योग्यता हासिल कर सके जिसकी पुष्टि जब तक 'सभी ' न कर दें वह जमानत पर ही रहेगी ।

सरकारी कृपा-दृष्टि से हिन्दी को योग्य बनाने के लिए क़िस्म-क़िस्म के इंतजाम भी शुरू हुए । शब्द बनाने की सरकारी टकसाल बनी, प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, हिन्दी भाषा अध्ययन और शोध के कुछ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी खड़े हुए, प्रदेश स्तर पर हिन्दी अकादमियाँ बनीं और विश्वविद्यालय स्थापित हुए । हिन्दी के लेखकों और सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए नाना प्रकार के पुरस्कारों की भी व्यवस्था हुई। साथ ही राजभाषा सचिव और सचिवालय भी बना । संसदीय राजभाषा समिति देश में घूम कर हिन्दी की प्रगति का जायजा लेती है । विभिन्न मंत्रालयों के लिए हिन्दी की सलाहकार समितियाँ भी हैं, जिनकी बैठक में सरकारी काम-काज में हिन्दी को बढ़ावा देने का संकल्प दुहराया जाता रहता है । एक केंद्रीय हिन्दी समिति भी है जो पाँच-सात साल में एक बार बैठती है । एक बड़ा भारी सरकारी अमला मूल अंग्रेजी के हिन्दी अनुवाद मुहैया कराने की मुहिम में जुटा हुआ है, परंतु वह अनुवाद इतना नीरस और इतना अग्राह्य हो जाता है कि उसका वास्तविक उपयोग नहीं होता है । हिन्दी के उन्नति के लिए उठाए गए कदम कौन सी भाषा, किसके लिए और किस उद्देश्य से प्रेरित थे और उनकी अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं इसे जानने की फुर्सत नहीं है। हिन्दी के प्रति सरकारी संवेदना जीवित है और हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सन् 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलन की जो शुरुआत हुई उसकी कड़ी भी आगे बढ रही है। यह संतोष की बात है कि माननीय श्री अटलबिहारी वाजपेयी, श्रीमती सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मोदी ने हिन्दी की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को भली-भाँति प्रभावी और प्रामाणिक ढंग से रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को दर्ज कराने के प्रयास भी होते रहे हैं और उसमें तेजी आई है। अब वहाँ के संचार कार्यक्रम में हिन्दी को ज्यादा जगह मिल रही है।

देश के भीतर सरकारी कार्य की औपचारिकताएँ होती हैं, ताम-झाम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, आदेश और निर्देश के दस झमेले होते हैं। उन सबके बीच प्रयोजनमूलक हिन्दी का उद्धार हो सके और सरकार और जनता के बीच हिन्दी संवाद सेतु का कार्य कर सके इसके लिए प्रयासों के बीच संवरती-उभरती निर्जीव कागजी हिन्दी खड़ी करने का काम सरकारी भाषा विभाग सात दशकों से करता आ रहा है। थोपी हुई अपरिचित अस्वाभाविक भाषा जनता में प्रयोग से बाहर हो जाती है। वह दम तोड़ने लगती है। सहज शब्द वाली लोकहिन्दी की जगह खाँटी प्रयोजनमूलक जो हिन्दी बनाई जा रही है जो अंततः निष्प्रयोजन हो जाती है सिवाय इसके कि अंग्रेजी की सामग्री के एक हिन्दी रूपांतर की खानापूरी की क़वायद पूरी हो जाती है । कई गैर सरकारी हिन्दी सेवी संस्थाओं और संगठनों ने शुभ संकल्प के साथ काम शुरू किया था, परंतु अब उनमें से अधिकांश की स्थिति संतोषजनक नहीं रह गई है। इसका एक मुख्य कारण संसाधनों का अभाव है, परंतु पुरानी निष्ठा भी नहीं रही न विद्वानों का सहयोग ही पहले जैसा रह गया है।

एक सशक्त भाषा को प्रकट में सशक्त करने परंतु वास्तव में उसके पर कुतरने के लिए हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा या हिन्दी मास का आयोजन चल पड़ा । अब विभिन्न संस्थान चौदह सितम्बर के इर्द-गिर्द कुछ आयोजन कर हिन्दी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हैं। एक सशक्त भाषा के प्रति सभ्य समाज का इस तरह का व्यवहार यह साबित करता है कि हिन्दी को लायक़ बनाना कितना मुश्किल काम है और उसकी हालत जायज है। हाशियाकरण का स्मृति चिह्न बन कर हिन्दी की दुर्बलता की लगातार पुष्टि करने वाला यह स्मारक यह बतलाता है कि भाषा के प्रति हमारी दृष्टि उपेक्षा की ही बनी रही है।

आज मन में अपनी भाषा के लिए प्रतिष्ठा का भाव नहीं

शेष पृष्ठ संख्या 19 पर

भारत की भाषिक विविधता और हिन्दी का वर्तमान परिदृश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के सतहत्तर वर्षों के बाद भी हिन्दी अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित है । दुर्भाग्यवश आज भी अंग्रेजी ही शासन-प्रशासन की मुख्य भाषा बनी हुई है । लोगों को बार-बार हिन्दी की महत्ता का स्मरण कराना पड़ता है, परंतु अनेक अवरोधों, मानसिक जड़ता और वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद हिन्दी अपनी सरलता, आंतरिक ऊर्जा और जनता से जुड़ाव के कारण निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है । देश के दूरस्थ अंचल तक हिन्दी का पुण्य आलोक विकीर्ण हो चुका है । कमोबेश संपूर्ण देश में यह संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है । इसमें अन्य भारतीय भाषाओं-लोक भाषाओं के शब्दों को पचा लेने की अद्भुत क्षमता है । इसी ग्रहणशीलता के कारण हिन्दी की स्वीकार्यता में अभिवृद्धि हो रही है । हिन्दी ऐसी महानदी है जो देश के सभी घाटों से गुजरती है एवं सभी घाटों के कंकड़-पत्थर, मिट्टी, रेतकण आदि को समेटते तथा अपनी प्रकृति के अनुरूप उन्हें आकार देते हुए आगे बढ़ती है । इसकी धीर-गंभीर संस्पर्श से आंचलिक शब्द भी हिन्दीकृत होकर साहित्यिक गरिमा प्राप्त कर लेते हैं । हिन्दी का सानिध्य गुमनाम आंचलिक शब्दों को भी राष्ट्रीय पहचान देता है । लोकभाषाओं के शब्द, शैली और वचन भंगिमा से हिन्दी समृद्ध व समर्थ बनती है ।

हिन्दी की एक अद्भुत विशेषता यह है कि वह अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है, किन्तु उसके मूल चरित्र में बदलाव नहीं होता है । हिन्दी कहीं तेलुगु से प्रभावित होती है तो कहीं बंगला से, कहीं मराठी से प्रभाव ग्रहण करती है तो कहीं असमिया से, कहीं नागामीज से प्रभावित होती है तो कहीं गुजराती से । इतना ही नहीं हिन्दी क्षेत्र की बोलियां भी हिन्दी को प्रभावित करती हैं । इसलिए भोजपुरी क्षेत्र में बोली जानेवाली हिन्दी में भोजपुरी का पुट है, दिल्ली की हिन्दी में हरियाणवी की सुगंध है, मिथिलाचंल की हिन्दी में मैथिली का माधुर्य है एवं विंध्य क्षेत्र की हिन्दी में निमाड़ी की छौंक है । बंगाल की हिन्दी, असम की हिन्दी, मुंबई की हिन्दी और दक्षिण भारत में बोली जानेवाली हिन्दी का सौंदर्य ही इसकी आंतरिक ऊर्जा है । इसलिए पूरे देश में एक ही प्रकार की हिन्दी की अपेक्षा करने वाले भाषाई तानाशाह हिन्दीनिष्ठ नहीं, बल्कि हिन्दी के दुश्मन हैं । लिखी जानेवाली हिन्दी में एकरूपता आवश्यक है, परंतु बोली जानेवाली हिन्दी पर मातृभाषाओं का प्रभाव अवश्यम्भावी है । यह ग्रहणशीलता ही हिन्दी की सबसे बड़ी शक्ति है । यह जीवित व विकासमान भाषा का लक्षण है । जहां अन्य भारतीय भाषाएँ एक-दो प्रदेशों तक सीमित हैं, हिन्दी व्यापक क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं में धीमी गति से परिवर्तन होते हैं, परंतु हिन्दी में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र है । यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि अन्य भारतीय भाषाओं में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, किन्तु हिन्दी में बहुत बड़ी संख्या में तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द विद्यमान हैं । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 देश में भाषाई सम्प्रीति स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल करता है । यह अनुच्छेद सभी भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है । सभी भारतीय भाषाएँ पुष्पित-फलित हों, अपने-अपने प्रदेशों में राजकाज की भाषा बनें। हिन्दी सभी भाषाओं के पराग को ग्रहण व आत्मसात करते हुए राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में देश की सामासिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करे, इसी मूल संकल्पना पर भारत की राजभाषा नीति आधारित है।

विरेन्द्र परमार

भारत एक बहु भाषा भाषी विशाल देश है । यहाँ 1652 भाषाएँ और बोलियाँ हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है । अष्टम अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से अधिकांश भाषाएँ किसी-न-किसी प्रदेश की राजभाषा है, किन्तु कुछ ऐसी भाषाओं को भी इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है जो किसी राज्य की राजभाषा नहीं हैं, जैसे-सिंधी, डोगरी, संस्कृत, मैथिली आदि । अंग्रेजी भाषा को अष्टम अनुसूची में नहीं रखा गया है, किन्तु नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुछ राज्यों में वहाँ की राजभाषा के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग का भी प्रावधान किया गया है, जैसे-मणिपुर में मणिपुरी तथा अंग्रेजी, केरल में मलयालम तथा अंग्रेजी के प्रयोग की भी व्यवस्था है । कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें विभिन्न प्रदेशों में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु उन भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसे-मिजोरम में मिजो भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु मिजो भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है । सिक्किम ने ग्यारह भाषाओं को राजभाषा घोषित किया है, जिनमें से केवल नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, किन्तु सिक्किम की अन्य भाषाएँ भारत की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं हैं । त्रिपुरा की राजभाषा बंगला तथा काकबराक है । बंगला

तो अष्टम अनुसूची में शामिल है, किन्तु काकबराक नहीं है । गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गुजराती और हिन्दी दोनों को राजभाषा घोषित किया है ।

कुछ राज्यों में उनकी राजभाषा के अतिरिक्त कुछ प्रयोजनों के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग करने की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उर्दू का प्रयोग करने का प्रावधान है । पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में नेपाली भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था है । पांडिचेरी में अलग-अलग क्षेत्रों में तमिल, मलयालम तथा तेलुगु राजभाषाएँ हैं। गोवा में कोंकणी के साथ ही मराठी भाषा का प्रयोग स्वीकार्य है। केरल में तमिल तथा कन्नड़ भाषा के प्रयोग की भी व्यवस्था है । हरियाणा सरकार ने संस्कृत, उर्दू, तेलुगु तथा पंजाबी को भी द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है । असम के बराकघाटी के लिए बंगला को राजभाषा बनाया गया है, जबकि कार्बी, आंगलांग तथा उत्तरी कछार के पर्वतीय जिलों के लिए अंग्रेजी राजभाषा है । असम में कोकराझार, नलबाड़ी आदि बोडो बहुल जिलों के लिए बोडो को सहभाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान है । छत्तीसगढ़ सरकार ने हिन्दी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग का भी प्रावधान किया है ।

हिन्दी संघ की राजभाषा है और देश के व्यापक भूभाग में बोली जाती है । देश के ग्यारह राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया है । हिन्दी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है । संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से लगभग आधी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, नेपाली, मैथिली, मराठी, डोगरी, संथाली, बोडो, सिंधी, कोंकणी की लिपि देवनागरी है । गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी का ही एक रूप है । गुजराती लिपि में देवनागरी की शिरोरेखा से स्वयं को मुक्त कर लिया है तथा कुछ अक्षरों की आकृतियां बदल ली हैं । इसी प्रकार पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि भी देवनागरी का ही परिवर्तित अवतार है। वैसे तो कोंकणी भाषा कन्नड़, रोमन तथा मलयालम लिपियों में भी लिखी जाती है, किंतु गोवा सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखित कोंकणी को ही राजभाषा स्वीकार किया है । इसी प्रकार सिंधी भी तीन लिपियों में लिखी जाती- देवनागरी, गुरुमुखी और अरबी, किन्तु अधिकांश लोग सिंधी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं । मणिपुरी भाषा के लिए 18वीं शताब्दी में बंगला लिपि को स्वीकार किया गया, किन्तु अब मणिपुरी भाषी बंगला लिपि के स्थान पर मणिपुरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं । कुछ लोग मणिपुरी के लिए देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं।

हिन्दी तो अब लोगों की आवश्यकता बन चुकी है । इसके बिना कोई राजनेता अपनी राष्ट्रीय पहचान नहीं बना सकता, कोई समाज सुधारक अथवा धार्मिक नेता हिन्दी ज्ञान के अभाव में पूरे देश में अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर सकता । इसलिए सफल राजनेता, धर्मप्रचारक और समाज सुधारक बनने के लिए हिन्दी ज्ञान अनिवार्य है । हिन्दी अब विज्ञापन की भी भाषा बन गई है । हिन्दी के विस्तृत बाजार को देखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी महसूस किया कि यदि उत्पादों की बिक्री में उछाल लाना है तो अंग्रेजी का दामन छोड़कर हिन्दी की शरण में जाना ही पड़ेगा । बाजार की विवशता ने ही इन कंपनियों को हिन्दी में विज्ञापन देने के लिए बाध्य किया है । इन कंपनियों को ज्ञात है कि एक-दो प्रतिशत अंग्रेजी जाननेवाले लोग इसके उत्पादों की बिक्री के ग्राफ को उत्कर्ष पर नहीं पहुँचा सकते । इन विज्ञापनों ने हिन्दी को तराशने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । ये विज्ञापन ऐसे मनोहर व कवित्वपूर्ण होते हैं कि बच्चों की जुबान पर भी चढ़ जाते हैं । संगीतमय और अर्थगर्भित होने के साथ-साथ ऐसे विज्ञापनों ने हिन्दी को नई भाव-भूमि से परिचित कराया है । इन विज्ञापनों में भारतीयता की छाप होती है । इसलिए ये मन को स्पर्श करते हैं । इसके विपरीत अंग्रेजी के विज्ञापनों में देशी छौंक देने के लिए हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का प्रयोग होने लगा है यथा- महालोन मेला, पटाका ऑफर, पक का प्राइज, मानसून महाऑफर, फेस्टीवल धूम, बेडसीट उत्सव इत्यादि । आरंभिक अवरोधों को पारकर हिन्दी अब इंटरनेट के राजपथ पर कुलांचे भरने लगी है । हजारों हिन्दी पुस्तकें, कविता कोश, गद्यकोश, जालपत्रिकाएं, ब्लॉग इंटरनेट पर उपलब्ध हैं । सी-डेक प्रणाली द्वारा एक ऐसा कुंजीपटल विकसित किया गया है जिस पर एक साथ अनेक भारतीय भाषाओं में काम करना संभव है । इस प्रणाली में सभी भारतीय भाषाओं के लिए कुंजी पटल एक हैं । इसलिए एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषाओं में सफलतापूर्वक लिप्यंतरित किया जा सकता है । 'अक्षर फॉर विंडोज' में वर्तनी संशोधक, शब दकोश, मेल-मर्जर आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिससे हिन्दी के उपयोग को गति मिली है । सुरभि प्रोफेशनल, आई.लिप, बैंक मित्र, श्रीलिपि अंकुर आदि सॉफ्टवेयर का विकास हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है । अनेक हिन्दी पोर्टल, वर्तनी जांचक, शब्दकोश, हिन्दी

सर्च इंजन आदि ने हिन्दी को तकनीकी रूप से समर्थ बनाकर इसे विश्वभाषा बनने में सक्षम बनाया है ।

हिन्दी भारत की संपर्क भाषा तो बन चुकी है, किन्तु वास्तविक रूप में अभी तक राजभाषा नहीं बन सकी है । राजभाषा हिन्दी के नाम पर मेले लगते हैं, उत्सव आयोजित होते हैं, देश-विदेश का तीर्थाटन होता है और फाइलों, रिपोर्टों में हिन्दी की गंगा लहराती है, किन्तु अभी तक हिन्दी ग्यारह हिन्दीभाषी प्रदेशों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों के राजकाज की भी भाषा नहीं बन पायी है । विश्व हिन्दी सम्मेलन में संकल्प पारित किए जाते हैं कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाया जाए । जब हिन्दीभाषी प्रदेशों में ही हिन्दी राजकाज की भाषा नहीं बन पायी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है । वही बात हुई कि अपनी माँ का स्वयं सम्मान मत करो, किन्तु उम्मीद करो कि गैर उसे सम्मानित करें । कोई भी भाषा जब तक ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक तकनीक की भाषा नहीं बनेगी तब तक उसका बहुमुखी विकास नहीं हो सकता है । दुर्भाग्यवश हिन्दी अभी तक ज्ञान-विज्ञान की भाषा नहीं बन पायी है । हिन्दी के लेखक दिवास्वप्न देखने अथवा खेमेबाजी करने में ही मस्त रहते हैं । सपने तो देखते हैं कि हिन्दी विश्व भाषा बने, किन्तु इस दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण पहल नहीं करते । कविता, कहानी, उपन्यास से किसी भी भाषा का साहित्य समृद्ध होता है, किन्तु यदि भाषा को विस्तार देना हो और उसे वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करना हो, तो उस भाषा को ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की माध्यम भाषा बननी होगी । हिन्दी अभी तक ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनने से कोसों दूर खड़ी है । भारतीय समाज, संस्कृति, अभियांत्रिकी, भौतिकी, रसायन, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, आदिवासी जीवन, सिनेमा, पर्यटन, महिला अध्ययन, धर्म, पर्व-त्योहार, फैशन, सोशल मीडिया, जनसंचार, भूगोल, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, चिकित्साशास्त्र, शल्यक्रिया आदि ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं पर स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित कर हम हिन्दी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं दिख रहा है । अब हिन्दी और सोसल मीडिया दोनों लोगों की आवश्यकता बन चुकी है । हिन्दी को समर्थ बनाने में गूगल ने भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं । गूगल अनुवाद ने अनुवाद कार्य को सरल बना दिया है, यद्यपि इसमें अभी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । हिन्दी टंकण नहीं जानने वाले लोगों के लिए गूगल वाच्य टंकण तो एक वरदान है ।

-वीरेन्द्र परमार
103, नवकार्तिक सोसायटी
प्लाट नंबर-13, सेक्टर-65, फरीदाबाद-121004

पृष्ठ संख्या 16 का शेष

रहा। प्रतियोगिता और पुरस्कार सब किया जाता है पर उसे कर्म के स्तर पर जीवन में अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं । गौर तलब है कि अपनी भाषा में अध्ययन न कर उधार की अंग्रेजी के अभ्यास साथ बहुसंख्यक छात्र समुदाय में सोचने की अक्षमता बढ़ी है, मौलिकता और रचनाशीलता में कमी आई है। रटा हुआ ज्ञान पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। उससे बाहर नजर डालें तो आज भी जिंदगी में अपने आस-पास बचे-खुचे नाते-रिश्ते, शादी-व्याह, खान-पान, तिथि-महीने, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, साग-सब्जी ही नहीं प्यार-मुहब्बत, रार-इकरार, और दुःख-दर्द आदि की उपस्थिति की अनुभूति और अभिव्यक्ति जिस सहजता और प्रभाव के साथ अपनी भाषा में होती है । हिन्दी भारतीय संस्कृति की धड़कन है, हमारी जीवंतता का प्रमाण। उसकी शक्ति हमें समर्थ बनाती है।

वस्तुतः रचनाशीलता जीवन की निरंतरता का पर्याय होती है। हमारे होने और न होने के लिए हमारी सृजन शक्ति ही जिम्मेदार होती है। कुछ रचने के लिए, उस रचना तक पहुँचने और दूसरों तक पहुँचाने के लिए सहजतम और प्रभावशाली माध्यम हमारी भाषा होती है । किसी व्यक्ति या समुदाय से उसकी अपनी भाषा का छिनना और मिलना उनके अपने अस्तित्व को खोने-पाने से कम महत्व का नहीं होता है । समाज और राष्ट्र को सामर्थ्यशील बनाने के लिए उसकी अपनी भाषा को शिक्षा और नागरिक जीवन में स्थान देने के लिए गंभीर प्रयास जरूरी है। नई शिक्षा नीति की संकल्पना में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान इस दृष्टि से बड़ा कदम है।

-गिरीश्वर मिश्र
307, टावर-1, मैजेस्टिक फ्लोर्स, इंदिरापुरम
गाजियाबाद-201014 (उ.प्र.)

हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं है अपितु एक संस्कृति है, संस्कार है। देश-दुनिया की प्रगति और सभ्याचार में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

चैटबॉट में हिन्दी का प्रयोग

चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो मानव भाषा को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम होता है । इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप माना जाता है । चैटबॉट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसेकि ग्राहक सेवा, मनोरंजन और शिक्षा ।

चैटबॉट कैसे काम करते हैं ?

चौटबॉट प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing, NLP) का उपयोग करके काम करते हैं । NLP एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है । चैटबॉट एक बड़े डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करते हैं और उपयोगकर्ता के प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर खोजने के लिए उस डेटाबेस को खोजते हैं ।

चैटबॉट के प्रकार

चैटबॉट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

नियम-आधारित चैटबॉट: ये चैटबॉट पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर काम करते हैं । इनके पास एक सीमित संख्या में प्रतिक्रियाएं होती हैं और वे केवल उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जिनके लिए वे प्रोग्राम किए गए हैं ।

मशीन लर्निंग-आधारित चैटबॉट: ये चैटबॉट मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके लगातार सीखते हैं और विकसित होते हैं । वे उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करके डेटा एकत्र करते हैं और उस डेटा का उपयोग भविष्य में बेहतर उत्तर देने के लिए करते हैं ।

चैटबॉट के उपयोग

चैटबॉट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि:

ग्राहक सेवा: कई कंपनियां चैटबॉट का उपयोग ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करती हैं ।

ई-कॉमर्स: ई-कॉमर्स वेबसाइटें चैटबॉट का उपयोग उत्पादों की जानकारी प्रदान करने और खरीदारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए करती हैं ।

मनोरंजन: कुछ चैटबॉट का उपयोग गेम खेलने और कहानियां सुनाने के लिए किया जाता है ।

शिक्षा: चैटबॉट का उपयोग छात्रों को शिक्षित करने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए किया जा सकता है ।

विजय प्रभाकर 'नगरकर'

चैटबॉट के फायदे

24/7 उपलब्धता: चैटबॉट दिन के किसी भी समय उपलब्ध होते हैं ।

तेजी से प्रतिक्रिया: चैटबॉट तुरंत उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

कम लागत: चैटबॉट मानव कर्मचारियों की तुलना में कम खर्चीले होते हैं ।

वैयक्तिकृत अनुभव: मशीन लर्निंग-आधारित चैटबॉट उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करके उनके बारे में सीख सकते हैं और उन्हें एक वैयक्तिकृत अनुभव प्रदान कर सकते हैं ।

चैटबॉट के नुकसान

सीमित समझ: चैटबॉट अभी भी मानव बुद्धि के स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं और वे जटिल प्रश्नों को समझने में मुश्किल हो सकते हैं ।

भावनाओं की कमी: चैटबॉट मानव भावनाओं को समझने और उनका जवाब देने में सक्षम नहीं होते हैं।

निर्भरता: चैटबॉट पर अत्यधिक निर्भरता मानव संपर्क की कमी का कारण बन सकती है ।

चैटबॉट तकनीक में तेजी से विकास हो रहा है और यह भविष्य में और अधिक उन्नत होती जाएगी । चैटबॉट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है और यह हमारे जीवन को आसान बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । तकनीकी विकास ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है । बॉट (BOT), जिसे आमतौर पर चैटबॉट कहा जाता है, इस तकनीकी क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । यह स्वचालित प्रोग्राम मानव की तरह संवाद करने और कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है । जब बात बॉट्स में हिन्दी के प्रयोग की होती है, तो यह भारत जैसे बहुभाषीय देश में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्तमान में हिन्दी का उपयोग बॉट्स के माध्यम से विभिन्न सेवाओं और संवादों को आसान बनाने के लिए हो रहा है, और भविष्य में यह तकनीक और भी उन्नत होगी ।

वर्तमान में बॉट्स में हिन्दी का उपयोग

1. ग्राहक सेवा और व्यापार में उपयोग

आज कई कंपनियां हिन्दी भाषा में चैटबॉट्स का उपयोग कर रही हैं । बैंकिंग, ई-कॉमर्स, और अन्य सेवाओं में ग्राहकों से संवाद करने के लिए हिन्दी बॉट्स का व्यापक उपयोग हो रहा है ।

उदाहरण के लिए, बैंकिंग सेक्टर में बॉट्स हिन्दी में बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं । अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर Rufus नाम का चैटबॉट उपलब्ध है ।

2. शिक्षा में योगदान

ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे कि बायजूस (Byju's) और अन्य, हिन्दी बॉट्स का उपयोग छात्रों को उनकी मातृभाषा में सामग्री समझाने के लिए कर रहे हैं । यह तकनीक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दे रही है ।

3. स्वास्थ्य सेवा में मदद

स्वास्थ्य ऐप्स और पोर्टल्स पर हिन्दी बॉट्स का उपयोग मरीजों को लक्षणों की जानकारी देने और डॉक्टरों से परामर्श में मदद करने के लिए किया जा रहा है । यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अंग्रेजी नहीं समझते ।

4. सरकारी योजनाओं में हिन्दी बॉट्स का योगदान

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अपनी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी हिन्दी में देने के लिए बॉट्स का उपयोग कर रही हैं । यह आम जनता के लिए सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाता है ।

भविष्य में हिन्दी बॉट्स की संभावनाएँ

1. ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति

भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ हिन्दी प्रमुख भाषा है । भविष्य में, हिन्दी बॉट्स ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे ।

2. उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग

भविष्य में हिन्दी बॉट्स उन्नत एआई तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिससे वे न केवल संवाद कर पाएँगे, बल्कि स्थानीय बोलियों और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझ सकेंगे । इससे संवाद और अधिक प्रभावी होगा ।

3. रोजगार के नए अवसर

हिन्दी बॉट्स की बढ़ती मांग के साथ, कंटेंट क्रिएशन, मशीन लर्निंग और हिन्दी डेटा सेट्स तैयार करने जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे ।

4. सामाजिक समावेशन

भविष्य में हिन्दी बॉट्स विकलांग लोगों के लिए संवाद और सेवा को आसान बनाएँगे । यह तकनीक उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जो पढ़ने या सुनने में असमर्थ हैं ।

5. वैश्विक स्तर पर हिन्दी का प्रचार

हिन्दी बॉट्स न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी हिन्दी भाषा का प्रचार करेंगे, जहाँ हिन्दी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है ।

चुनौतियाँ

1. भाषाई विविधता: भारत में हिन्दी की कई बोलियां हैं, जिन्हें समझना और उनके अनुसार बॉट को प्रशिक्षित करना चुनौतीपूर्ण है।

2. तकनीकी सीमाएं: हिन्दी की व्याकरणिक संरचना को एआई सिस्टम में सटीकता से लागू करना अभी भी एक जटिल कार्य है ।

3. डिजिटल साक्षरता की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक का सीमित उपयोग हिन्दी बॉट्स की सफलता में बाधा बन सकता है ।

समाधान

1. हिन्दी में बड़े और विविध डेटा सेट्स का निर्माण ।

2. स्थानीय भाषाओं और बोलियों को समझने वाले बहुभाषीय बॉट्स का विकास ।

3. डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को प्रशिक्षित करना ।

भारत सरकार की चैटबॉट में भारतीय भाषाओं के प्रयोग हेतु योजना

भारत सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चैटबॉट में भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दे रही है । इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं:

भाषिनी परियोजना: यह परियोजना विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच अनुवाद की सुविधा के लिए एक आसान और उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है ।

पीएम-किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट: कृषि मंत्रालय ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में एआई चैटबॉट विकसित किया है ।

अन्य सरकारी सेवाओं में चैटबॉट: कई अन्य सरकारी विभाग भी अपनी सेवाओं को अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं ।

शेष पृष्ठ संख्या 26 पर

हिन्दी का रोमनीकरण : एक खतरा

वैश्विक स्तर पर जहाँ हिन्दी भाषा प्रचार-प्रसार पा रही है, वहीं अपने देश में भी हिन्दी सभी प्रदेशों में बोली जाने लगी है। न केवल आम लोगों में, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों में हिन्दी का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा है । 'सैबी' के एक उच्च अधिकारी से बातचीत के दौरान यह पता लगा कि कुछ समय पूर्व तक उनकी 'मीटिंग्स' में वार्तालाप सदैव अंग्रेजी में होता था, किन्तु अब वही अधिकारी हिन्दी भाषा में बातचीत करते हैं । चाहे कोई पदासीन अधिकारी भारत के किसी प्रांत से हो, वह अपना पक्ष हिन्दी भाषा में बखूबी रखता है । हिन्दी भाषा के प्रति एक हेय भाव या हीनभावना अब कहीं नहीं दिखती, बल्कि हिन्दी पट्टी के निवासी भी स्वयं को कमतर नहीं समझते । वैसे हिन्दी का समाज पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और अमेरिका जैसे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी का शिक्षण हो रहा है । इसके अतिरिक्त कुछ देशों ने प्रवासी भारतीय कर्मचारियों के लिए टेलीविजन और रेडियो पर भी हिन्दी में प्रसारण शुरू कर दिया है । जैसे कुवैत की अरबी आबोहवा में अब हिन्दी की गूंज सुनाई देने लगी है और वहाँ की सरकार ने हिन्दी में रेडियों प्रसारण के जरिये हिन्दी भाषी कर्मचारियों के दर्द पर राहत का फाहा रखने की कोशिश की है । कुल मिलाकर हिन्दी भाषा का बाजार बहुत बड़ा है और इसी वजह से दुनिया में इस भाषा को सीखने वालों की तादाद भी बढ़ी है । किन्तु हिन्दी में बोलना जितना विस्तार पा रहा है, उसका लिखना और पढ़ना उतना ही कम होता जा रहा है । विशेष रूप से यदि युवा वर्ग हिन्दी में लिखता है तो वह रोमन लिपि में लिखता है । सोशल मीडिया पर यह आसानी से देखा जा सकता है कि हिन्दी भाषा में कुछ भी लिखने के लिए रोमन लिपि ही प्रयुक्त की जा रही है । पिछले दिनों प्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रियदर्शन का हिन्दी हिन्दुस्तान के 'अनुलोम-विलोम' स्तम्भ में यह वक्तव्य था, "हिन्दी के पाठक लगातार कम हो रहे हैं । हम सब अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वे अंग्रेजी के पाठक बनते जा रहे हैं । हिन्दी उनके लिए सिर्फ बोलचाल और मनोरंजन की भाषा है।"

वस्तुत: सोशल मीडिया में फेसबुक एवं व्हॉट्सएप पर 'मैसेज' या बातचीत को हिन्दी भाषा में लिखते हुए भी रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो ठीक नहीं है । पिछले दिनों मशहूर शायर और लेखक श्री जावेद अख्तर का 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक साक्षात्कार पढ़ा, जिसमें उन्होंने 'बॉलीवुड' के नायक-नायिकाओं के लिए उनके हिन्दी संवाद, 'रोमन लिपि' में लिखकर देने की बात कही । यह एक विद्रूप स्थिति है कि हिन्दी भाषी कलाकार अपने 'डायलॉग्स' को नागरी लिपि में न लिखवाकर, रोमन लिपि में पढ़ने के लिए लिखवाएँ । उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ वे जिन हिन्दी फिल्मों से प्रसिद्धि बटोर रहे हैं, उन्हीं फिल्मों से विश्व में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है । अहिन्दी भाषी के लिए तो यह बात स्वीकारी जा सकती है कि उन्हें हिन्दी भाषा न बोलनी आती है, न पढ़नी । परन्तु हिन्दी भाषा को नागरी लिपि में न पढ़ने की असमर्थता या रोमन में पढ़ने की सहूलियत, भाषा के लिए एक खतरा है । आज की युवा पीढ़ी हिन्दी भाषा बोलना तो सीख गयी, किन्तु उसका नागरी में पढ़ने-लिखने का अभ्यास न के बराबर है । इसमें उन फिल्मों या 'सीरीज' का भी बड़ा हाथ है, जो हिन्दी संवादों को रोमन लिपि में स्क्रीन पर लिखते-लिखवाते हैं । इसमें या तो हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम और संवाद लिखित होने चाहिए, नहीं तो रोमन लिपि में हिन्दी लिखने का विरोध होना चाहिए । अब तो टेलीविजन की 'स्क्रीन' पर भी अधिकतर कार्यक्रमों में हिन्दी भाषा के गीत और भजन तक रोमन लिपि में लिखे हुए होते हैं । जबकि अगर उन्हें इंग्लिश उच्चारण के अनुसार पढ़ा जाये, तो वे गलत लिखे होते हैं । जैसे आज ही मैं एक भजन में 'मन की आँखें' पंक्ति को रोमन में 'Mann ki aankhe...' लिखा हुआ देख रही थी । यदि शुद्ध उच्चारण किया जाए तो यह 'मन्न' पढ़ा जाता है, जोकि गलत है । यह एक अजीब विडंबना है कि हमारा प्रशासकीय तंत्र हिन्दी के उपयोग की तो बात करता है, किन्तु देवनागरी लिपि के लिए सचेत नहीं है ।

संतोष बंसल

हिन्दी पट्टी के ही अधिकांश लोग देवनागरी में लिखते हुए या तो बीच-बीच में अंग्रेजी लिख देते हैं या फिर पूरा हिन्दी वाक्य ही रोमन लिपि में लिखा होता है । यह एक आदत तो बन ही गयी है, जो अब हिन्दी की पत्रिकाओं के लेखों में भी दिखाई देती है । चूँकि कोई इसके लिए रोकता-टोकता नहीं, इसीलिए रोमन लिपि का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है । बड़ा अटपटा लगता है, हिन्दी भाषा का रोमन में लिखा हुआ पढ़ना । इसके कई कारण हैं, एक तो भूमंडलीकरण के कारण जो नाम या स्थान हम वहाँ की भाषा में समझ नहीं पाते या उच्चारण नहीं कर सकते, उन शब्दों को नागरी में न लिखकर रोमन में लिखा जाता है। दूसरे 'डिजिटलकरण' होने से सम्बंधित तकनीकी शब्दों को ज्यों का त्यों हिन्दी में प्रयोग किया जा रहा है । यदि उनका हिन्दी रूपांतरण किया भी गया, तो भी वह प्रयुक्त या प्रचलित नहीं हुआ और

हास्यास्पद बन कर रह गया । इसीलिए धीरे-धीरे हिन्दी भाषा ने उन शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लिया और 'मोबाइल चार्ज' करना और 'ऑनलाइन, ऑफलाइन' सरीखे शब्दों को हिन्दी में सम्मिलित कर लिया । फिर भी यह अजीब विडंबना है कि हिन्दी पट्टी के लोग ही सोशल मीडिया में रोमन लिपि में ही लिखना चाहते हैं । न जाने रोमन में अशुद्ध और सप्रयास लिखने में उन्हें कौन सी सहूलियत रहती है ? क्योंकि रोमन में कई 'अल्फाबेटस' या वर्णों का भिन्न ध्वनियों में उच्चारण किया जाता है । जबकि हमें तो अंग्रेजी भाषा को देवनागरी में लिखना चाहिए, जिससे अंग्रेजी को न समझने वाला नागरी में लिखे नाम आदि आसानी से पढ़ सके । किन्तु हो उससे उल्टा रहा है, जिसका नुक्सान भाषा-संस्कृति दोनों को हो रहा है । एक वरिष्ठ पत्रकार के शब्दों में, "उत्तर भारत में भाषा को लेकर ज्यादा सजगता चाहिए । गलत नीतियों या राजनीति की वजह से इन राज्यों में अंग्रेजी भी चौपट हुई और लोग हिन्दी में भी पिछड़ने लगे । (लेख - हिन्दी और उसकी बोलियों की गुणवत्ता पर कितना ध्यान, हिन्दी हिन्दुस्तान, 6 मई, 2024) जबकि हिन्दी भाषा का इतिहास साक्षी है कि उसने अंग्रेजी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की भी शब्दावली ग्रहण की है। किन्तु अब लेखन एवं वक्तव्यों में आधे शब्द हिन्दी में और आधे इंग्लिश में लिखे रहते हैं । अधिकतर हिंन्दी लेखक भी इससे अछूते नहीं है, उनके लिखने और बोलने में अंग्रेजी घुसी रहती है । किन्तु जब अभिव्यक्ति में लिपि और व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियाँ रहती है, तो उन को पढ़कर मन बहुत विक्षुब्ध होता है । जहाँ तक किसी भी प्रादेशिक और विदेशी भाषा को समझने के लिए उसका अंग्रेजी में अनुवाद लिखा हुआ है, तो वह ठीक है । परन्तु ऐसे में उस भाषा को अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में ही अनुवादित होना चाहिए । नहीं तो देवनागरी पिछड़ती जाएगी और रोमन का प्रभुत्व ही बन जाएगा । सन् 2018 में जब हम स्विट्जरलैंड गए थे, तो 'एंजलबर्ग' गाँव के छोटे से बाजार में एक टेलीफोन बूथ के बाहर यहाँ के स्थलों के नाम हिन्दी की देवनागरी लिपि में लिखे देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ । इसीलिए अब जो जागरूकता है, वह 'एलिट' कही जाने वाली सोसाइटी में आनी जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को अपनी मिट्टी और संस्कार की गंध से दूर करने वाले यही लोग हैं, जो बच्चों में सहजता पनपने नहीं देते । जो भाषा बच्चा अपने परिवार में सुन और सीख रहा है, उसे उसके विपरीत अंग्रेजी की तरफ मुड़ने के लिए बाध्य करते हैं । तो क्या ही अच्छा हो कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में ही हो और कुछ बड़ा होने पर उसे अन्य भाषाओं से रूबरू करवाया जाए ? मैंने स्वयं देखा है कि इस हिन्दी-अंग्रेजी के मिश्रण ने बाल जगत को सबसे अधिक नुक्सान पहुँचाया है । आज किसी भी बच्चे को हिन्दी में गिनती लिखनी तो क्या, बोलनी भी नहीं आती, केवल बीस या तीस तक ही वे हिन्दी में गिन सकते हैं । कोई भी बच्चा या तो वन, टू, थ्री... बोलेगा या फिर एक, दो, तीन के बाद 'फोर, फाइव' सुनाने लगेगा। आज कौन उन्नचास, उनसठ, उनहत्तर, उन्नासी, नवास्सी, निन्न्यानवें की भूलभूलैया से गुजरता है ?

अंततः यह एक खतरे की घंटी है, जिसे सुना जाना अत्यंत आवश्यक है । यह संकट केवल हिन्दी में देवनागरी लिपि पर ही नहीं है, अपितु सारी भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी के कुचक्र में फँसी हुई हैं । देवनागरी के 'नवदेवता' बिनेश्वर ब्रह्म को तो इसके लिए अपने प्राण देने पड़े, क्योंकि वे असम में बोडो भाषा के लिए देवनागरी का समर्थन करते थे, इसीलिए यदि इस दुष्चक्र को न तोड़ा गया तो आने वाले समय में हमारी मातृभाषाएँ दम तोड़ती दिखाई देंगी, जैसे इससे पूर्व संस्कृत, पाली और प्राकृत खत्म हो गई । यद्यपि, हमारे देश में अनेक भाषाएँ और उनकी लिपियाँ भी अलग हैं । किन्तु अगर हम अहिन्दी भाषी लोगों को देखें तो वे जहाँ बोलने में साफ-शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करते हैं, वहीं लेखन में भी वे नागरी लिपि में लिखते हुए हिन्दी की तत्सम शब्दावली का उपयोग करते हैं । इसी कारण प्रबुद्ध वर्ग देवनागरी लिपि के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में दूरी मिटाने का सपना देखता है । उनका कहना है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में अगर नागरी लिपि का प्रयोग किया जाए, तो उत्तर भारत के नागरिकों को सभी भाषाएँ पढ़ने-सीखने में आसानी होगी । वैसे भी भारतीय भाषाओं की एक लिपि होने से उनके बीच की दूरी मिटेगी और वे एक-दूसरे के अधिक निकट आ सकेगी । प्रोफेसर रसाल सिंह के अनुसार, "संस्कृत से उत्पन्न भारतीय भाषाओं और लिपिहीन भाषाओं और बोलियों की लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाकर यह शुरुआत की जा सकती है एवं "तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम आदि जिन भारतीय भाषाओं की अपनी पृथक लिपि है, उनकी लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने से कई सामाजिक-सांस्कृतिक संकीर्णताओं का हल हो सकता है । भारत एक बहुभाषिक, बहुलिपिक देश है, किन्तु बहुलता के बावजूद भारतीयता की अंतर्धारा को और अधिक पुष्ट करने में राष्ट्रभाषा हिन्दी की तरह ही राष्ट्रलिपि देवनागरी की बड़ी भूमिका हो सकती है। (लेख- नागरी लिपि मिटाएगी भारतीय भाषाओं की परस्पर दूरी, हिन्दी हिन्दुस्तान अखबार)

-संतोष बंसल
ए-1/7, मियाँवाली नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087

नई शिक्षा नीति एवं हिन्दी भाषा: संस्तुतियाँ एवं अवसर

पुष्पा शर्मा

व्यवहारिक जीवन शैली हो, व्यापार, चाहे अध्ययन हो, इन सब में संप्रेषण हेतु भाषा होना अत्यावश्यक है । यदि संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा हो, तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि मातृभाषा में जितनी सहज अभिव्यक्ति होती है, जितना अपनत्व होता है उतना किसी विदेशी भाषा में नहीं होता । भारतेंदु जी ने लिखा है-

अंग्रेजी पढ़ के जदपि, सब गुण होत प्रवीन ।
पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन ।।

संभवत: इसीलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष महत्त्व दिया है । स्वतंत्रोपरांत यह शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया उत्कृष्ट शैक्षिक सुधार है । इस नीति में विद्यालय स्तरीय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और इसके साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया गया है । इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशल ज्ञान के उन्नत अवसर प्रदान करना है, जिससे वे देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान दे सकें । सीखने की ऐसी संस्कृति प्रदान करना है जो जीवनपर्यंत सीखने का पारिस्थितिक तंत्र बनाकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकें । नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के सूत्र पर आधारित है। संक्षेप में कहें तो पाँच वर्ष की आयु से पूर्व बालक बालवाटिका में विशेष रूप से बाल शिक्षा शास्त्र और बाल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक गण की देख-रेख में शिक्षा ग्रहण करेगा । इसमें साक्षरता एवं अंक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है । अधिगम समग्र विकास करने वाला, समेकित, आनंददायी और चित्ताकर्षक होना चाहिए । इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है । इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो । इस नीति में समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है अर्थात् सभी स्तर के और सभी प्रकार के शिक्षार्थी एक ही स्कूल में पढ़ सकें ।

प्रथम पंचवर्षीय शिक्षा नीति में शिक्षार्थी दूसरी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जो खेल-खेल में ही दी जाएगी । आगामी 3 वर्षों में पाँचवी कक्षा तक की पढ़ाई करवा दी जाएगी । आगामी तीन वर्षों में छठी से आठवीं स्तर की शिक्षा पूर्ण होगी और तदुपरांत चार वर्ष नवीं से बाहरवीं स्तर की शिक्षा के लिए मान्य हैं। उल्लेखनीय व संस्तुति योग्य बात यह है कि इसमें क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करवाने पर विशेष बल दिया है । मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि बहुभाषियता नन्हें विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करती हैं ।

यदि प्राथमिक स्तर तक हमारी क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया जाएगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में रोजगार के अनगिनत अवसर उपलब्ध हो सकेंगे । ग्रामीण क्षेत्रवासी स्वावलंबी बन सकेंगे । जिन युवाओं को अंग्रेजी ना आने के कारण रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं, वे भी क्षेत्रीय भाषा ज्ञान के कारण कुछ अपनी पहचान बना सकेंगे । भारत, जहाँ लगभग 53% लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ इस नीति के अंतर्गत हिन्दी भाषा का प्रसार-प्रचार सातवें आसमान पर होगा, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है । यहाँ तक कि छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में भी त्रिभाषी सूत्र को लागू रखने का निर्णय लिया गया है और उसमें एक भारतीय भाषा को अनिवार्य किया गया है । विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और यहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा की पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं में अनूदित पुस्तकें शिक्षार्थियों को उपलब्ध करवाने पर भी विशेष बल दिया गया है, तो हम हिन्दी भाषा में पुस्तकों के मुद्रण एवं टंकण और हिन्दी में अनूदित पुस्तकों का सागर हिलोरे मारता देख सकते हैं । परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा से सम्बन्धित रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे वह लेखन हो, प्रकाशन, पत्रकारिता या विज्ञापन हो । नई शिक्षा नीति में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में भी अनिवार्य अंग्रेजी विषय के साथ एक भारतीय भाषा प्रस्तावित है । परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा के विकास और उत्थान के अनेक अवसर परिलक्षित हो रहे हैं । आजकल इंटरनेशनल स्कूलों में व उच्चस्तरीय कक्षाओं में हिन्दी लगभग समाप्त ही हो गई है, नई शिक्षा नीति लागू होने पर 11वीं कक्षा में भी हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के आने की तीव्र संभावनाएं हैं, जो अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए सुखद समाचार है ।

यद्यपि, संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या इतनी कम होती है कि मुद्रण में सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है । यदि उच्च कक्षाओं में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाने लगेगी तो हमारे जितनी भी प्रतियोगि परीक्षाएं हैं, वे क्षेत्रीय भाषाओं में होने लग जाएंगी । कितने खेद की बात है कि नई शिक्षा

नीति की विस्तृत जानकारी सरकार की वेबसाइट पर इंग्लिश में आसानी से उपलब्ध है, परंतु हिन्दी के लिए हमें विभिन्न वेबसाइट की खाक छाननी पड़ती है । हम जैसे हिन्दी भाषियों को उसका अनुवाद स्वयं करना पड़ता है । सरकार का यह नकारात्मक रवैया यह सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में भी यदि समस्त जानकारियां हिन्दी भाषा में नहीं मिलेगी तो आम जनता क्या करेगी? उसके पास तो एक ही विकल्प रह जाएगा, वह है अंग्रेजी सीखने का । क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलन से अध्यापन क्षेत्र, ब्लॉग राइटिंग, संपादन कार्य, शोध कार्य और लेखन आदि क्षेत्रों में भी रोजगार की अभिवृद्धि होगी । विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है । संभवत: नई शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन से विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी भाषा को सीखने और सिखाने वालों में वृद्धि अवश्य होगी । नई नीति गाँवों में और वहाँ के विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय खोलने पर बल दे रही है । हर क्षेत्र में जहाँ आजकल अंग्रेजी की तूती बोलती है वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक व सामाजिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिए, भारतीयता की गौरवमयी अनुभूति के लिए मातृभाषा और अपनी राजभाषा का चहुं ओर बोलबाला होना आवश्यक है । सुप्रीम कोर्ट के एक जज को तो मैंने यह कहते सुना है कि यदि आप वकालत में आना चाहते हो तो आपकी अंग्रेजी में बोलने की और लिखने की दक्षता होनी ही चाहिए अन्यथा आप सफल वकील नहीं बन सकते । वह देश जहाँ आधी से ज्यादा जनता गाँवों में रहती है, वहाँ यदि न्याय के लिए ही व्यक्ति को विदेशी भाषा पर निर्भर रहना पड़ेगा तो वह कानून क्या समझेगा और कानून उसे मूर्ख क्यों ना बनाएगा ? लाल बहादुर शास्त्री जी की एक उक्ति है-

हिन्दी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है,
उसे हमें अपनाना है।

संभवत: लाल बहादुर शास्त्री जी के देहावसान के इतने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति-2020 उनके इस स्वप्न को साकार करने का प्रयास करेगी और यदि हमारे मस्तिष्क में विकसित राष्ट्र की परिकल्पना है तो हिन्दी और हमारी अन्य भाषाओं को विकसित करना होगा, क्योंकि हमारी भारतीय भाषाएँ हीं हमारी भारतीय संस्कृति और कला को अपनत्व की चादर में लपेटे हुए हैं ।

-पुष्पा शर्मा
गुरुग्राम (हरियाणा)

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की नि: शुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नि:शुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 65-70 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी बनाया गया है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
2. सभाकक्ष की नि:शुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।
4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट : नि:शुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
प्लॉट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110085
ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com
मोबाइल- 9873556781 / 9968097816
वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

भारतीय भाषाएँ एवं भाषिक प्रौद्योगिकी

भविष्य में, संसार में वे भाषाएँ ही टिक पाएँगी जो भाषिक प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इतनी विकसित हो जाएँगी जिससे इन्टरनेट पर काम करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए उन भाषाओं में उनके प्रयोजन की सामग्री सुलभ होगी। भाषिक प्रौद्यौगिकी के संदर्भ में भारतीय भाषाओं की प्रगति एवं विकास के लिए, मैं एक बात की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। व्यापार, तकनीकी और चिकित्सा आदि क्षेत्रों की अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने माल की बिक्री के लिए सम्बंधित सॉफ्टवेयर ग्रीक, अरबी, चीनी सहित संसार की लगभग 30 से अधिक भाषाओं में बनाती हैं, मगर वे हिन्दी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं का पैक नहीं बनाती। मेरे अमेरिकी प्रवास में, कुछ प्रबंधकों ने मुझे इसका कारण यह बताया कि वे यह अनुभव करते हैं कि हमारी कम्पनी को हिन्दी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं के लिए भाषा पैक की जरूरत नहीं है। हमारे प्रतिनिधि भारतीय ग्राहकों से अंग्रेजी में आराम से बात कर लेते हैं अथवा हमारे भारतीय ग्राहक अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं। उनकी यह बात सुनकर मुझे यह बोध हुआ कि अंग्रेजी के कारण भारतीय भाषाओं में वे भाषा पैक नहीं बन पा रहे हैं जो सहज रूप से बन जाते। हमने अंग्रेजी को इतना ओढ़ लिया है, जिसके कारण न केवल हिन्दी का, अपितु समस्त भारतीय भाषाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है।

जो कम्पनी ग्रीक एवं अरबी में सॉफ्टवेयर बना रही हैं वे हिन्दी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर इस कारण नहीं बनातीं, क्योंकि उनके प्रबंधकों को पता है कि उनके भारतीय ग्राहक अंग्रेजी मोह से ग्रसित हैं। इस कारण हिन्दी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं की भाषिक प्रौद्योगिकी पिछड़ रही है। इस मानसिकता में जिस गति से बदलाव आएगा उसी गति से हमारी भारतीय भाषाओं की भाषिक प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा। हिन्दी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं की भाषिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कम-से-कम विदेशी कम्पनियों से भारतीय भाषाओं में व्यवहार करने का विकल्प चुने। उनको अपने अंग्रेजी के प्रति मोह का तथा अपने अंग्रेजी के ज्ञान का बोध न कराए। जो प्रतिष्ठान आपसे भाषा का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करते हैं, कम-से-कम उसमें अपनी भारतीय भाषा का विकल्प चुने। आप अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करें ख्र यह स्वागत योग्य है। आप अंग्रेजी सीखकर, ज्ञानवान बने- यह भी 'वेल्कम' है। मगर जीवन में अंग्रेजी को ओढ़ना-बिछाना बंद कर दें। ऐसा करने से आपकी भाषाएँ विकास की दौड़ में पिछड़ रही हैं। भारत में, भारतीय भाषाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। इस पर विचार कीजिए। चिंतन कीजिए। मनन कीजिए।

प्रो. महावीर सरन जैन

-प्रो. महावीर सरन जैन
सेवानिवृत्त निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, भारत सरकार

पृष्ठ संख्या 21 का शेष

इन योजनाओं के लाभ:

डिजिटल समावेश: यह योजनाएं उन लोगों को भी डिजिटल सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते।

सुविधा: चैटबॉट के माध्यम से लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

पारदर्शिता: चैटबॉट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना अधिक पारदर्शी होता है।

भविष्य की संभावनाएँ:

अधिक भाषाओं में विस्तार: आने वाले समय में चौटबॉट अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे।

नई सुविधाएं: चैटबॉट में कई नई सुविधाएँ जैसे कि वॉइस सर्च और वॉइस असिस्टेंट जोड़ी जाएंगी।

विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग: चैटबॉट का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

भारत सरकार की ये योजनाएँ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बॉट्स में हिन्दी का उपयोग वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में अपनी जगह बना चुका है और भविष्य में इसकी संभावनाएं अनंत हैं। यह न केवल संवाद और सेवाओं को सरल बनाएगा बल्कि हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तकनीकी और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए, हिन्दी बॉट्स समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे।

-विजय प्रभाकर नगरकर
सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी
बीएसएनएल, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

प्रौद्योगिकीकरण के दौर में बदलती हिन्दी भाषा की तकनीक

डॉ. मनोज कुमार

गत पिछले 30-35 वर्षों में आधुनिक तकनीकि के विकास से आज सम्पूर्ण विश्व में एक व्यापक स्तर पर बदलाव आया है। आज का दौर 'वैश्वीकरण' का दौर है। वैश्वीकरण का सीधा सम्बन्ध 'बाजारवाद' से है और बाजार का सीधा सम्बन्ध 'भाषा' से है। बाजार में ही भाषा के रूप बनते-बिगड़ते हैं और कालांतर में स्थायी हो पाते हैं। आज बाजार ने राष्ट्रीय सीमाएँ तोड़ दी है, क्योंकि प्रत्येक देश चाहता है कि उसका माल बिके, सात समुंदर पार बिके। माल बाजार में बिकेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा। इस भूमंडलीकृत उपभोक्ता व्यवस्था के अंतर्गत एक ओर यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं तथा संसाधनों के मुक्त आदान-प्रदान की छूट मिली है, तो दूसरी ओर देश की भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अब यह सम्बन्धित भाषा पर निर्भर है कि वह किस प्रकार इन नई चुनौतियों का सामना करती है। जो भाषा जितनी उदार होगी और समय के साथ-साथ बदलती चली जाएगी, वह उतनी ही लोकप्रिय होगी। उसकी जीवन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आज किसी भी देशी या विदेशी कंपनी को अपना कोई उत्पाद भारतीय बाजार में उतारना होता है, तो उसकी पहली नजर 'हिन्दी क्षेत्र' पर पड़ती है। आज सभी को बखूबी पता है कि 'हिन्दी' आम जन के साथ-साथ उपभोक्ता की भाषा है। इसी परिणामस्वरूप हिन्दी धीरे-धीरे वैश्विक अथवा ग्लोबल बनती जा रही है। भारत की असली ताकत हिन्दी एवं उसकी अन्य भारतीय भाषाएँ हैं। हिन्दी भाषा को देश की आधी से अधिक जनसंख्या बोलती एवं समझती है। विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच अधिकतर हिन्दी भाषा ही संवाद-सेतु का काम करती है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो बाजार बिकने वाली वस्तु की ताकत को देखता है और हिन्दी भाषा में वह ताकत है। यही कारण है कि आज सर्वाधिक विज्ञापन भी हिन्दी में आते हैं तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी हिन्दी का प्रभाव बढ़ रहा है। बाजारवाद के कारण हिन्दी भाषा का एक नया रूप 'फंक्शनल हिन्दी' बनकर सामने आया है। यह उपभोक्ता समाज की हिन्दी है, जो हिन्दी के पारंपरिक साहित्यिक स्वरूप से भिन्न है। यह हिन्दी का एक नवीन विकासशील आयाम है।

भाषाविदों के अनुसार भाषा के तकनीकी परिदृश्य में तीन पक्षों की प्रमुख भूमिका होती है- तकनीक विकसित करने वाला समूह यानी कि आईटी कंपनियां, भाषाई तकनीक के लिए पारिस्थितिकी तैयार करने वाला दूसरा वर्ग यानी कि सरकार, नियामक, मानक-संस्थान, शोध संस्थान आदि और तकनीक का प्रयोग करने वाला समूह अर्थात् प्रयोक्ता। यह बेहद सुखद बात है कि हिन्दी को विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए आज तकनीकी दृष्टि से कोई विशेष चुनौती शेष नहीं रह गई है। पहले वर्ग ने अपना काम बखूबी कर दिखाया। दूसरा यानी पारिस्थितिकी के स्तर पर भी ठीक-ठाक काम हो चुका है और आज भी जारी है। अब दारोमदार तीसरे वर्ग पर है। देखने की जरूरत है कि वह वर्ग, जिसे आप और हम बनाते हैं, हिन्दी के तकनीकी विकास में कैसी भूमिका निभा रहा है। साथ-ही-साथ हमारे युवा, हमारे उद्यमी, नए दौर के डेवलपर, स्टार्टअप आदि की भूमिका को भी आँकने की जरूरत है।

आज कई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अंतर्निर्मित हिन्दी यूनिकोड की सुविधा के साथ आ गये हैं। गूगल पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने 'भारतीय भाषा इंटरनेट गठबंधन' बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल 'वेबदुनिया' को प्रमुख संस्थापक के रूप में शामिल किया गया है। वेबदुनिया की शुरुआत 23 सितंबर, 1999 को हुई थी। यह वह समय था जब इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में समाचार समेत अन्य कंटेंट के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज वेबदुनिया हिन्दी समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती व मराठी आदि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आज गूगल हिन्दी में वॉइस सर्च, हिन्दी की-बोर्ड, ट्रांसलेशन आदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा चुका है, जिसके माध्यम से हिन्दी भाषा में सरलतापूर्वक कार्य किया जा सकता है। आज विश्व में लगभग 245 उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, जिन में हिन्दी-शिक्षण एवं अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। आज सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो यह है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का विकास किया जाए। विज्ञान को हिन्दी में सोचा और लिखा जाए। निसंकोच इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, अनुवादकों एवं शोधार्थियों आदि सभी को हिन्दी में विज्ञान लेखन को एक आंदोलन के रूप में लेना होगा। आवश्यकता इस बात की भी है कि हिन्दी रोजगार और माध्यम की भाषा बने। अभी हाल ही में म.प्र. सरकार द्वारा मेडिकल की पढ़ाई एवं पुस्तकों का हिन्दी भाषा में लोकार्पण किया गया, जो कि निसंदेह इस क्षेत्र में नए आयाम विकसित करेगा। आज हिन्दी में

अच्छे फॉन्ट आ गए हैं। कई किस्म के टाइपिंग की-बोर्ड भी आ गए हैं, जिसमें 'यूनिकोड' प्रमुखत: से उभरा है। ध्वनि से टाइपिंग की तकनीक, व्याकरण की, पुराना टेक्स्ट भी कनवर्ट, हिन्दी में खोज, हिन्दी में मोबाइल ऐप, हिन्दी में सोशल नेटवर्किंग आदि आ गए हैं । ई-मेल और ब्लॉगिंग की सुविधा भी अब हिन्दी भाषा में उपलब्ध है । अखबारों से लेकर वीडियो चैनलों तक के अनुप्रयोगों में हिन्दी चलने लगी है । ग्राफिक्स और एनिमेशन में हिन्दी देखी जा सकती है । ओसीआर, हस्तलिपि की पहचान जैसे आधुनिक अनुप्रयोग भी हिन्दी भाषा में आ गए हैं । सभी जरूरी सॉफ्टवेयरों का हिन्दीकरण भी होने लगा है ।

हिन्दी को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका बाजार, मीडिया एवं हिन्दी फिल्मों ने निभाई है । हिन्दी हमेशा से सिर्फ किसी एक प्रांत, एक प्रदेश की भाषा नहीं रही है, बल्कि देश की भाषा है, जिसके चलते इसे दूसरे प्रांतों और देशों में समझने लायक बनना पड़ा । कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से नई-नई चीजें हमारे बीच आईं और इनके साथ-साथ एक अलग तरह की हिन्दी भी, जो सामान्य मानव की समझ के स्तर की थी । जो शब्द हमेशा आते हैं, वे या तो किसी वस्तु की व्याख्या करने, समझाने के लिए या फिर कॉन्सैप्ट की धारणा, अवधारणा के लिए आते हैं । वस्तुएं भी बाहर से आएँगी और तकनीक भी, तो उनके पीछे-पीछे आने वाला दर्शन हिन्दी को अपने आप ग्लोबल कर देगी । जो लोग हिन्दी से दूर भागते थे और खुद को अंग्रेजीमय कहलाना पसंद करते थे, वे अब नई वाली हिन्दी की बदौलत ही हिन्दी में बोलने, लिखने और पढ़ने में गर्व महसूस करते हैं । विश्व अब यह जान चुका है कि भारतीय चिन्तन एवं दर्शन का मूल स्रोत हिन्दी है । भारत की आत्मा को हिन्दी भाषा के माध्यम से जाना-समझा जा सकता है ।

वैश्वीकरण से उत्पन्न इन नई परिस्थितियों के आलोक में विश्व स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बढ़ गई है। लगभग एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं, जिनमें आधे से अधिक हिन्दी से परिचित ही नहीं, अपितु उसे व्यवहार में भी लाते हैं । अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कही जाती है । गत पचास वर्षों में हिन्दी की शब्द संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो । विदेशों में हिन्दी के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार का कार्य हो रहा है । यही नहीं दूरसंचार माध्यमों, फिल्मों, गीतों हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं आदि ने भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई है । अब भाषाई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एप बनाना बहुत जटिल काम नहीं रहा । लगभग हर तरह का सॉफ्टवेयर आज हिन्दी में काम करता है । पहले हिन्दी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते थे, किन्तु यूनिकोड के आने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही । माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरप्वाइंट से लेकर फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ तक में हिन्दी चलती है । चीजें सुगम हो गई हैं, तो प्रयोग भी बढ़ रहा है ।

एक प्रकार से देखा जाए तो आज हिन्दी भाषा का व्यापक प्रयोग जनसंचार माध्यमों की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है । मुक्त बाजार और वैश्वीकरण के दबावों ने हिन्दी को जरूरत और माँग के अनुकूल ढालने में भूमिका निभाई है । विश्व में अब उसी भाषा को प्रधानता मिलेगी जिसका व्याकरण संगत होगा, जिसकी लिपि कम्प्यूटर की लिपि होगी । चूँकि हिन्दी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक आधार पर बना है । कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नॉलॉजी विकास नामक परियोजना के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं । कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के सहारे हिन्दी शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होने की संभावना बढ़ गई है । वर्तमान स्थिति में वेबसाइट पर हिन्दी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश उपलब्ध है । इसी तरह अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है । सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी भाषा का प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है । कई विदेशी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर हिन्दी भाषा को स्थान दिया है । विदेशी भाषाओं की फिल्में हिन्दी में डब की जा रही है । आज टेक्नॉलॉजी की भाषा को आम आदमी के नजदीक पहुँचाने की आवश्यकता बढ़ गई है । हिन्दी में भी कम्प्यूटर शब्दावली के निर्माण में हमें बाजार और प्रयोक्ता को ध्यान में रखना होगा । इसके साथ ही हमें याद रखना होगा कि तकनीक मात्र एक साधन है, वह उद्देश्य नहीं है और मर्म भी नहीं है । तकनीक की कमी और उसकी सीमाएँ एक बहाना हो सकती हैं, किन्तु वह स्थायी रूप से व्यस्त बने रहने का सार्थक माध्यम नहीं है ।

-डॉ. मनोज कुमार
सहायक आचार्य, किरोड़ीमल महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

दो पाठ्यक्रम के विचारणीय प्रश्न

शिक्षा सुधार की प्रक्रिया में नया विचार दसवीं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी दो तरह का वैसा ही पाठ्यक्रम बनाने पर विचार हो रहा है जैसा गणित विषय में पहले से ही है। दसवीं के गणित में कुछ विद्यार्थी बेसिक गणित में परीक्षा देते हैं और दूसरे स्टैंडर्ड गणित में। बेसिक गणित की तुलना में स्टैंडर्ड में अपेक्षाकृत कठिन सवाल होते हैं और यही विद्यार्थी आगे चलकर इंजीनियरिंग आदि की परीक्षा देने में समर्थ होते हैं। यहाँ तक कि 11वीं-12वीं में गणित पढ़ने की आजादी इन्हीं को दी जाती है। गणित के लिए इस बात पर कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति और कुछ दूसरी कठिन परिकल्पनाएं एक स्तर के बाद काम नहीं आती ।इसके पीछे के इतिहास को याद करें तो किसी वक्त 50 वर्ष पहले नवीं-दसवीं में लड़कियों के लिए गणित की जगह होम साइंस का विकल्प रहता था। हालांकि अब वक्त बदल गया है और समाज की समझ में भी यह बात आ गई है कि लड़कियाँ भी गणित और विज्ञान में उतनी ही प्रतिभा रखती हैं, जितनी लड़के । यही कारण है की ताजा आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में 30% लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रही है। मौजूदा सरकार ने तो एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आईआईटी में 20% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी हैं।

लेकिन दो अलग तरह के पाठ्यक्रम की यही बात विज्ञान और सामाजिक विषयों के लिए सही नहीं होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ही बच्चों की समझ को मुकम्मल बनाती है और इसीलिए इन विषयों को दुनिया भर में दसवीं तक अनिवार्य रूप से सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया समझाया जाता है। शिक्षा की बुनियाद यही विषय बनाते हैं। विज्ञान जहां तर्कशील प्रयोगधर्मी बनाता है वहीं सामाजिक विज्ञान समाज देश दुनिया की राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास की समझ पैदा करता है और यह हर बच्चे के लिए समान रूप से अनिवार्य होना ही चाहिए । ऐसी शिक्षा ही उन्हें स्वावलंबी बनाएगी और यही लोकतंत्र के हित में है। किसी भी रूप में इसे हल्का बनाने से शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा।

इसके पीछे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने का विचार हावी लगता है। लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। इसे कोटा या दूसरी आत्महत्या से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि उन बच्चों में मानसिक तनाव उनके समाज, माँ-बाप के दबाव और नंबरों की अंधी दौड़ है, इन विषयों का दबाव नहीं।

प्रेमलता शर्मा

शिक्षा का अर्थ केवल क्लास पास करना या कुछ नंबर ज्यादा लाना ही नहीं होता, उसे ऐसा मुकम्मल नागरिक बनाना होता है जैसे ब्रिटेन की शिक्षा में। उनसे शब्द उधार लें तो 15 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थी पूरी दुनिया में घूमने और संवाद करने की क्षमता रखता हो। यह विज्ञान और दूसरे विषयों को और बेहतर ढंग से पढ़ने से ही संभव हो सकता है, पाठ्यक्रम की काट-छांट से नहीं ।

गणित के अनुभव से ही सबक ले तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। दिल्ली के निजी महंगे स्कूलों में सभी बच्चे जहाँ स्टैंडर्ड गणित पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बेसिक कारण : स्टैंडर्ड गणित वाले अमीर बच्चों से आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनने-पढ़ने की उम्मीद की जाती है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के प्रति एक उदासीन रवैया है। यदि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी यह कर दिया तो सरकारी स्कूलों के प्रति नजरिया और गिर जाएगा। जहाँ अंग्रेजी ने प्राइवेट स्कूल और निजी शिक्षा को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यह कदम भी सरकारी स्कूलों को और कमजोर कर देगा ।सरकारी स्कूलों में सबसे गरीब तबका ही देश के ज्यादातर स्कूलों में पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा वे रोजाना खेती-किसानी और दूसरे व्यवसाय में भी लगे होते हैं। अपने मां-बाप की मदद करते और अपने जीवनयापन के संघर्ष में हमें उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ना कि और कमजोर करने की।

इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को मदद मिलेगी ? हो सकता है जैसे अंग्रेजी, सरकारी नौकरियों में अपनी ज्यादा हैसियत रखती है वैसे ही ऐसे दोहरी पाठ्यक्रम की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और पीछे रह जाएंगे। यह उस विचार को भी धक्का देता है जब हम दौलत सिंह कोठारी आयोग की समान शिक्षा की बात नई शिक्षा नीति में कर रहे हैं और जिसके तहत नीट परीक्षा, आई आई टी परीक्षा या पिछले दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालय में समान

प्रवेश परीक्षाएँ शुरू की गई है। इसका एक और दुष्परिणाम हो सकता है। पिछले दिनों हमारे देश के निजी स्कूलों से निकले इंजीनियरों की क्षमता और स्किल पर दुनिया भर में प्रश्न उठ रहे हैं कि उनमें से 70% के पास डिग्री होने के बावजूद, वे सक्षम नहीं हैं । तो ऐसी चुनौती के बीच तो हमें अपने पाठ्यक्रमों को और बेहतर करने की जरूरत है । नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर तो दिया गया है, लेकिन अभी उसके परिणाम आने बाकी हैं। ना प्राइमरी स्तर पर अपनी भाषाओं में पढ़ाई में विशेष प्रगति हुई और ना स्कूली स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 11वीं-12वीं और दूसरे स्तरों पर अपनी मर्जी से विषय लेने की जो बात 4 साल पहले हुई थी, वहाँ भी हम कदम नहीं बढ़ा पाए। लौट कर फिर वही ढाँचा यथावत जारी है, बल्कि उसमें और गिरावट आई लगती है जिसका प्रमाण देश से बाहर जाकर पढ़ने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में आत्महत्या करने वाले सबसे बड़ी संख्या भारत के विद्यार्थियों की है । इसे विकास के मॉडल में एक बड़ी त्रासदी ही कहा जाएगा।

आज इसरो की सफलता या इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी आदि से निकले बच्चों की सफलता का लोहा दुनिया भर के देश मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उन संस्थानों का योगदान रहा है । इसलिए हमें उन आजमाई हुई नीतियों के कार्यान्वयन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, बजाय बच्चों और स्कूलों में भेदभाव के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की। शिक्षा के बदलाव भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं । 50 के दशक में अंतरिक्ष विज्ञान में जब रूस स्पूतनिक को भेज कर आगे बढ़ता नजर आया, तो अमेरिका ने 60 के दशक में ही अपनी विज्ञान नीति को ऐसा आमूलचूल बदला कि आज तक वह अग्रणी बना हुआ है। यूरोप के भी अनुभव ऐसे रहे हैं और इसीलिए वहाँ ऐसे सैकड़ों वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र तक अपनी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज की है।

ऐसे रोज-रोज के सभी बदलाव शिक्षा में ऐसी जटिलताएँ पैदा कर रहे हैं, जिनके कार्यान्वयन में समूचा तंत्र भी शिक्षा के असली मुद्दों से दूर होता जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी बिना परीक्षा दिए आठवीं क्लास तक पास करने की ऐसी ही लोक लुभावना नीति लागू की थी, जिसके परिणाम गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। वक्त आ गया है कि हम 21वीं सदी के अनुरूप अपनी विज्ञान और सामाजिक शिक्षा को दुनिया भर की शिक्षण पद्धतियों सीखते हुए ऐसा बनाएं कि दुनिया भर के लोग विश्व गुरु भारत में पढ़ने के लिए लालयित हों !

आगामी आयोजन

'तृतीय हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान' एवं 'साझा दोहा संग्रह' के निःशुल्क प्रकाशन योजना-2024 के संदर्भ में ।

महत्त्वपूर्ण सूचना

प्रिय मित्रो,

अकादमी ने प्रथम और द्वितीय 'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान' का आयोजन क्रमशः 'गीत' तथा 'गजल' विधा पर किया था । अकादमी ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष 'तृतीय हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान' साहित्य की 'दोहा' विधा को केन्द्र में रखकर आयोजित किया जाए और चयनित दोहों का एक साझा संग्रह प्रकाशित किया जाए ।

- योजना में सम्मिलित होने के लिए कोई सहयोग राशि, पंजीकरण शुल्क, प्रकाशन शुल्क अथवा सदस्यता शुल्क नहीं है।
- योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक रचनाकारों से उनके 15 दोहे, संक्षिप्त परिचय और एक पासपोर्ट आकार का फोटो आमंत्रित है ।
- इस योजना में प्राप्त प्रविष्टियों में से कुल 50 श्रेष्ठ दोहाकारों का चयन निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा ।
- इनमें से चयनित सर्वश्रेष्ठ दोहाकार को एक भव्य समारोह में कुल रूपये 5100/- नगद सम्मान राशि, सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा ।
- योजना में चयनित अन्य प्रतिभागियों को भी सम्मान समारोह में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा । इसी अवसर पर 'साझा दोहा संग्रह' पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी एक-एक प्रति सभी रचनाकारों को भेंट की जायेगी ।
- इच्छुक रचनाकारों से आग्रह है कि अपने स्वरचित व मौलिक 15 दोहे, 15 अगस्त, 2023 तक (यूनिकोड फॉण्ट, वर्ड फाइल के रूप में) अकादमी के निम्नलिखित ई-मेल पर भेजें- hindustanibhashaakadami@gmail-com

हिन्दी और लुप्त होती भारतीय भाषाएँ

भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिन्दी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसे देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। परंतु आधुनिकता और वैश्वीकरण के दौर में कई भारतीय भाषाएँ धीरे-धीरे लुप्त होने की कगार पर हैं। किसी भाषा विशेष की हानि हमेशा न केवल किसी देश की विरासत के लिए, बल्कि पूरे मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्षति है। भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन में रहा है। यही कारण है कि यहाँ के कानून, पाठ्यक्रम, शासन-प्रशासन पर अंग्रेजी का प्रभाव अधिक दिखता है। आज लोग अधिकतर नई भाषाएँ जैसे जर्मन, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाएँ सीख रहे हैं, जिससे स्थानीय भाषाओं के प्रति उनका रुझान कम हो रहा है।

आज हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी अपनी मूल भाषा को नहीं सीखना चाहती। आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगकर हम अपने आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा से लगातार दूर करते चले जा रहे हैं। हमारी भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होती है। भाषा के माध्यम से हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं। आज के युग में भाषाओं की विलुप्ति का कारण कहीं-न-कहीं भूमंडलीकरण भी है। हमने यह कहावत अपनी किताबों में तो पढ़ी ही है, "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी", इसी प्रकार हमारी भाषा भी कहीं खोती जा रही है। डिजिटल क्षेत्र की प्रमुख सामग्री अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है और इसलिए, अन्य भाषाओं को हाशिए पर डाल दिया गया।

हिन्दी भारत की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह करोड़ों भारतीयों के लिए संवाद का प्रमुख माध्यम है। हिन्दी साहित्य, सिनेमा और मीडिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। किन्तु यह भी सच है कि हिन्दी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। भाषाओं की विलुप्तिकरण को रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने घर से प्रयास करना होगा। घर में बच्चों को इसे सिखाने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाकर बच्चों को अपने क्षेत्र की भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भाषा का सम्बन्ध साहित्य, संस्कृति, परिवेश, अस्मिता, खान-पान और रहन-सहन से है। भाषा समाज का वास्तविक प्रतिबिम्ब होती है। भाषा प्रचलन का विषय है, इसलिए भाषा को बचाने के लिए समाज में उसके प्रचलन को बढ़ाना अति आवश्यक है।

सोनी गुप्ता

-सोनी गुप्ता
हिन्दी अध्यापिका
कालका पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली-110019

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंनी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली, कोंकड़ी, पवारी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है। पत्रिका के आगामी अंक हेतु कृपया जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा और उसका साहित्य, हिन्दी और जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक हिन्दी साहित्य में जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा की उपस्थिति, मातृभाषा शिक्षा और जौनसारी/कन्नड़/मलयालम की स्थिति, जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा के संरक्षण में सरकार एवं समुदाय की भूमिका आदि से सम्बंधित सारगर्भित लेख 20 मई 2025 तक नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com

रिपोर्ट

राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता-2024' का आयोजन सम्पन्न

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में सोमवार, 18 नवम्बर, 2024 को हिन्दी भवन में दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा पर केन्द्रित राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता-2024' का आयोजन सम्पन्न हुआ।

अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया। निर्णायक मंडल के रूप में प्रो. रवि शर्मा 'मधुप', श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीमती सरोज शर्मा, सेवानिवृत्त सचिव, दिल्ली नगर निगम एवं डॉ.अनुराग सिंह 'शेखर', सहायक आचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय मंचासीन थे। अन्य मंचासीन अतिथियों के रूप में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक, हिन्दी अकादमी के सचिव श्री संजय कुमार गर्ग और उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा उपस्थित थे। अपने स्वागत वक्तव्य में श्री सुधाकर पाठक ने भाषण प्रतियोगिता की परिकल्पना और इसके उद्देश्य को रेखांकित किया।

भाषण हेतु शिक्षकों को पाँच विषय दिए गए थे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करके उन्हें अपना सारगर्भित भाषण प्रस्तुत करना था। यह विषय थे- हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, हिन्दी कैसे बने ज्ञान, विज्ञान और शोध की भाषा ?, हिन्दी में रोजगार की संभावनाएँ, युवा पीढ़ी में हिन्दी के प्रति अरुचि: कारण एवं समाधान और समाचार माध्यमों में हिन्दी की स्थिति। इस प्रतियोगिता में दिल्ली प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने बड़े उत्साह से सहभागिता की।

निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार इस प्रतियोगिता में रामजस स्कूल, पूसा रोड की शिक्षिका सुश्री चंद्रवती ने प्रथम स्थान, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी के शिक्षक डॉ. चंदन ने द्वितीय स्थान, अटल आदर्श बालिका विद्यालय, गोल मार्केट की शिक्षिका सुश्री दीपिका अरोड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त डॉ. भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, आई.पी एक्सटेंशन के शिक्षक श्री कुमार रोशन और राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिंधु की शिक्षिका सुश्री रश्मि देवी ने प्रोत्साहन स्थान प्राप्त किया। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक, हिन्दी अकादमी के सचिव श्री संजय कुमार गर्ग एवं उपसचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा द्वारा सभी विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में क्रमश: 7000/-, 5000/-, 3000/-, 2000/-, 2000/- सम्मान राशि के साथ स्मृति चिह्न, प्रमाण-पत्र और पुस्तकों का सेट भेंट करके सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सम्मिलित अन्य शिक्षकों को सहभागिता प्रमाण-पत्र और पुस्तक सेट भेंट करके सम्मानित किया गया।

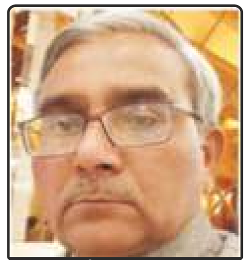
विनोद पाराशर

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के संयुक्त सम्पादक, अनुवादक एवं युवा कवि श्री राजकुमार श्रेष्ठ ने कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथियों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अकादमी के सम्पादकीय सलाहकार एवं वरिष्ठ कवि श्री विनोद पाराशर ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सुधा शर्मा ने प्रतियोगिता संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। शिक्षकों ने इस आयोजन को बहुत सराहा तथा भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहने का अनुरोध किया, जिससे उनका ज्ञानवर्धन होता रहे।

-विनोद पाराशर

राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता-2024' आयोजन के चित्र

दिल्ली प्रदेश के शिक्षकों के लिए आयोजित राज्यस्तरीय 'अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता' में प्रथम स्थान प्राप्त भाषण

युवा पीढ़ी में हिन्दी के प्रति अरुचि: कारण एवं समाधान

नया प्रकाश चाहिए,
युवा में निज भाषा प्रति
प्रेम -राग चाहिए ।
जोड़े जो जड़ से उन्हें
वे सार्थक प्रयास चाहिए ।

▲ रिश्तेदारों, मेहमानों के आगमन पर अंग्रेजी चालीसा का पाठ करते बालक

▲ अपनी मित्र मंडली में अंग्रेजी में गिटपिट कर सम्मान पाते छात्र

▲ पब्लिक स्कूलों में बढ़ती अंग्रेजी

▲ निजी और सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी में होते साक्षात्कार

▲ सेना प्रमुख, राजनेताओं और युवाओं के आदर्श फिल्मी सितारों के अंग्रेजी में छपते इंटरव्यू

जीवन में हम जिन असंगतियों के लिए बहुत घबराया करते हैं, वे तो समय पाकर छिन्न-भिन्न हो जाती हैं । किंतु जिनके सम्बन्ध में कभी किसी प्रकार के व्यवधान की कल्पना भी नहीं की होती, वही एक दिन नागपाश बन हमको ग्रस लेती है । विदेशी भाषा के बढ़ते वर्चस्व का यह घेरा युवा में हिन्दी के प्रति अरुचि का कारण है।

नौकरशाही को वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया गया; भाषा, भूषा, भोजन, शिक्षा का वैसा ही अनुकरण किया गया, जैसा अंग्रेज छोड़ गए थे । भौतिक जीवन पद्धति ने युवा पीढ़ी के आगे प्रतिस्पर्धा और सुविधाजीवी होने की आकांक्षा ही रखी है और इसकी पूर्ति अंग्रेजी के बाजारवाद से ही होती है । इस दौड़ से वंचित युवा वर्ग के लिए नए अवसर निर्मित करने में सरकारें असफल रही हैं । यह इस देश का दुर्भाग्य है कि कॉन्वेंट स्कूल आज अंग्रेजी के पुजारी पैदा कर रही है ।

अपेक्षा और वास्तविकता के बीच भारी अंतराल है ।
युवा आज हाईटेक हो, ग्लोबल बन गया ।
डॉलर-पाउंड में कमा, घर-परिवार का स्टार बन गया ।

आज माता-पिता को गर्व होता है कि बेटा अच्छी अंग्रेजी बोल, अच्छी नौकरी में है । किन्तु उसे पंजाबी, मराठी, भोजपुरी अपनी मातृभाषा ही नहीं आती । जिस विषय पर आँखें नीची होनी चाहिए थी, वही शान का विषय है ।

संविधान का प्रारूप मूल रूप से अंग्रेजी में, सरकारी दफ्तर में महत्त्वपूर्ण काम अंग्रेजी में, अदालतें भी अंग्रेजी के इस मोहपाश से अछूती नहीं है; बहस, न्याय सब अंग्रेजी में । इंटरनेशनल स्कूलों में अंग्रेजी बोलने पर स्टार और हिन्दी बोलने पर दंड दिया जाता है । ज्ञान और आर्थिक विकास की वाहिका अंग्रेजी को मानने वाले प्रोफेसर अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से हिन्दी युवा में हीनता और कुंठा का संचार कर रहे हैं । एकल परिवार में पली जिस युवा पीढ़ी के कंधों पर हम विकसित भारत का सपना संजो रहे हैं, वह तो अपनी मातृभाषा, जमीन, विरासत, संस्कार से कटी हुई है । वह बाहर जाकर चाकरी करना पसंद करती है । गिरमिटिया मजदूर की तरह अपनी भाषा, संस्कार साथ लेकर नहीं चलती । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्में भी उन्हें उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहाँ वह बोंसाई बन अपनी जड़ों से कटते हैं । आज जरूरी है कि अपने घर- आँगन और चलते-चलते सरकारी तंत्र को भी झाड़-बुहार लिया जाए । अपने हृदय में झाँक लिया जाए, पूरे समाज की मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाए ।

केंद्र सरकार तो आज भाषा के स्तर पर काम कर ही रही है। अब शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर भाषा की जड़ों को सिंचना होगा, हिन्दी में समाचार-वाचन, रोचक कहानियों से लेकर, महाभारत, रामायण, गीता-सार तक कक्षा में पढ़ाई जाए । हिन्दी के कालांश में केवल हिन्दी में बात तथा मानक हिन्दी बोलने वाले छात्रों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए । शब्द-भंडार को वर्ग पहेली, सांप-सीढ़ी जैसी रोचक गतिविधियों से पुष्ट किया जाए । महाविद्यालय, कार्य स्थलों पर समय-समय पर समसामयिक विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, अंताक्षरी आदि का आयोजन होना चाहिए । पंचतंत्र जैसी नैतिक कहानियों पर आधारित लघु फिल्में अगर युवा को दिखाई जाए, तो निश्चित रूप से उनका शब्द भंडार तो समृद्ध होगा ही साथ ही वे अपनी भाषा और संस्कार से जुड़ेंगे ।

रात कभी पूर्ण नहीं होती
दुख के अंत में खुली हुई खिड़की
हमेशा होता एक स्वप्न जो जागता रहता है ।

-सुश्री चंद्रावती
रामजस स्कूल, पूसा रोड, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी देश में उपेक्षित विदेश में सुपरहिट

हिन्दी की हालत ऐसी है कि हम भारत में बात करने के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं और रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी का, क्योंकि हिन्दी भारत की बाजार की भाषा है, संपर्क की भाषा है ये विदेशी तक समझते हैं और अनेक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में हिन्दी में भी उद्‌घोषणाएं होती हैं। क्यों घर में ही उपेक्षित है? हमारी राजभाषा इसका जवाब सभी जानते हुए अनजान बने हुए हैं।

भारत में भाषा और क्षेत्रीयता के मुद्दों को उछालकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने का पुराना इतिहास है और इसी क्रम में राजभाषा हिन्दी, जो राष्ट्रभाषा की व्यावहारिक दावेदार है का विरोध होता रहा है। यह अलग बात है कि दक्षिण भारतीय भी हिन्दी को बाजार की भाषा बना चुके हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि राजभाषा का दर्जा हासिल होने के बावजूद अपनी हिन्दी गैर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में राजनीतिक विरोध का जरिया बनी हुई है। संसद के मौजूदा शीत सत्र में पारित 'भारतीय वायुयान विधेयक' के विरोध में गैर हिन्दीभाषी सांसद मुखर हो गए थे, क्योंकि विधेयक का नाम हिन्दी में है। ऐसे माहौल में सात-साढ़े सात हजार किलोमीटर दूर विलायती धरती से हिन्दी को लेकर सुखद खबर आई है। जिस ब्रिटेन ने भारत को करीब दो सौ साल तक गुलाम रखा, जिसके शासन की वजह से हिन्दी देसी धरती पर अब तक अपना वाजिब आसन नहीं हासिल कर पाई है, उसी ब्रिटेन में हिन्दी में सरकारी कामकाज किए जाने की मांग उठी है। जिसे दुनिया ब्रिटेन के नाम से जानती है, उस यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड द्वीपीय प्रांत है। इसी प्रांत की स्थानीय संसद के भारतीय मूल के सांसद ने सार्वजनिक संदेश भेजने के लिए हिन्दी का भी इस्तेमाल किए जाने की मांग रखी है। स्कॉटलैंड की स्थानीय संसद में ग्लास्गो से डॉक्टर संदेश गुल्हाने सांसद हैं। उनका तर्क है कि चूंकि 2022 की जनगणना के लिहाज से स्कॉटलैंड में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, लिहाजा यहाँ के सार्वजनिक संदेश और स्वास्थ्य जानकारियां हिन्दी में भी भेजे और प्रसारित किए जाने चाहिए। डॉक्टर गुल्हाने की मांग पर स्कॉटलैंड की सरकार की राय जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि अगर भारत में ऐसी मांग किसी गैर हिन्दीभाषी राज्य में उठी होती, तो वहाँ के राजनेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती ? निश्चित तौर पर उस गैर हिन्दीभाषी इलाके की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इस मांग के खिलाफ उठ खड़ा होता। गैर हिन्दीभाषी इलाकों के लोग इसे हिन्दी का साम्राज्यवाद या वर्चस्ववाद बाद में बताते, हिन्दीभाषी इलाकों की कुछ बौद्धिक और राजनीतिक ताकतें इसे वर्चस्ववादी मांग बताकर खारिज करने का सुझाव रख देतीं। लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्कॉटलैंड या ऐसी दूसरी विदेशी जगहों पर न सिर्फ भारतीय मूल, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान तक शामिल है, के लोग आपसी संवाद या संपर्क के लिए ज्यादातर हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। वह हिन्दी निश्चित तौर पर भारत की खड़ी बोली हिन्दी नहीं होती। उसमें उन लोगों की स्थानीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी या उस देश विशेष की भाषा का भी पुट शामिल होता है, जिस देश में वह समूह रहता या नौकरी करता है।

सुनील बादल

इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हिन्दी ही है। ब्रिटेन में छाया या शैडो कैबिनेट की परंपरा है। प्रमुख विपक्षी दल भी अपने नेताओं को मंत्रियों की तरह विभाग बाँटता है और जिम्मेदारी प्राप्त लोग अपने-अपने विभागों पर नजर रखते हैं। सरकारी योजनाओं की कमियों को जाहिर करते हैं और उसी आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। चुनावों में विपक्षी दल की जीत के बाद छाया मंत्रिमंडल के ही ज्यादातर सदस्य मंत्री बनते हैं और जिन विभागों का काम विपक्ष में रहते वक्त वे संभालते रहे हैं, उन्हीं विभागों और मंत्रालयों का दायित्व उन्हें मिलता है। डॉक्टर संदेश गुल्हाने स्कॉटलैंड के छाया मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं और स्वास्थ्य महकमे पर निगाह रखते हैं। स्कॉटलैंड की संसद एडिनबर्ग में है। उसकी बैठक में एक प्रश्न के जरिये डॉक्टर संदेश गुल्हाने ने स्कॉटलैंड की प्रथम उपमंत्री केट फोर्ब्स से अपील की।

गुल्हाने के मुताबिक, स्कॉटलैंड में हिन्दी बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ की जनसंख्या के बराबर है।

शेष पृष्ठ संख्या 47 पर

ब्रजभाषा का भौगोलिक परिदृश्य और उसका स्वरूप

डॉ. दिग्विजय शर्मा

'बृज' का तत्सम रूप 'ब्रज' है। यह शब्द संस्कृत धातु 'ब्रज' से बना है। इसका प्रथम प्रयोग 'ऋग्वेद संहिता' में मिलता है, लेकिन वहाँ यह शब्द पशुओं के चरागाह या बाड़े अथवा पशु समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'हरिवंश पुराण' के साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के समीप 'नंद के ब्रज' के अर्थ में हुआ है। व्रज 'ब्रज' शब्द संस्कृत साहित्य में 'ब्रज् + गतौ' आदि कितने ही अर्थ क्यों न आज तक कहे व माने जाते रहे हों, लेकिन उसका एक अर्थ 'भौगोलिक' रूप भी माना गया है। पहले यह 'वाराह पुराण' के अनुसार –

विंषतिर्योजनानां च माथुरं मम मण्डले।[1]

कहलाता था। बाद में ब्रजभाषा साहित्य सूर्य श्री सूरदास के अनुसार–

'ब्रज चौरासी कोस परे गोपन के डेरा'

के रूप में लम्बा–चौड़ा माना जाने लगा। ब्रजोद्धारक श्री नारायण भट्ट (सं. 1560 वि.) ऊँचा गाँव (बरसाना–ब्रज) ने इसकी परिधि (लंबाई–चौड़ाई) अपने 'ब्रज महोदधि' ग्रंथ में इस प्रकार माना है–

पूर्व हास्यवनंनीय पश्चिमस्योपहारिकः।
दक्षिणे ज ह्वसंज्ञानं भुवनाख्यं तथोत्तरे॥

भट्ट जी की यह मान्य परिधि इस प्रकार बनती है कि पूर्व में 'हास्यवन' जो अलीगढ़ जिला का 'वरहद' गाँव कहा जाता है। पश्चिम में 'उपहारवन' जो गुड़गाँव जिले की एक छोटी सी बरसाती नदी 'सोननदी' के किनारे बसा हुआ है। उत्तर में 'भुवनवन' जो मथुरा जिले के 'शेरगढ़' परगने में 'भूषणवन' के नाम से विख्यात है तथा दक्षिण में 'जाह्नुवन' जो आगरा जिले का प्रसिद्ध 'बटेश्वर' गाँव जहाँ ब्रह्मलाल महादेव का प्रसिद्ध मंदिर (सभी देवों का भांजा) के नाम से विख्यात है जहाँ पहले कभी महाराजा 'शूरसेन' की राजधानी थी, वहाँ तक फैला हुआ है। मथुरा के कविवर श्री हरलाल माथुर (चतुर्वेदी) ने भी भट्ट जी की ऊपर दी गई ब्रज परिधि का अपने ब्रजभाषा काव्य ग्रंथ 'ब्रजयात्रा' में इस प्रकार वर्णन किया है–

इन बरहद उन सोंनहद, सूरसेंन उत गाँम।
ब्रज चौरासी कोस में, मथुरा मण्डल धाम॥

पाश्चात्य विद्वान हेनरी इलियट ने भी अपने 'मेमोयर्स' में इसी लोक प्रचलित दोहे द्वारा ही ब्रज परिधि को स्पष्ट किया है। यहाँ के पहले महाराजा शूरसेन के नाम पर 'शूरसेन प्रदेश' वर्तमान मथुरा के चारों ओर का ही भू–भाग था, और ब्रज प्रदेश का ही चर्चित अभिधान है 'ब्रजमण्डल'। 'मण्डल' का अर्थ है– घेरा अथवा व्रत्त, यह घेरा चौरासी कोस का बताया जाता है।[2]

डॉ. दीनदयाल गुप्त ने इस सीमांकन पर आपत्ति व्यक्त की, कहा कि 'मण्डल' को तो वृत्ताकार होना चाहिए था। इससे तो ब्रजमण्डल बेडौल हो जाता है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पाश्चात्य विद्वान इलियट ने कहा है कि– 'स्वयं भागवत में इसे सिंघाड़े के आकार का बताया गया है। अनेक ब्रजमण्डल में बारह वनों (मधुवन, तालवन, कामवन, वृन्दावन, महावन आदि) तथा चौबीस उपवनों (गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, पारसौली, कोकिलावन आदि) का क्षेत्र बताया गया है। सूरदास के अपने काव्यग्रंथ 'सूरसागर' में इन वनों, उपवनों का उल्लेख है।'[3]

डॉ. सत्येन्द्र इस चौरासी कोस को भौगोलिक महत्व की अपेक्षा धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व अधिक बताते हैं।[4] संभवतः मथुरा को ही केन्द्र मानकर इसके आसपास का क्षेत्र ही ब्रज का क्षेत्र बना और कहलाया भी, जोकि यह उत्तर भारत के चारों राज्यों में फैला हुआ है।

कुलपति मिश्र ने 'रसरसायन' में कहा है–

ब्रजभाषा बरनी कविन बहुविधि बुद्धि विलास।
सब को भूशन सतसैया करी बिहारीदास॥

ब्रजभाषा आज मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ–साथ भाषा नाम भी प्राप्त किया है। तभी इसे आज ब्रजभाषा के नाम से जाना जाता है। ब्रज के अन्य नाम भी हैं– पिंगल, अन्तर्वेदी ब्रिज, बिरज, बृज, भाषानिधि, माधुरी, मधुरही, पुरुषोत्तम भाषा, नागभाषा, ग्वालियरी बिरजी। कौरवी, बुन्देली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी के वजन पर ई–विभक्तियुक्त 'ब्रजी' नाम अधिक उपयुक्त रहता है। लेकिन प्रारम्भ में 'ब्रज बोली' नाम रहा होगा, किन्तु इसमें साहित्य की विपुल सर्जना के कारण इसे 'भाषा' नाम दे दिया गया होगा, वहीं से 'ब्रजभाषा' नाम प्रचलित हो गया जो आज तक है।[5]

ब्रजभाषा का प्राचीन प्रयोग गोपालकृत– 'रस विलास' की टीका 1587 में मिलता है। शुद्ध रूप से यह आज भी आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर जिलों में बोली जाती है। इसे हम केन्द्रीय ब्रजभाषा भी कह सकते हैं। प्रारम्भ में ब्रजभाषा में ही काव्य रचना हुई, जिसमें अनेक कवियों ने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में ही लिखी हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, घनानंद, केशव आदि प्रमुख कवि हुए हैं। हिन्दी फिल्मों और

फिल्मी गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। भाषा के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि आधुनिक ब्रजभाषा 1 करोड़ 23 लाख जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग यह 38000 वर्ग मील के क्षेत्र में विस्तरित है।

भाषा को विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र उत्तर भारत के चार राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें **उत्तर प्रदेश** में शुद्ध रूप में यह भाषा आज भी मथुरा, हाथरस, अलीगढ, बुलन्दशहर, खुर्जा, आगरा के पश्चिमी भाग, फिरोजाबाद, कासगंज (द.प. अंश), एटा जिले व मैनपुरी के थोड़े पश्चिमी भाग में है। **हरियाणा** राज्य के गुड़गाँव जिले का पूर्वी भाग। **राजस्थान** राज्य का भरतपुर, धौलपुर, करौली व जयपुर का पूर्वी भाग। **मध्य प्रदेश** राज्य में ग्वालियर का पश्चिमी भाग।

जार्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषाई सर्वे में पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली को कन्नौजी का नाम दिया है। लेकिन वास्तव में यहाँ की बोली मैनपुरी, एटा, बरेली और बदायूँ की बोली से भिन्न नहीं है। अधिक से अधिक हम इन सभी जिलों की बोली को 'पूर्वी ब्रज' कह सकते हैं। सत्यता तो यह है कि 'बुन्देलखण्ड' की बुन्देली बोली भी ब्रजभाषा का ही रूपान्तरण है। इसीलिए यह 'दक्षिण ब्रज' कहला सकती है। डॉ. बाबू गुलाब राय ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न प्रकार से मानते हैं - मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों को केन्द्र मानकर **उत्तर** में यह अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य जिलों तक फैली है। **दक्षिण** में धौलपुर और ग्वालियर तक, **पूर्व** में कन्नौज और कानपुर जिलो तक, **पश्चिम** में भरतपुर और गुड़गाँव जिले तक इनकी सीमा है।

भाषिक सर्वेक्षण एवं अन्य अन्वेषणों के आधार पर श्री कृष्णदत्त बाजपेई के अनुसार- 'ब्रजभाषा-भाषी क्षेत्र निम्नलिखित हैं- मथुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला तथा करौली का उत्तरी अंश जो भरतपुर एवं धौलपुर की सीमाओं से मिला-जुला है। सम्पूर्ण धौलपुर जिला, मध्य प्रदेश में मुरैना से भिण्ड जिले और इर्द-गिर्द ग्वालियर का लगभग 26 अक्षांश से ऊपर का उत्तरी भाग (यहाँ की ब्रज बोली में बुन्देली की झलक है।), सम्पूर्ण आगरा जिला, इटावा जिले का पश्चिम भाग (लगभग इटावा शहर की सीधे देशान्तर 79 तक), मैनपुरी जिला तथा एटा जिला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर जो फर्रुखाबाद जिले की सीमा से मिले-जुले हैं।), अलीगढ़ जिला (उत्तर पूर्व में नदी की सीमा तक), बुलंदशहर का दक्षिणी आधा भाग (पूर्व में अनूप शहर की सीध से लेकर), गुड़गाँव जिले का दक्षिणी अंश (पलवल की सीध से) तथा अलवर जिले का पूर्वी भाग जो गुड़गाँव जिले की दक्षिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है।'[6]

ब्रज के सम्बंध में अन्य भाषाविदों ने लिखा है कि- अपने विशुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केन्द्रीय ब्रजभाषा के नाम से भी पुकारते हैं। केन्द्रीय ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बुलंदशहर जिले की उत्तरी पट्टी से इसमें की लटक आती है। उत्तरी पूर्वी जिलों अर्थात बदायूँ और एटा जिलों में इस पर कन्नौजी का प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार- कन्नौजी को भी ब्रजभाषा का ही एक रूप माना गया है। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुन्देली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर गुड़गाँव तथा भरतपुर का क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है। वर्तमान समय में ब्रजभाषा एक ग्रामीण भाषा है, जो मथुरा, आगरा केन्द्रित ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि यह निम्न जिलों मथुरा, आगरा, एटा, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़ की प्रधान भाषा है। यह गंगा पार बदायूँ, बरेली, नैनीताल की तराई से होते हुए उत्तराखण्ड में ऊधमसिंह नगर और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गाँव, दिल्ली के कुछ भाग और मेवात जिलों के पूर्वी भाग में भी ब्रजभाषा का प्रभाव है।

विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इसका विकास मुख्यत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में हुआ है। आज भी यह व्यवहारिक संवाद की भाषा है। सम्पूर्ण क्षेत्र में ब्रजभाषा हल्के से परिवर्तन के साथ विद्यमान है। इसीलिए इस ब्रज क्षेत्र के एक बडे भाग को 'ब्रजांचल' या 'ब्रजभूमि' कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं की परम्परा में विकसित होने वाली ब्रजभाषा शौरसेनी भाषा की कोख से ही जन्मी है, जिसकी उत्पत्ति महाराजा शूरसेन के काल से हुई, इसी के केन्द्र बनने के बाद से ब्रजभाषा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा और इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकाल के प्रसिद्ध महाकवि सूरदास की सरस सूक्ति से भी यह बात प्रकट होती है कि ब्रज भाषोत्पत्ति कहीं अधिक पुरानी है। उससे कहीं अति अधिक पहले अवतरित हुई-

सूर-सूर तुलसी ससी उड़गन केसौदास।

सूर का समय आते-आते यह इतनी पुष्ट हो गई कि अपने 'ब्रजपरिधि' रूप निश्चित दायरे में न समाकर भारतवर्ष के कोने-कोने में 'येन-केन-रूपेण' रमती हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्नलिखित वंदनीय उक्ति -

स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।

को पीछे ठेलकर और 'ब्रजनाथ-गाथा' बनकर उसने अपार साहित्य उत्पन्न किया, जिसका आदि है पर अन्त नहीं। कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा 'भक्ति काल' (सं. 1300-1600) से

कहीं पहले उत्पन्न और पूर्ण होकर 'रीतिकाल' (सं. 1600 से सं. 1900 ई.) के प्रारम्भ और परिपूर्ण तक, आज आधुनिक काल के श्री वियोगी हरि तक ब्रजभाषा में प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्यों की रचना होती रही है और आगे भी इसी प्रकार होती रहेगी।[7]

विशेष महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ब्रजभाषा भाषियों का क्षेत्र एवं ब्रजभाषा साहित्यकारों का क्षेत्र निश्चय ही भिन्न है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ब्रज की वंशी ध्वनि के साथ-साथ अपने पदों की अनुपम झंकार को मिलाकर नाचने वाली 'मीरा' राजस्थान की ही थी। 'नामदेव' महाराष्ट्र के थे, 'नरसी' गुजरात के थे, 'भारतेन्दु हरिश्चंद' भोजपुरी भाषी बिहार के थे, इनके साथ ही अनेकों प्रतिभाषाली कवि हुए।[8] भुज में 'शुद्धाद्वैतवाद' के प्रभाव से, गुजरात में 'कृष्णभक्त' कवियों की लम्बी जमात खड़ी हो गई है। इसी कारण से भुज (कच्छ) में ब्रजभाषा सिखाने के लिए सन् 1749 में लखपत सिंह ने 'ब्रजभाषा काव्य पाठशाला' की स्थापना की, जो दो सौ वर्षों तक चलती रही। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रज में लिखने के लिए ब्रज क्षेत्र का होना अनिवार्य नहीं।

भिखारीदास के ग्रंथ 'काव्य निर्माण' में ब्रजभाषा हेतु- **'ब्रजभाषा ही न अनुमानों'** नितांत सत्य है।[9]

भाषागत विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए ब्रजभाषा क्षेत्र का विभाजन हम निम्नांकित रूप में भी कर सकते हैं-

1- आदर्श ब्रजभाषा- अलीगढ़, मथुरा, हाथरस तथा पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा को कहा जा सकता है।

2- बुंदेली ब्रजभाषा- ग्वालियर के उत्तर पश्चिम में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है।

3- राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा- यह भरतपुर और उसके दक्षिण भाग में बोली जाती है।

4- सिकरवारी ब्रजभाषा- यह ग्वालियर के उत्तर पूर्व में जहाँ सिकरवार राजपूत हैं, पायी जाती है।

5- जादौंबारी ब्रजभाषा- करौली और चंबल के मैदान में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है, जहाँ जादों (यादव) की बस्तियाँ हैं।

6- कन्नौजी ब्रजभाषा- यह एटा, अनूपज़हर और अतरौली की भाषा कन्नौजी से प्रभावित है।

7- ब्रजभाषा- यह मथुरा, आगरा की केन्द्रीय भाषा कहलाती है।

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी भोलानाथ तिवारी ने भी ब्रजभाषा के आठ स्थानीय रूप माने हैं जोकि इस प्रकार हैं-

1. गाँववारी- आगरा जिले में बोली जाती है।
2. ढोलपुरी- ढोलपुर (धौलपुर) राजस्थान में बोली जाती है।
3. भरतपुरी- भरतपुर में बोली जाती है।
4. जादोंवारी- भरतपुर, करौली, ग्वालियर में बोली जाती है।
5. सिकरवाडी- उत्तरपूर्व के ग्वालियर में बोली जाती है।
6. कठेरियायी- बदायूँ के कठोर प्रदेश में बोली जाती है।
7. डाँगी- भरतपुर, करौली, जयपुर में बोली जाती है।
8. माथुरी- मथुरा के पास बोली जाती है।

ब्रजभाषा का स्वरूप अपना रूपगत, प्रति औकारान्त है। यानि इसकी एकवचनीय पुल्लिंग संज्ञा और विशेषण प्रायः औकारान्त होते हैं, जैसे माँझौ, पामरौ, नौहरौ, सेरौ, खुरपौ, औंझपौ आदि संज्ञा शब्द औकारान्त हैं। इसी प्रकार कारौ, गोरौ, पीरौ, साँवरौ, नीकौ, भुतेरौ आदि विशेषण पद औकारान्त हैं। क्रिया का सामान्य भूतकाल का एकवचन 'पुल्लिंग' रूप भी ब्रजभाषा में प्रमुख रूप से औकारान्त ही रहता है। कुछ क्षेत्रों में 'य्' श्रुति का आगम भी मिलता है। अलीगढ़ की तहसील कोल की बोली में सामान्य भूतकालीन रूप 'य्' श्रुति से रहित मिलता है, लेकिन जिला मथुरा तथा दक्षिणी बुलंदशहर की तहसीलों में 'य्' श्रुति अवश्य पायी जाती है। कन्नौजी भाषा की अपनी प्रति औकारान्त है। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में ब्रजभाषा जहाँ औकारान्तता लेकर चलती है, वहाँ कन्नौजी औकारांत है। भविष्यतकालीन क्रिया ब्रजभाषा में दन्त पायी जाती है। यदि हम 'लड़का जाएगा', और 'लड़की जाएगी' वाक्यों को कन्नौजी तथा ब्रजभाषा में रूपान्तरित करके बोलें तो यह इस प्रकार होगी कन्नौजी में- (1) लरिका जइहै। (2) बिटिया जइहै। ब्रजभाषा में- (1) छोरा जाइगौ। (2) छोरी जाइगी।

ब्रजभाषा के सामान्य भविष्यतकाल रूप में क्रिया, कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, जबकि कन्नौजी में एक रूप रहती है। इसी के अतिरिक्त कन्नौजी में अवधी की भाँति विवृत भी पाई जाती है, जिसका ब्रजभाषा में सर्वथा अभाव है। कन्नौजी के संज्ञा, सर्वनाम आदि वाक्य पदों में संधि रहित मिलते हैं, लेकिन ब्रजभाषा में इस प्रकार के पद संधिगत अवस्था में मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे-

कन्नौजी-**'बउ गओ' (उ, वह गया)**
ब्रजभाषा-**'बो गयौ' (ओ, वह गया)**

ब्रजभाषा साहित्य में तद्भव, तत्सम के पाँच बिंदु अत्यंत संलक्ष्यात्मक रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें तद्भव, तत्सम शब्दों का एक ऐसा सहज संतुलन मिलता है, जिसमें तत्सम शब्द भी ब्रजभाषा की प्रति में ढ़ले दिखाई देते हैं, अधिकतर अर्द्ध तत्सम रूप में 'प्रतीत' के लिए 'परतीत', जबकि इसके साथ-साथ

तद्‌भव रूप 'पतियाबो' भी मिलता है। जैसे तत्सम प्रतिवादकों में नई नाम धातुएँ बनाकर 'अभिलाष' से 'अभिलाखत' या 'अनुराग' से 'अनुरागत'। इस अवधि में समानान्तर तत्सम और तद्‌भव शब्दों के अर्थ क्षेत्र भी कुछ न कुछ स्पष्टत: व्यतिरेकी हो गये हैं। जब नख-शिख की बात करेंगे, तब 'नह' का प्रयोग 'नही' करेंगे और जब दसों नह का प्रयोग करेंगे, तब 'नख' वहाँ प्रयुक्त नहीं होगा ।

बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में अन्तर करने की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है। बोलचाल की भाषा ब्रज के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि साहित्यिक ब्रजभाषा का उपयोग ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी उसी कुशलता के साथ किया है, जिस कुशलता से ब्रजक्षेत्र के कवियों ने किया है। दूसरा अन्तर यह कि बोलचाल की ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच में एक मानक 'ब्रज' है, जिसमें ब्रजभाषा की उप-बोलियों के सभी रूप स्वीकार्य नहीं हैं। सम्भवत: यही कहा जा सकता है कि ब्रज प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र की भाषा मानक ब्रज का आधार बनती है। जिस प्रकार मेरठ के आस-पास बोली जाने वाली बोली (कौरवी) मानक हिन्दी से भिन्न है, लेकिन उसका व्याकरणिक ढाँचा मानक हिन्दी का आधार है। उसी प्रकार मध्यवर्ती ब्रज का ढाँचा मानक ब्रज का आधार है। मानक ब्रज और साहित्यिक ब्रज में उसी प्रकार का अन्तर है। यह भेद वाक्य विन्यास, पद विन्यास और उक्ति भंगिमा के स्तरों पर भी रेखांकित होता है। भाषाविज्ञान का माना हुआ सिद्धान्त है कि- साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा में प्रयोजनवश अन्तर आता है। क्योंकि साहित्यिक भाषा अपने संदेश से कम महत्व नहीं रखती। उसमें बार-बार दुहराने की, नया अर्थ उद्‌भावित करने की क्षमता अपेक्षित है। उसमें एकदेशीयता के बदले बहुदेशीयता तथा शब्द चयन, वाक्य विन्यास, पद विन्यास आदि सब प्रयोजन को चरितार्थ करने के लिए कुछ अवश्य बदल जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि व्याकरण बदल जाए या कोष बदल जाए या केवल व्याकरण और शब्द के कार्य ही बदलते हैं। जहाँ तक बात साहित्यिक ब्रजभाषा के प्रयोग की है जिसमें ब्रज के अतिरिक्त बोली क्षेत्रों में होने के कारण उन क्षेत्रों की बोलियों के रंग भी जुड़े हैं। वह किसी एक चाल में बँधी हुई भाषा नहीं है, उसमें क्षेत्रीय रंगतों को अपनाने की और उन्हें अपने रंग में ढालने की क्षमता है।

भोजपुरी, बुंदेली, पहाड़ी, राजस्थानी भाषा में प्रभावों की छाया पड़ी जिससे ब्रजभाषा में दीप्ति अर्थवत्ता आई, जिससे शब्दकोश बने, मुहावरे निश्चित रूप से सन्निविष्ट हुए। बुन्देलखण्ड के कवियों में पद्‌माकर, ठाकुर, बोधा, बख्शी, हंसराज का प्रभाव उल्लेखनीय है। भोजपुरी के कवियों में इतने बड़े नाम तो नहीं हैं लेकिन रंगपाल, छुटकन जैसे कवियों के द्वारा रचे गये फागों में भोजपुरी से प्रभावित ब्रजभाषा की छटा भी अलग मिलती है। ग्वाल कवि जैसे- पंजाब क्षेत्र के कवियों ने पंजाबी प्रभाव दिया है। सुन्दरदास, रज्जब जैसे संत कवियों की भाषा में (जो प्रमुखत: ब्रजभाषा है) राजस्थानी भाषा का पुट गहरा है।

स्वभावों की दृष्टि से देखा जाए तो यह माना जाता है कि ब्रजकाव्य का विषय रूपवर्णन, शोभावर्णन, शृंगारी चेष्टावर्णन शृंगारी, हाव-भाववर्णन, रूप का वर्णन, विविध प्रकार की कामिनियों की विलासचर्या का वर्णन, ललित कलाविनोदों का वर्णन और नागर नागरियों के पहनाव, सजाव, शृंगार आदि के वर्णन तक ही सीमित नहीं है। इसमें साधाारण दु:ख-दर्द व जीवन संघर्ष का चित्रण नहीं, न उत्साह वृद्धि जगाने का विशेष भाव। इसमें तो अलौकिक आध्यात्मिक भाव है, वह भी अलक्षित सुकुमार भावों की परिधि के भीतर ही समाये हुए हैं। जब हम उत्तर मध्यकाल की नीति प्रधान रचनाओं में या आक्षेप प्रधान रचनाओं का पर्यवेक्षण करते हैं, तो यह संसार बहुत ही विस्तृत दिखाई देता है, जिनको राजदरबारी कह कर छोटा मानते हैं, उनकी कविता में गाँव के बड़े अनूठे चित्र हैं। लोक व्यवहार के तरह-तरह के आयाम मिलते हैं, जिसमें अद्‌भुत, हास्य, शांत रसों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें शृंगार काल कहा जाता है। इतना ही नहीं पद्‌माकर जैसे कवियों की रचनाओं में सूक्ष्म रूप से अंग्रेजों के आने के खतरे का भी जिक्र मिलता है। भूषण को छोड़कर अनेक ऐसे कवि हुए हैं, जिनके भीतर धरती का लगाव व सभी के आराध्य आलंबनों से जुड़े हैं, जिनका सरल रूप से जिक्र मिलता है। उदाहरण स्वरूप देव का एक प्रसिद्ध छंद है, जिसमें बारात विदा होने के बाद की उदासी का चित्रण मिलता है-

काम परयौ दुलही अरु दूलह, चाकर यार ते द्वार ही छूटे।
माया के बाजने बजि गये, परभात ही भात खवा उठि बूटे।।

एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि ब्रजभाषा के कवियों ने सामान्य गृहस्थ जीवन को ही केन्द्र में रखा है, चाहे वे संत कवि हों, दरबारी हों, राजा हों या फकीर। रहीम की रचनाओं में श्रमजीवी की सहधर्मिता स्पष्ट देखने को मिलती है-

लइके सुधार खुरपिया पिय के साथ।
छइबे एक छतरिया बरसात पाथ।।

से लेकर मुकरी, पहेली जैसी रचनाओं में भी प्रसंग ठेठ ग्रामीण जीवन से मिलते हैं। उदाहरण के लिए 'सखि साजन' वाली मुकरियों में अत्यंत सामान्य जीवन के संदर्भ, गृहस्थ जीवन के रस व्यंजन रूपों का भी चित्रण मिलता है-

जब माँगूं तब जल भरि लावै। मेरे मन की विपत्ति बुझावै।
मन का भारी तन का छोटा। ए सखि साजन ना सखि लोटा।

भारतेन्दु हरिश्चंद की मुकरियों में भी व्यंग्य रूप सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया, सामान्य जीवन के विम्ब पर आधारित है-

सीटी देकर पास बुलावै, रुपया हो तो निकट बिठावै।
लै भागै मोहि खेलहि खेल, क्यों सखि साजन ना सखि मेल।।.

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ब्रजभाषा एकांगी या सीमित भावभूमि का काव्य है, चाहे 'सगुण' भक्त कवि हों या 'निर्गुण' भक्त कवि या आचार्य कवि हों या स्वच्छंद कवि या सूक्तिकार हों। सभी लोक व्यवहार के प्रति बहुत सजग हैं। लौकिक जीवन की समझ इन सबकी बहुत ही गहरी और धारदार है।

अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजभाषा के सबसे प्राचीनतम प्रयोग के प्रमाण महाराष्ट्र से मिलते हैं, क्योंकि महानुभाव सम्प्रदाय 13वीं शताब्दी के अंत के संत कवियों ने एक प्रकार की ब्रजभाषा का उपयोग किया है। जहाँ तक साहित्य की बात है तो उसे तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। इसका उद्गम काल जिसके ऊपर 'नागर अपभ्रंश' काव्य की छाप है। इसी कारण से उसमें दिखाई देने वाले हिन्दी के मधय देश महाराष्ट्र में पैदा हुए 'महानुभाव ज्ञानेश्वर' के साथी नामदेव भी दूसरी ओर पंजाब से लेकर बिहार तक संत कवि हुए जो भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से भिन्न प्रकार की भाषा का व्यवहार करते रहे हैं, परन्तु गेय प्रयोजन के लिए प्राय: ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते हैं। इनकी सूची बड़ी लम्बी है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अधिकांशत: संत कवि साहित्यिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से कबीर, रैदास, धर्मदास और 17वीं शताब्दी के मलूकदास, अक्षर अनन्य सूफी काव्य का बीच रूप भी जिस काव्य से मिलता है वह मुल्लादाउद का चंदामन नहीं 'मैनासत' है, साधन का 15वीं शताब्दी जिसकी भाषा ग्वालियरी है जो कि 'ब्रजभाषा' ही है। क्योंकि कुछ विद्वान ब्रजभाषा का पुराना नाम 'ग्वालियरी' मानते हैं। कालान्तर में साहित्यिक ब्रजभाषा का विस्तार पूरे भारत में हुआ और 18वीं, 19वीं शताब्दी में दूर दक्षिण में तंजौर और केरल में ब्रजभाषा की कविता लिखी गई। सौराष्ट्र (कच्छ) में ब्रजभाषा काव्य की पाठशाला चलाई गई। स्थानीय भाषाओं में पद रचे गये, जिनकी भाषा को 'ब्रजबुलि' नाम दिया गया। इस ब्रजबुलि का प्रचार कीर्तन पदों में मणिपुर तक हुआ और गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, बूँदी, मेवाड़, किशनगढ़ चित्रकारी कलाओं का आधार बनी, और कुछ क्षेत्रों में तो चित्रकारों ने भी कविताएँ लिखीं, जिसमें गढ़वाल के मोलाराम का नाम उल्लेखनीय है। गुरु गोविन्द सिंह के दरबार में ब्रजभाषा के कवियों का एक बहुत बड़ा जमघट था। 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन का आंकलन खोखली नैतिकता के मानदण्डों से किया जाता रहा। यह सही है कि सूरदास, तुलसीदास की ऊँचाई का कवि या उनके व्यापक काव्य संसार जैसे युग कवियों को नहीं मिला, पर साधारण जन के कण्ठ में तुलसी, सूर, कबीर की ही तरह रहीम, रसखान, पद्माकर, ठाकुर, देव, बिहारीलाल ही नहीं बहुत अपेक्षाकृत कम विख्यात कवि भी हुए। उसका उदाहरण उनकी कविताओं की समृद्धता और सहृदयता व सम्प्रेषणीयता ही थी। इन कवियों से ही ब्रजभाषा समृद्ध हुई। आज ब्रजभाषा ने ऐसे जन-जन के जीवन में प्रवेश किया है जो सबकी हो सकती है।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का अक्षुण्ण देशव्यापी वर्चस्व रहा। लगभग पाँच शताब्दी तक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली साहित्यिक भाषा रही। इस देश के साहित्यिक इतिहास में ब्रजभाषा ने जो अवदान दिया है, उसे यदि हम मटियामेंट कर दें तो देश की रसवत्ता और संस्कारिता का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे सदा के लिए अलग हो जायेगा।

आज आधुनिक हिन्दी ने जो साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा का स्थान लिया है वह स्थान भी ब्रजभाषा की व्यापकता के ही कारण सम्भव हो सका। इसलिए साहित्यिक ब्रजभाषा आधुनिक हिन्दी की ही धरती है। शुरुआती दौर में यह भाषा कविता की ओर अग्रसित हुई है, और इसी भाषा ने आधुनिक खड़ी बोली की कविता को और अधिक लचीला बनाने की शक्ति दी, जिसमें उक्ति विधान, सादृश्य विधान और मुहावरों ने प्रेरणा प्रदान की है।

ब्रजभाषाविदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीति काव्य की रचना के लिए ब्रजभाषा का व्यवहार सर्वव्यापी था, जो निर्गुणपंथी सन्त कवि उपदेश की भाषा के लिए खड़ी बोली पर आधारित 'सधुक्कड़ी' भाषा का प्रयोग करते थे। वह ही 'गेय' पदों की रचना करते समय ब्रजभाषा का प्रयोग प्राय: किया करते थे। ऐसे ही प्रबंध काव्य लिखते समय पश्चिमी क्षेत्र में 'डिंगल' का प्रयोग किया है, लेकिन गेय मुक्तक पदों की रचना करते समय पूर्व या पश्चिम प्रत्येक प्रदेश के कवि ब्रजभाषा का ही अध्ययन करते हैं। यह उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग की एकमात्र भाषा थी। वह प्रेम तक ही सीमित नहीं थी, उसमें सगुण, निर्गुण भक्ति की विभिन्न धाराओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में हुई। यही कारण है कि आज ब्रजभाषा जन-जन के कंठ में बसी हुई है। मेजर टॉमस डुएर ब्रूटन (1914) ने 'सलेक्शन फॉर दि पॉपुलर पोयट्री ऑफ दि हिन्दूज' नामक पुस्तक में निरक्षर सिपाहियों से लोकप्रिय पदों का संग्रह कर अनुवाद किया, जिसमें अधिकांशत: दोहे, कवित्त, सवैया थे, जो ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों द्वारा रचित हैं। इस मायने में साहित्यिक ब्रजभाषा का भाग्य आज की साहित्यिक हिन्दी की अपेक्षा अधिक स्मरणीय है। देश की सांस्कृतिक एकता के लिए ब्रजभाषा की जबर्दस्त कड़ी चार शताब्दियों से अधिक समय तक बनी रही और आधुनिक व्यापक सर्वदेशीय भूमिका इसी साहित्यिक ब्रजभाषा के कारण हुई है।

शेष पृष्ठ संख्या 47 पर

राष्ट्रभाषा : मनन-मंथन-मंतव्य

भाषा का प्रश्न समग्र है। भाषा अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है। भाषा सभ्यता को संस्कारित करने वाली वीणा एवं संस्कृति को शब्द देनेवाली वाणी है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करनी हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दीजिए। इस सूत्र को भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने भली-भाँति समझा। आरंभिक आक्रमणकारियों ने संस्कृत जैसी समृद्ध और संस्कृतिवाणी को हाशिए पर कर अपने-अपने इलाके की भाषाएँ लादने की कोशिश की, बाद में सभ्यता की खाल ओढ़कर अंग्रेज आया । उसने दूरगामी नीति के तहत भारतीय भाषाओं की धज्जियाँ उड़ाकर अपनी भाषा और अपना हित लाद दिया । लद्दू खच्चर की तरह हिन्दुस्तानी उसकी भाषा को ढोता रहा। अंकुश विदेशियों के हाथ में होने के कारण वह असहाय था।

यहाँ तक तो ठीक था। शासक विदेशी था, उसकी सोच और कृति में परिलक्षित स्वार्थ व धूर्तता उसकी कूटनीति और स्वार्थ के अनुरूप थीं। असली मुद्दा है स्वाधीनता के बाद का। अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ढोते लद्दू खच्चरों की उम्मीदें जाग उठीं। जिन्हें वे अपना मानते थे, अंकुश उनके हाथ में आ चुका था किन्तु वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि अंतर केवल चमड़ी के रंग में हुआ था। देसी चमड़ी में अंकुश हाथ में लिए फिरंगी अब भी खच्चर पर लदा रहा। अलबत्ता आरंभ में पंद्रह बरस बाद बोझ उतारने का 'लॉलीपॉप' जरुर दिया गया। धीरे-धीरे 'लॉलीपॉप' भी बंद हो गया। खच्चर मरियल और मरियल होता गया। अब तो देसी चमड़ी के फिरंगियों की धूर्तता देखकर गोरी चमड़ी का फिरंगी भी दंग रह गया है।

प्रश्न है कि जब राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा माना जाता है तो क्या हमारी व्यवस्था को एक डरा-सहमा लोकतंत्र अपेक्षित था? लोकतंत्र जो न बोल सके, न सुन सके, देखे तो सही पर अभिव्यक्त न हो सके? विगत सत्तर वर्षों का घटनाक्रम देखें तो उत्तर 'हाँ' में मिलेगा।

राष्ट्रभाषा को स्थान दिये बिना राष्ट्र के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता को परिभाषित करने की चौपटराजा प्रवृत्ति के परिणाम भी विस्फोटक रहे हैं। इन परिणामों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जा सकती है। इनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है।

राष्ट्रभाषा शब्द के तकनीकी उलझाव और आठवीं अनुसूची से लेकर अपभ्रंश बोलियों तक को राष्ट्रभाषा की चौखट में शामिल करने के शाब्दिक छलावे की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है। राष्ट्रभाषा से स्पष्ट तात्पर्य देश के सबसे बड़े भू-भाग पर बोली-लिखी और समझी जाने वाली भाषा से है। भाषा जो उस भूभाग पर रहने वाले लोगों की संस्कृति के तत्वों को अंतर्निहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता निहित हो। हिन्दी को उसका संविधान प्रदत्त पद व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए आम सहमति की बात करने वाले भूल जाते हैं कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा अनेक नहीं होते। हिन्दी का विरोध करने वाले कल यदि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत पर भी विरोध जताने लगें, अपने-अपने ध्वज फहराने लगें, गीत गाने लगें तो क्या कोई अनुसूची बनाकर उसमें कई ध्वज और अनेक गीत प्रतिष्ठित कर दिये जायेंगे? क्या तब भी यह कहा जायेगा कि अपेक्षित राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज आम सहमति की प्रतीक्षा में हैं? भीरु व दिशाहीन मानसिकता दु:शासन का कारक बनती है जबकि सुशासन स्पष्ट नीति और पुरुषार्थ के कंधों पर टिका होता है।

संजय भारद्वाज

सांस्कृतिक अवमूल्यन का बड़ा कारण विदेशी भाषा में देसी साहित्य पढ़ाने की अधकचरी सोच है। राजधानी के एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया गया- 'सीता वॉज स्वीटहार्ट ऑफ रामा' ठीक इसके विपरीत श्रीराम को सीताजी के कानन-कुण्डल मिलने पर पहचान के लिए लक्ष्मण जी को दिखाने का प्रसंग स्मरण कीजिए। लक्ष्मण जी का कहना कि मैने सदैव भाभी माँ के चरण निहारे, अतएव कानन-कुण्डल की पहचान मुझे कैसे होगी? यह भाव संस्कृति की आत्मा है। कुसुमाग्रज की मराठी कविता में शादीशुदा बेटी का मायके में 'चार भिंतीत नाचली' (शादीशुदा बेटी का मायके आने पर आनंद विभोर होना) का भाव तलाशने के लिए सारा यूरोपियन भाषाशास्त्र खंगाल डालिये। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

कटु सत्य यह है कि भाषाई प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक चेतना के धरातल पर वर्तमान में भयावह उदासीनता दिखाई देती है। समृद्ध परंपराओं के स्वर्णमहल खंडहर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से बेदखल किया जाना। चूँकि भाषा संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन यूरोपीय संस्कृति का आयात कर रहा है। एक भव्य धरोहर डकारी जा रही है और हम दर्शक से खड़े हैं। शिक्षा के माध्यम को लेकर बनी शिक्षा शास्त्रियों की अधिकांश समितियों ने सदा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश की। यह सिफारिशें आज कूड़े-दानों में पड़ी हैं।

यूरोपीय भाषा समूह की अंग्रेजी के प्रयोग से 'कॉन्वेंट एजुकेटेड' पीढ़ी, भारतीय भाषा समूह के अनेक अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाती। 'ड़','ण' अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

'पूर्ण', पूर्न हो चला है, ' शर्म ' और 'श्रम' में एकाकार हो चला है। ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के अंतर का निरंतर होता क्षय अर्थ का अनर्थ कर रहा है।'लुटना' और 'लूटना' एक ही हो गये हैं। विदेशियों द्वारा की गई 'लूट' को 'लुटना' मानकर हम अपनी लुटिया डुबोने में अभिभूत हो रहे हैं।

लिपि नये संकट से गुजर रही है। इंटरनेट पर खास तौर पर फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर जैसी साइट्स पर देवनागरी को रोमन में लिखा जा रहा है। 'बड़बड़' के लिए इंतइंतधइंकइंक (बर्बर या बारबर या बार-बार) लिखा जा रहा है। 'करता', 'कराता', 'कर्ता' में फर्क कर पाना भी संभव नहीं रहा है। जैसे-जैसे पीढ़ी पेपरलेस हो रही है, स्क्रिप्टलेस भी होती जा रही है।

सर्वाधिक घातक पक्ष है कि आसन्न संकट के प्रति समुदाय चिंतित नहीं दिखता। बिना जेब के लंगोट से बिना जेब के कफन तक की यात्रा का उद्देश्य केवल अपनी जेब भरना रह गया है। जेब भरी रखने की इस तृष्णा ने सामुदायिक चेतना का मानो अपहरण कर लिया है। मृत्यु की अपरिहार्यता को लिपि पर लागू करनेवाले भूल जाते हैं कि मृत्यु प्राकृतिक हो तब भी प्राण बचाने की चेष्टा की जाती है। ऐसे लोगों को याद दिलाया जाना चाहिये कि यहाँ तो लिपि की सुनियोजित हत्या हो रही है और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान है।

सारी विसंगतियों के बीच अपना प्रभामंडल बढ़ाती भारतीय भाषाओं विशेषकर हिन्दी के विरुद्ध 'फूट डालो और राज करो' की कूटनीति निरंतर प्रयोग में लाई जा रही है। इन दिनों हिन्दी की बोलियों को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की गला काट प्रतियोगिता शुरु हो चुकी है। खासतौर पर गत जनगणना के समय इंटरनेट के जरिये इस बात का जोरदार प्रचार किया गया कि हम हिन्दी की बजाय उसकी बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में पंजीकृत करायें। संबंधित बोली को आठवीं अनुसूची में दर्ज कराने के सब्जबाग दिखाकर, हिन्दी की व्यापकता को कागजों पर कम दिखाकर आंकड़ों के युद्ध में उसे परास्त करने के वीभत्स षड्यंत्र से क्या हम लोग अनजान हैं? राजनीतिक इच्छाओं की नाव पर सवार बोलियों को भाषा में बदलने के आंदोलनों के प्रणेताओं को समझना होगा कि यह नाव उन्हें घातक भाषाई षड्यंत्र की सुनामी के केंद्र की ओर ले जा रही है। अपनी राजनीति चमकाने और अपनी रोटी सेंकने वालों के हाथ फंसा नागरिक संभवत: समझ नहीं पा रहा है कि यह भाषाई बंदरबाँट है। रोटी किसी के हिस्से आने की बजाय बंदर के पेट में जायेगी। बेहतर होता कि मूलभाषा-हिन्दी और उपभाषा के रूप में बोली की बात की जाती।

संसर्गजन्य संवेदनहीनता, थोथे दंभवाला कृत्रिम मनुष्य तैयार कर रही है। कृत्रिमता की ये पराकाष्ठा है कि मातृभाषा या हिन्दी न बोल पाने पर व्यक्ति लज्जा अनुभव नहीं करता पर अंग्रेजी न जानने पर उसकी आँखें स्वयंमेव नीची हो जाती हैं। शर्म से गड़ी इन आँखों को देखकर मैकाले और उसके भारतीय वंशजों की आँखों में विजय के अभिमान का जो भाव उठता होगा, अठारह अक्षोहिणी सेना को परास्त कर वैसा भाव पांडवों की आँखों में भी न उठा होगा।

ग्लोबलाइजेशन के नाम पर लोकल को खारिज करने का नया वितण्डावाद इन दिनों जोरों पर है। लोकल, ग्लोबल की इकाई है। अनेक लोकल मिलकर ग्लोबल बनते हैं। इकाई के बिना दहाई की कल्पना करना, कल्पना भी हास्यास्पद है।

संस्कृत को पाठ्यक्रम से हटाना एक अक्षम्य भूल रही। तर्क दिया गया कि इसमें जो कुछ है, भूतकाल है। आधुनिकता के साथ ये भाषा नहीं चल पायेगी। क्या आधुनिकता का अर्थ यूरोप से आयातित ही हो सकता है जबकि संशोधनों में संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता वादातीत सिद्ध हो चुकी है। कतिपय स्वयंभू विद्वानों के मतानुसार संस्कृत हिंदुओं की भाषा रही, अत: उसका प्रयोग उचित नहीं होगा। जिस भूभाग पर जो समुदाय बहुतायत में होगा, स्वाभाविक है कि रचा जानेवाला साहित्य उस समुदाय की सांस्कृतिक मूल्यधर्मिता को दर्शायेगा। समुदाय की धार्मिक संस्कृति हो सकती है पर संस्कृति धार्मिक नहीं होती। फिर भाषा हिंदू और मुसलमान कब से होने लगी? उर्दू साहित्य में बड़ा योगदान गैर मुस्लिमों का है तो क्या उनका लेखन काफिर कहलायेगा? हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि अक्षर पर टिप्पणी करने का काम निरक्षर कर रहा है।

त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी, प्रादेशिक भाषा एवं संस्कृत/अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान किया जाता तो देश को ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। अब तो हिन्दी को पालतू पशु की तरह दोहन मात्र का साधन बना लिया गया है। जनता से हिन्दी में मतों की याचना करनेवाले निर्वाचित होने के बाद अधिकार भाव से अंग्रेजी में शपथ उठाते हैं।

साहित्यकारों के साथ भी समस्या है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के बड़े वर्ग में भाषाई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। इनमें से अधिकांश ने भाषा को साधन बनाया, साध्य नहीं। हद तो ये है कि अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति पर मोहित, दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे भी नहीं आना चाहता। यही स्थिति हिन्दी की रोटी खानेवाले प्राध्यापकों और हिन्दी फिल्म के कलाकारों की भी है। सिनेमा में हिन्दी में संवाद बोलकर हिन्दी की रोटी खानेवाले सार्वजनिक वक्तव्य अंग्रेजी में करते हैं। ऐसे सारे वर्गों के लिए वर्तमान दुर्दशा पर

अनिवार्य आत्मपरीक्षण का समय आ चुका है।

हिन्दी और हिन्दीतर लेखक, निवासी और प्रवासी लेखक जैसी संज्ञाएं भी इसी श्रृंखला की अगली कड़ी हैं। इस तर्ज पर तो भारत के सभी अंग्रेजी लेखकों को अब तक 'अंग्रेजीतर अंग्रेजी लेखक' के सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय सम्मान कूट लेने चाहिए थे। आशा है कि इन अवरोधों को समाप्त कर हम आगे आ पाएंगे और विश्वभर के हिन्दी लेखकों का एक ही समुदाय होगा।

भाषा के साथ-साथ भारतीयता के विनाश का जो षड्यंत्र रचा गया, वह अब आकार ले चुका है। भारत में दी जा रही तथाकथित आधुनिक शिक्षा में रोल मॉडल भी यूरोपीय चेहरे ही हैं। नया भारतीय अन्वेषण अपवादस्वरूप ही दिखता है। डूबते सूरज के भूखंड से आती हवाएँ, उगते सूरज की भूमि को उष्माहीन कर रही हैं।

छोटी-छोटी बात पर और प्राय: बेबात संविधान को इत्थमभूत धर्मग्रंथ-सा मानकर अशोभनीय व्यवहार करने वाले छुटभैयों से लेकर कथित राष्ट्रीय नेताओं तक ने कभी राष्ट्रभाषा को मुद्दा नहीं बनाया। जब कभी किसी ने इस पर आवाज उठाई तो बरगलाया गया कि भाषा संवेदनशील मुद्दा है। तो क्या देश को संवेदनहीन समाज अपेक्षित है? कतिपय बुद्धिजीवी भाषा को कोरी भावुकता मानते हैं। शायद वे भूल जाते हैं कि युद्ध भी कोरी भावुकता पर ही लड़ा जाता है। युद्धक्षेत्र में 'हर-हर महादेव' और 'पीरबाबा सलामत रहें' जैसे भावुक (!!!) नारे ही प्रेरक शक्ति का काम करते हैं। यदि भावुकता से राष्ट्र एक सूत्र में बंधता हो, व्यवस्था शासन की दासता से मुक्त होती हो, शासकों की संकीर्णता पर प्रतिबंध लगता हो, अनुशासन कठोर होता हो तो भावुकता देश की अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।

वर्तमान में सीनाजोरी अपने चरम पर है। काली चमड़ी के अंग्रेज पैदा करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा लानेवाले मैकाले के प्रति नतमस्तक होता आलेख पिछले दिनों एक हिन्दी अखबार में पढ़ने को मिला। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जनरल डायर और जनरल नील-छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर देश में शौर्य के प्रतीक के रूप में पूजे जाने लगेंगे।

सामान्यत: श्राद्धपक्ष में आयोजित होने वाले हिन्दी पखवाड़े के किसी एक दिन हिन्दी के नाम का तर्पण कर देने या सरकारी सहभोज में सम्मिलित हो जाने भर से हिन्दी के प्रति भारतीय नागरिक के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो सकती। आवश्यक है कि नागरिक अपने भाषाई अधिकार के प्रति जागरुक हों। वे सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभर में मुद्दा बनाएँ।

देखने में आया है कि चीन का युवा अंग्रेजी में कोई बात सीखता है तो सबसे पहले उसे मंदारिन में अनुदित कर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। भारतीय युवाओं से भी अपेक्षित है कि दुनिया की हर तकनीक को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा दें। आधुनिक तकनीक और संचार के अधुनातन साधनों से अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना तुलनात्मक रूप से बेहद आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं में अंतरजाल पर इतनी सामग्री अपलोड कर दें कि ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए अन्य भाषा भाषी भी हमारी भाषाएँ सीखने को विवश हो जाएँ।

सरकार से अपेक्षित है कि हिन्दी प्रचार संस्थाओं के सहयोग से विदेशियों को हिन्दी सिखाने के लिए क्रैश कोर्सेस शुरू करे। भारत आने वाले सैलानियों के लिए ये कोर्सेस अनिवार्य हों। वीसा के लिए आवश्यक नियमावली में इसे समाविष्ट किया जा सकता है।

कहने-सुनने-लिखने के लिए बहुत कुछ है। हम सब पर सामुदायिक रूप से जड़त्व का नियम (लॉ ऑफ इनरशिआ) लागू होता है। हम यथास्थितिवादी हो चले हैं। कर्मयोग की मीमांसा करते हुए गीता में कहा गया है-

श्रेयान् स्वधर्म: विगुण: परधर्मात् सु अनुष्ठिता ।
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्म: भय आवह: ।।

अर्थात् अपना धर्म चाहे उसमें कमियाँ ही क्यों न हों, दूसरे के धर्म से अच्छा है। परधर्म अपनाने से अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु का अंगीकार करना श्रेयस्कर है। क्या भारतीयता, भारतीय धरती पर जन्म लेने वाले का धर्म नहीं होना चाहिए? हिन्दी भाषा और हिन्दी संस्कृति के लिए पहल हिन्दुस्तानी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कहा भी गया है- या क्रियावान स: पण्डिता:।

बढ़ते विदेशी पूँजीनिवेश के साथ भारतीय भाषाओं और भारतीयता का संघर्ष 'अभी नहीं तो कभी नहीं' की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। समय की मांग है कि 'उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे' जैसी तुलना या मैग्निफाइंग ग्लास लेकर पत्र-पत्रिकाओं में गलतियाँ तलाशने की वृत्ति छोड़कर, बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी साहित्यकार साथ आएँ। केवल हिन्दी नहीं अपितु भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के एकसाथ आने की आवश्यकता है। प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के नारे को बुलंद करना होगा। 'अंधाधुंध अंग्रेजी' के विरुद्ध ये एकता अनिवार्य है। बीते सात दशकों में पहली बार भाषा नीति को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार संवेदनशील और सक्रिय दिखाई दे रही है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, भारत और भारतीयता के पक्ष में स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल की है। मंत्री तो मंत्री रक्षा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हिन्दी में अपनी बात रख

शेष पृष्ठ संख्या 47 पर

माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाएँ सम्मिलित करने के कारण और औचित्य

माध्यमिक कक्षाओं में विदेशी भाषा शिक्षण विषय पर चर्चा से पूर्व भाषा, भाषा की अधिगम प्रक्रिया, विभिन्न स्तरों-प्राथमिक और माध्यमिक में छात्रों की अधिगम क्षमता, अधिग्रहण क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल के विषय में जानना परम आवश्यक हो जाता है । भाषा वह नदी है जो मन से नि:सृत भावनाओं को बहाकर जनमानस तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाती है । भाषा इतिहास एवं संस्कृति की वाणी है, मनुष्य की आत्मा है । भाषा-अर्जन की प्रक्रिया में पारिवारिक व सामाजिक परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और बच्चे की स्वयं की प्रतिभा सर्वोपरि। यह प्रक्रिया आजीवन सतत एवं अनायास चलती रहती है और फिर भी अपूर्ण रहती है । इसका कारण भाषा का समय, परिस्थिति और विकास के साथ संवर्धन होना है । पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से पहले शिशु अनुकरण के जरिए मातृभाषा ग्रहण करता है । यदि परिवार के सदस्य बहुभाषी हों तो बच्चा भी उन सभी भाषाओं का अनुकरण से सहज ही अर्जन कर लेता है । यह प्रक्रिया पूर्णत: अनौपचारिक होती है । इसमें ना तो भाषा का व्याकरण सिखाई जाती है ना ही बच्चा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है । सहज ही अनुकरण कर मातृभाषा का अर्जन करता है । भाषा की शब्द व्युत्पत्तिपरक क्षमता और मानव मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता दोनों में ऐसा सामंजस्य स्थापित होता है कि भाषा मस्तिष्क के अनुरूप परिचालित होने लगती है । वास्तविक परिवेश से जुड़कर भाषा की तमाम जटिलताएं स्वयं ही सरल हो जाती हैं और बच्चा मातृभाषा अर्जन में गुणात्मक विकास करने लगता है । वे संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग में समर्थ हो जाते हैं ।

पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में छात्र जब अधिगम प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसे मातृभाषा या स्थानीय भाषा की ध्वनि, वर्णमाला, जटिल व्याकरणिक बिंदुओं, शब्दावली और भाषायी पेचीदगियों से परिचित कराया जाता है, जो भाषा का मूलभूत आधार है । शिशु का कोमल मस्तिष्क ज्ञान को संचित करता चलता है और अपनी भाषा को समृद्ध करने का प्रयास करता है । पाँचवी कक्षा तक वह सभी विषयों को भली प्रकार समझ लेता है और भाषा की स्पष्टता, शुद्धता और अशुद्धियों में अंतर करना सीख जाता है । छात्र जब माध्यमिक कक्षा में प्रवेश करता है तब भाषा की मजबूत नींव के आधार पर वह भाषा अधिगम करने में सक्षम होता है । उसका कोमल मस्तिष्क कच्चे घड़े का आकार पा लेता है । अब उसे आग में तपा कर दृढ़ और मजबूत बनाने की प्रक्रिया का आरंभ होता है । बच्चा प्रतीकों या विचारों का उपयोग करके तर्क करता है । सोचने के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत महसूस नहीं करता । उसकी सोच या संज्ञान का विकास होता है ।

रेणु शर्मा

अनेक शोधों से भी यह ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने की अधिक क्षमता होती है । बालक की जिज्ञासु वृत्ति उसे शीघ्र आत्मसात कर लेती है । ये बातें उसके मस्तिष्क पटल पर पत्थर की लकीर की तरह गढ़ी जाती हैं । रचनात्मक कौशल, तार्किक शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है । बेहतर श्रवण शक्ति, स्मृति कौशल की अधिकता के कारण ये भाषा को जल्दी संसाधित कर लेते हैं । प्राथमिक स्तर पर तर्क शक्ति के विकसित और परिपक्व होने के कारण उन्हें अन्य भाषा/विदेशी भाषा को सीखने में सुगमता होती है । अपनी भाषा को जानने के बाद वे अन्य भाषा से तालमेल बिठाने में समर्थ हो जाते हैं,। क्योंकि तर्क -वितर्क की शक्ति विकसित हो जाती है । स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा नीति निर्धारण का कार्य किया गया । शिक्षा नीति 1986 के अनुच्छेद 3.5 में कहा गया है कि भारत ने विभिन्न देशो में शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है और 'वसुधैव कुटुंबकम' के आदर्शों को संजोया है । इस परंपरा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस कथन से भी सिद्ध होता है कि आपसी सद्भाव और परस्पर भाईचारे के लिए अन्य भाषा और विदेशी भाषाओं का माध्यमिक कक्षाओं में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है । कुछ राज्यों में अंग्रेजी के अतिरिक्त इच्छानुसार अरबी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी तथा पोर्तुगीज भी पढ़ाई जाती है । निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व विदेशी भाषा शिक्षण के नकारात्मक पक्ष के साथ-साथ सकारात्मक बिंदुओं पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है । तो आइए विदेशी भाषा शिक्षण को माध्यमिक कक्षाओं में सम्मिलित करने की संभावनाओं पर विचार करते हैं । विदेशी भाषा के अध्ययन से बच्चे व्याकरण और उच्चारण तो सीखते ही हैं बल्कि उस दुनिया के हर हिस्से के इतिहास और संस्कृति से भी रू-ब-रू हो जाते हैं, जिस हिस्से की वह भाषा है । इससे रोजगार और अकादमिक अवसरों में अपनी बढ़त बना सकते हैं । ग्लोबलाइजेशन और खुली अर्थव्यवस्था के इस दौर में 'मेक इन इंडिया' से मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ट्रेड के लिए विभिन्न देशों में अपने ऑफिस और कारखाने स्थापित कर रही हैं । बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी भाषा में कार्य करने को प्राथमिकता देती हैं । ऐसी कंपनियों

के अधिकारियों को भारतीय समकक्षों के साथ बात करने में भाषा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । ऐसे में उस देश की भाषा और भारतीय भाषाओं की जानकारी संप्रेषण की खाई को पाटती है । लिहाजा विदेशी भाषाओं के जानकारों के लिए रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं ।

देश में पर्यटन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है । यहाँ हर साल लाखों की संख्या में आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटरों की जरूरत पड़ रही है । मेडिकल टूरिज्म के साथ खाड़ी देशों के निवासी हर साल यहाँ निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराने आ रहे हैं । उचित तरीके से मार्गदर्शन के लिए विदेशी भाषा के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है । वैश्वीकरण के दौर में अनुवाद और पत्र–पत्रिकाओं का संपादन भी ऐसे लोगों के लिए निजी व्यवसाय के रूप में काम करने का मौका दे रहा है । विदेशी भाषाओं के जानकार विदेशी मीडिया में भारत से रिपोर्टिंग का काम संभाल रहे हैं । व्यवहारिक अध्ययन में पाया गया है कि –

• दो या दो से अधिक भाषाएँ बोलना संज्ञानात्मक प्रक्रिया की एक बड़ी संपत्ति है ।

• विदेशी भाषा के ज्ञान से मस्तिष्क की कार्य क्षमता को पहचानने, बातचीत करने, अर्थ को समझने और विभिन्न भाषा प्रणालियों में संवाद करने की चुनौती दे सकता ।

• यह कौशल अन्य समस्या समाधान कार्यों में भी अर्थपूर्ण बातचीत करने की क्षमता को बढ़ाता है ।

• विदेशी भाषाओं का अध्ययन करने वाले मानकीकृत परीक्षणों पर बेहतर स्कोर करते हैं ।

• अन्य/विदेशी भाषा का अध्ययन करने वाले अल्जाइमर और मनोभ्रंश से भी बच सकते हैं ।

इस अध्ययन में शिक्षा के स्तर, आय स्तर, लिंग और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर विचार किया और परिणाम सुसंगत थे । इस दिशा में किए गए शोध कार्यों ने सिद्ध किया है कि द्विभाषी/बहुभाषी

• अन्य/विदेशी भाषा का अध्ययन करने से स्मरण शक्ति विकसित होती है ।

• सूची या अनुक्रम को याद रखने में बेहतर होते हैं ।

• द्विभाषी आसपास के माहौल को देखने में बेहतर होते हैं ।

• प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और अप्रासंगिक को संपादित करने में अधिक माहिर होते है ।

• भ्रामक सूचनाओं को पहचानने में भी बेहतर होते हैं ।

• द्विभाषी अधिक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं ।

वैश्वीकरण और सार्वभौमीकरण के दौर में यदि बच्चे को भाषा और संस्कृति के अध्ययन से जल्द अवगत कराया जाता है तो बच्चा कम उम्र में ही अपनी समझ के दायरे में वैश्विक अवधारणाओं और सूक्ष्म निहितार्थों को शामिल कर सकेगा ।

माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से निम्नलिखित लाभ के अवसर हो सकते हैं--

• अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों को अपनाने के कारण विदेशी भाषा सीखना आवश्यक हो गया है ।

• विदेशी भाषा का अध्ययन ना केवल छात्रों को नए संचार कौशल सिखाता है बल्कि यह संस्कृति और समाज का एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है ।

• द्विभाषा शिक्षा कैरियर के अवसरों को बढ़ाती है ।

• व्यावसायिक संचार, लाइव इवेंट्स, बैठकों और सम्मेलनों या उनके काम में या उनके महत्वपूर्ण काम में दस्तावेजीकरण के लिए भाषा विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है ।

• अनेक स्थानों पर दुभाषियों और अनुवादकों की आवश्यकता होती है । अत: विदेशी भाषा सीखना धनोपार्जन का एक अच्छा साधन भी हो सकता है ।

माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा शिक्षण को वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर देखने पर हमें अनेक संभावनाएं तो दिखाई देती हैं लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह मृग मरीचिका मात्र है । माध्यमिक स्तर पर एक भाषा के चयन का विकल्प है, जिससे विदेशी भाषा के चयन करने के कारण छात्र अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, सभ्यता, संस्कृति, परिवेश से कोसों दूर चला जाता है । आज विदेशों में इंजीनियरिंग आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्र भी बाबा रामदेव द्वारा संचालित 'गुरुकुलम' में संन्यास ग्रहण कर वेदों का अध्ययन कर रहे हैं । वेदों और आधुनिक शिक्षा की समन्वित अवधारणा को अपनाकर विकास पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जहाँ शरीर इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास होता है तथा सेवा, त्याग, समर्पण जैसे गुणों से मानवीय मूल्यों का विकास होता है । आज छात्र वर्ग को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है कि वे पिंजरे में बंद ना होकर मुक्त गगन में उड़ान भर सकें । शिक्षा का स्वरूप मनोवैज्ञानिक हो, उन्नत बनाने वाला हो, मानवीयता एवं शिक्षा का समन्वित विकास करने वाला हो । यदि हम सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और विकास चाहते हैं तो वह भाषा के संवर्धन से ही सम्भव है। अत: हमारा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, सभ्यता, संस्कृति और परिवेश का ज्ञान प्रदान

जाए, अन्यथा 'धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का' वाली स्थिति होगी।

विशाल वृक्ष के पत्तों के सौंदर्यीकरण से वृक्ष विकसित नहीं होते । विकसित होते हैं जड़ों को सींचने से, अच्छे पोषण से । मेरे विचार में सुदृढ़ व्यक्तित्व रूपी वृक्ष के विकास के लिए स्वदेशी भाषाओं का अध्ययन परम आवश्यक है । किसी भी भाषा के अध्ययन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है । अपनी अभिरुचि व प्रयोजन हेतु स्नातक कक्षाओं में छात्र विदेशी/अन्य भाषा का अध्ययन कर इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । मेरे मतानुसार माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा शिक्षण अनुपयोगी है, प्रयोजनमूलक नहीं । अतः आवश्यकता है दासत्व युक्त मानसिकता को छोड़ अपनी गौरवशाली सभ्यता को जानने, पुष्ट करने और प्रचार-प्रसार के लिए कर्मरत होने की।

सैद्धांतिक धरातल पर तो हमने अन्य भाषा और विदेशी भाषा के अधिगम से लाभ के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है । अन्य भाषा और विदेशी भाषा में हमने अनेक संभावनाओं को खोजने का प्रयास भी किया है । क्या यह व्यवहारिक धरातल पर भी संभव है ? मन में उठने वाले अनेक प्रश्न हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि विदेशी भाषा को लेकर हमने जो स्वप्न सँजोए हैं क्या वे साकार होंगे ? क्या माध्यमिक कक्षा का छात्र वास्तव में अन्य भाषा और विदेशी भाषा अधिगम में पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाएगा ? निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने का कार्य किया गया है-

• मातृभाषा अर्जन के विपरीत भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है । चाहे अन्य भाषा हो या विदेशी भाषा उसके अधिगम के लिए वैसा वातावरण नहीं मिलता जैसा वातावरण मातृभाषा अर्जन में मिलता है ।

• भाषा अधिगम सोद्देश्य होता है ।

• अन्य भाषा/विदेशी भाषा सीखने से पूर्व मातृभाषा का समुचित ज्ञान अपेक्षित होता है, जिसके आधार पर अन्य भाषा /विदेशी भाषा सीखी जाती है ।

• प्राथमिक कक्षाओं में सभी व्याकरणिक बिंदुओं का ज्ञान ही नहीं होता तो यह कैसे संभव हो पाएगा ?

• अन्य भाषा/विदेशी भाषा सांस्कृतिक भिन्नताओं के अतिरिक्त प्रत्येक भाषा की उच्चारण प्रक्रिया, बलाघात, अनुतान आदि की दृष्टि से भी भिन्न होती है । साथ ही रूप प्रक्रिया एवं वाक्य प्रक्रिया की दृष्टि से प्रत्येक भाषा विशिष्ट हुआ करती है ।

• लेखन व्यवस्था, वर्तनी व्यवस्था आदि अनेक पक्ष है जिनमें भाषागत अवरोध स्वाभाविक रूप से होता है ।

• अन्य भाषा/ विदेशी भाषा अधिगम के लिए व्याकरण की किताबों के अलावा चाहे कितनी भी दृश्य-श्रव्य सामग्री क्यों न हो भाषा प्रयोग की व्यवहारिक स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता ।

• अन्य भाषा/विदेशी भाषा अधिगम सीमित व आंशिक होता हैजो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के युग में अंतरभाषिक एवं अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है ।

• उल्लेखनीय है कि अन्य भाषा/विदेशी भाषा अधिगम मानक भाषा का होता है, उसके साहित्यिक व क्षेत्रीय प्रयोग वैशिष्टयों से परिचित होना कठिन होता है ।

सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता और अनुभव से लाभ उठाने की अहम भूमिका है । माध्यमिक स्तर पर न तो परिपक्वता होती है, ना ही अनुभव, ना ही व्याकरण व साहित्य का समुचित ज्ञान तो व्यवहारिक धरातल पर भाषा अधिगम कठिन लगता है । स्पष्टता, वातावरण और अनुक्रिया इन तीन तत्व से अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है, यदि तीनों में से कोई एक तत्व भी अनुपस्थित हो तो अधिगम का प्रभावशाली होना संभव नहीं है । मेरे विचार में उच्चतम कक्षाओं में अपनी रुचि के अनुरूप अन्य भाषा/विदेशी भाषा का सोद्देश्य चयन करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है क्योंकि तब परिपक्वता व अनुभव होता है, व्याकरण व साहित्य से परिचय हो जाता है, जो भाषा अधिगम में सहायक सिद्ध होगा । भाषा में रुचि और निर्धारित लक्ष्य भाषा अधिगम को और भी सुगम बना देंगे ।

धरा शिरोमणि, विश्वगुरू आर्यावर्त के नाम से विख्यात हमारा भारतवर्ष बहुभाषाओं, विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम स्थल है । 'कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी।'

'यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गए जहाँ में ।
कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।'

जो भी संस्कृतियां भारत में आई सब इसी में समा कर रह गई। यद्यपि विभिन्न भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने के अनेक लाभ हैं तथापि हम अपने अस्तित्व को ना भूल कर जो ग्राह्य है, उसे ग्रहण करें ।

'सार सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाय ।'

अर्थात जो राष्ट्र हित में है वही अपनाएं । 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के रहते अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक हो जाता है । क्योंकि भाषा के ज्ञान से ही हम सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर- क्या बेहतर है ? जान सकेंगे । अन्य भाषाओं के द्वारा हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृति से परिचित कराकर विश्वभर में अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर पाएंगे । हमारे देश में वेदों, उपनिषदों और महान ग्रंथों में ज्ञान का अपार भंडार है । उसका प्रचार-प्रसार करने में

सक्षम होंगे । भाषाओं को लाभ के लिए सीमाबद्ध नहीं करना चाहिए । अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करें ताकि ग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझ कर उद्घाटित कर विश्वभर में अपनी अस्मिता को बनाने में सक्षम हों। निजभाषा ज्ञान के अभाव में ज्ञानार्जन असंभव है । केवल एक सकारात्मक सोच के साथ ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन हमारा लक्ष्य होना चाहिए । विदेशी भाषाओं में अपने देश के गौरवशाली साहित्य की रचना कर अपनी श्रेष्ठता और विश्व गुरुत्व को पुनः स्थापित करें । विदेशी साहित्य के अध्ययन से पूर्व अपने देश के साहित्य का गहन अध्ययन परम आवश्यक है । विदेशी भाषाओं का चयन अपनी रुचि के अनुसार उच्चतर कक्षाओं में किया जा सकता है ताकि वे रुचि के अनुरूप इच्छित क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर सकें । जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । आज लगभग सभी विषयों का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण छात्रों की हिन्दी के प्रति अरुचि है । वह हिन्दी पढ़ना नहीं चाहते और अंग्रेजी भी ठीक से पढ़ और समझ नहीं पाते । जब तक अपनी भाषा के मूलभूत तत्वों की जानकारी का अभाव होगा तब तक अन्य भाषा सीखना भी कठिन है । यह तो वही स्थिति है,

'हरफनमौला हरफन अधूरा'

('Jack of all trades master of none')

इसीलिए बेहतर है सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को सीखें और उसी का गहन अध्ययन कर योग्यता हासिल करें । क्योंकि--

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल।'

पृष्ठ संख्या 35 का शेष

उनके सवाल के जवाब में स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री फोर्ब्स का जवाब था कि सरकार गुल्हाने की मांग पर 'विचार करेगी', क्योंकि स्कॉटलैंड में हिन्दीभाषियों का भी बहुत योगदान है । फोर्ब्स के जवाब की अगली पंक्ति देश की गैर हिन्दीभाषी राजनीति को हैरत में डाल सकती है । फोर्ब्स का जवाब रहा, 'यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि स्कॉटलैंड के भारतीय मूल के लोगों को लगे कि सभी सरकारी सूचनाएँ उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं ।' जिस विलायत ने अपनी भाषा के जरिये हमारे यहाँ मानसिक उपनिवेशवाद की नींव को मजबूत किया है, उसी की धरती पर हिन्दी का सम्मान होना मामूली बात नहीं है । बेहतर होता कि भारत की हिन्दी विरोधी राजनीति भी इससे कुछ सीख लेती ।

पृष्ठ संख्या 40 का शेष

अब बात आती है ब्रजभाषा साहित्य कोश की, उसका उद्धेश्य यह है कि इस साहित्यिक प्रान्तों, देशों में ब्रजभाषा को पढ़ने-पढ़ाने में जो आज कठिनाई आ रही है विशेषरूप से ऐसे प्रदेशों में जहाँ क्षेत्रीय भाषाएँ प्रथम भाषा के रूप में स्वीत हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए एक ऐसा कोश बनना चाहिए जो ब्रजभाषा साहित्य के अध्ययन-अध्यापन को ठीक रूप से हिन्दी साहित्य को एक आवश्यक आलम्बन प्रदान कर सके। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आज केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। वर्तमान में साहित्यिक ब्रजभाषा को समझने के लिए आवश्यक है कि ब्रजभाषा साहित्य का सर्वेक्षण एक ऐसे रूप में कराया जाए जिससे साहित्य की प्रति सार्वदेशिक, सार्वभौमिक एकरूपात्मकता लाने वाली हो। यह भाषा इतनी प्रचलित हो कि देश के संविधान में इसे भी राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो सके।

1) ऋग्वेद 2,38,8; 5,35 इत्यादि ।

2) पंचदश लोकभाषा निबंधावली प्रथम संस्करण-1960 ई., 213

3) प्रेमनारायण टण्डन- सूर की भाषा 30,31

4) डॉ. सत्येन्द्र- ब्रज लोक साहित्य अध्ययन, 1949; कैलाश चंद भाटिया, 1998, 55

5) भोलानाथ तिवारी- हिन्दी भाषा, द्वि. सं., 155

6) के.डी. बाजपेयी- ब्रज का इतिहास, प्रथम खण्ड, प्र.सं. 1955 ई.

7) पंचदश लोक भाषा निबंधावली प्रथम संस्करण 1960 ई.

8) आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कैलाश चंद्र भाटिया-हिन्दी ब्रजभाषा

9) डॉ. रामरज पाल द्विवेदी (ब्रजभाषा विशेषज्ञ), एटा के मौखिक वार्तानुसार

पृष्ठ संख्या 43 का शेष

रहे हैं। यह सही समय है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पक्ष में आम जनता स्वप्रेरणा से आगे आए।

लगभग चार दशक पूर्व दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा देश आजाद हुआ। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि देश आज से 'रोडेशिया' की बजाय 'जिम्बॉब्वे' कहलायेगा। राजधानी 'सेंटलुई' तुरंत प्रभाव से 'हरारे' होगी। नई सदी प्रतीक्षा में है कि कब 'इंडिया' की केंचुली उतारकर 'भारत' बाहर आयेगा।

प्रश्न अनेक हैं। हमारी अपेक्षा है कि समुदाय चिन्तन करने को प्रवृत्त हो। चिंतन, चेतना को झकझोरे और चैतन्य नागरिक सक्रिय हो। नीति कहती है कि समाज दुर्जनों की सक्रियता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से बाधित होता है। 'इंडिया' की केंचुली से मुक्ति के लिए हम सबकी सामूहिक सक्रियता वांछित है।

स्थानीय भाषाओं का अस्मिताबोध और हिन्दी

भारत की क्षेत्रीय भाषाएँ इन दिनों अस्मिता को प्रदर्शित करने का राजनीतिक हथियार बनती नजर आ रही हैं। भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बघेली, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी आदि को हिन्दी की बोलियां बताया था, उन्होंने अपनी तरफ से विद्रोह कर दिया है। विद्रोह की वजह है संविधान के अनुच्छेद 343 और संविधान की आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची के मुताबिक हिन्दी भी उन 22 भाषाओं में एक है, जिन्हें इस अनुसूची में जगह दी गई है। आठवीं अनुसूची में चूंकि कुछ हजार से लेकर कुछ लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोंकणी, मणिपुरी और सिंधी तक शामिल की जा चुकी हैं, इसलिए अब हिन्दी की बोलियाँ मानी जाती रहीं । भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका और कुमायूंनी समेत 38 भाषाओं या बोलियों को भी इस अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। बोली और भाषा के पारंपरिक विवाद और पारिभाषिक भाषा वैज्ञानिक शब्दावली को किनारे रख भी दें तो इनमें सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी का तर्क कहीं ज्यादा दमदार है। दमदार इसलिए कि हिन्दी की अकेली बोली या उपभाषा भोजपुरी ही है, जिसका प्रसार मारीशस, फीजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों तक फैला हुआ है। हालांकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी क्षेत्र की भाषाओं या बोलियों को शामिल किए जाने को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। यह विरोध किसी खासक्षेत्र की भाषा या बोली या राजनीतिक अस्मिता को नकारबोध के जरिए नहीं हो रहा है, बल्कि विरोधियों का तर्क है कि अगर इसी तरह हिन्दी क्षेत्र की सभी भाषाओं को एक-एक करके आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाता रहा और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाता रहा, तो इससे बोलियों की थोड़ी-बहुत राजनीतिक ताकत जरूर बढ़ जाएगी या फिर उनके लिए आंदोलन करने वाले लोगों की राजनीतिक हैसियत बढ़ जाएगी, लेकिन यह तय है कि बरसों से अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का अपना असल हक हासिल करने के इंतजार में बैठी हिन्दी की प्रतीक्षा और बढ़ जाएगी। हो सकता है कि यह अनंतकाल तक बढ़ जाए क्योंकि बेशक भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या करीब तीन फीसद हो, लेकिन उसे भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बाकायदा मांग की जा चुकी है।

आठवीं अनुसूची में शामिल करने या न करने को लेकर अपने-अपने तर्क हो सकते हैं लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भाषाओं का अपना जनतंत्र होना चाहिए । इसे तर्क से समझने के लिए स्वतंत्रता सेनानी और विशाल भारत के संपादक रहे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के विचार को जान लेना जरूरी है। 1981 में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में गाँधी जी के अनन्य सहयोगी रहे चतुर्वेदी जी ने बोलियों और भाषा के अंतर्संबंधों को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था- "ये जो बोलियां हैं, अवधी है, ब्रजभाषा है, मैथिली है, खड़ी बोली की माता है। खड़ी बोली इनसे निकली है, ये खड़ी बोली की सौत नहीं है।" जिस तरह संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को सीमित हद तक स्वायत्तता होती है, दरअसल पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी भारतीय भाषाओं के लिए भी इसी तरह की स्वायत्तता की वकालत करते थे। इसी संदर्भ में उनकी कल्पना भाषाओं के जनपद की थी। बनारसी दास चतुर्वेदी के भाषाओं के जनपद में सभी भाषाएँ अपनी पूरी स्वायत्तता के साथ विकास करतीं और सम्मिलित रूप से हिन्दी को समृद्ध करते हुए केंद्रीय भाषा के तौर पर विकास करतीं। इसे वे जनपदीय आंदोलन कहा करते थे।

उमेश चतुर्वेदी

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने को लेकर जारी आंदोलनों और मांगों से निबटते वक्त अतीत में केंद्र सरकारों ने इस तर्क का शायद अनजाने में ही सहयोग नहीं लिया। हो सकता है कि उन्हें पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की इस सोच की भी जानकारी नहीं हो।

भारत की राजभाषा को लेकर 12 सितंबर 1949 की शाम को संविधान सभा में जो चर्चा शुरू हुई और 14 सितंबर 1949 तक चली, उसका प्रेरणा स्रोत गाँधी के विचार ही थे। गाँधी ने 29 मार्च 1918 को इंदौर में आठवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते वक्त ही पहली बार अपने संबोधन में पहली बार कहा था कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। गाँधी को पता था कि हिन्दी को वे इलाके शायद ही स्वीकार करें, जहाँ उसका चलन नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर हिन्दी की नींव मजबूत बनाने का रचनात्मक आंदोलन भी छेड़ा। इसी सिलसिले में उन्होंने इंदौर से ही पांच 'हिन्दी दूतों' को देश के उन राज्यों में भेजा था, जहाँ उन दिनों हिन्दी का ज्यादा प्रचलन नहीं था। जिस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका आदि जगहों पर भेजा, गाँधी ने भी उसी तर्ज पर जो हिन्दी दूत गैर हिन्दीभाषी इलाकों में भेजे, उनमें उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गाँधी भी शामिल थे। इसी मुहिम के तहत मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई।

हिन्दी ऐसी भाषा नहीं है, जैसी बांग्ला है या तमिल है या ऐसी दूसरी भाषाएँ हैं। हिन्दी दरअसल छोटी-छोटी भाषाओं-बोलियों का बड़ा समुच्चय है। इस समुच्चय में सबकी अस्मिता भी बनी रहे और हिन्दी का भी नुकसान ना हो। इसे समझने के लिए नर्मदेश्वर चतुर्वेदी का कथन उल्लेखनीय है। चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ हिन्दी का भविष्य में लिखा है, "हिन्दी वास्तव में किसी एक ही भाषा अथवा

बोली का नाम नहीं है अपितु एक सामाजिक भाषा परम्परा की संज्ञा है, जिसका आकार-प्रकार विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों के ताने-बाने द्वारा निर्मित हुआ है।" हिन्दी को लेकर यह अवधारणा अठारहवीं सदी से ही लिखित रूप में नजर आ रही है। अंग्रेज विद्वान हेनरी काल ब्रूक ने 1782 में कहा था, "जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं। जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसे प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग समझते हैं, उसी का नाम हिन्दी है। "

ऐसा लगता है कि गाँधी जी को भविष्य में बोलियों के राजनीतिक रूख के चलते हिन्दी को होने वाली चोट का अहसास था। शायद यही वजह है कि उन्होंने 31 जनवरी 1929 को यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था। अपने लेख में गाँधी जी ने लिखा था- "यह बात अब सभी को स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए कि हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं का कतई स्थान नहीं लेना है, उसे तो अंतरप्रांत की अधिकृत भाषा का स्थान लेना और प्रांतीय विचार विनिमय का माध्यम बनना है।"

हिन्दी के पाठ्यक्रमों में भाषा और बोली के अंतर को लेकर पढ़ाया जाता रहा है। पाठ्यक्रमों की पुस्तकों के मुताबिक भाषा वह है, जिसके पास शिष्ट साहित्य हो, जबकि बोली वह है, जहाँ शिष्ट साहित्य का अभाव है। लेकिन इस तर्क का आधार भी कमजोर है। शिष्ट साहित्य के अभाव में जिसे हम बोली कहते हैं, दरअसल उनके यहाँ भी लोकसाहित्य की समृद्ध परम्परा होती है। चाहे भोजपुरी हो या फिर अंगिका या बज्जिका, सबके पास लोकसाहित्य की अपनी गहन परम्परा है और उनका लोकसाहित्य उनकी सांस्कृतिक भूमि के रस-गंध को खुद में पूरी तरह समाये हुए है। वैसे आज के भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के विवाद को पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते रहे तर्कों के आलोक में नहीं देखते। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे स्लोवेनिया के ल्जूब्लजाना विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर अरूण प्रकाश मिश्र बोली और भाषा के पारंपरिक तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में आज तक न कोई भाषा बोली बनी है और न बनेगी। उनका कहना है कि बोली से भाषा बनती है, भाषा से बोली नहीं बनती। अपने तर्क को साबित करते हुए कहते हैं कि संस्कृत कुरु-प्रदेश की कौरवी बोली (कुरु-प्रदेश में बोली जानेवाली बोली) से भाषा बनी, हिन्दी खड़ीबोली से भाषा बनी। वैसे भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा का विकास राजनैतिक-प्रशासनिक और व्यापारिक कारणों से होता है। अगर हिन्दी का भी व्यापक प्रसार हो रहा है तो उसकी बड़ी वजह राजनैतिक-प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र हैं। अरूण प्रकाश मिश्र के मुताबिक इस प्रक्रिया को न रोका जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। अरूण प्रकाश मिश्र के मुताबिक हिन्दी की सभी बोलियाँ अब 'भाषा' बन चुकी हैं, उनकी अब अपनी राष्ट्रीयताएँ हैं, दिल्ली-आगरा की खड़ीबोली की भाषा लघुजाति के स्तर को पार कर महाजाति बनने की प्रक्रिया में हैं। भाषा को लेकर जो अकुलाहट-बौखलाहट-चरमराहट दिखाई दे रही है, वह इसी की प्रतिक्रिया है।

आठवीं अनुसूची में अपनी-अपनी भाषाओं को शामिल कराने की जो व्यग्रता दिख रही है, उसकी असल वजह राजनीति है। जब छोटी बोलियों और समूहों की भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया तो बड़े समूहों को लगा कि वे उपेक्षित हो रहे हैं। भोजपुरी को लेकर संसद तक में उठने वाली मांग को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। आज का भोजपुरी भाषी समाज अगर आंदोलित है या आठवीं अनुसूची में अपनी भाषा को सम्मिलित कराने की मांग कर रहा है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि अब भारत में रहने वाला भोजपुरी समाज भी जागरूक हुआ है, वह पहले की बनिस्बत समृद्ध हुआ है और वह भी अपनी राजनीतिक ताकत को समझने लगा है। हालांकि अपने आधार वाले इलाकों में अपनी भाषा को स्थापित करने को लेकर इस समुदाय में वैसी जागरूकता नजर नहीं आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वह अपने समुदाय में राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा अलंबरदार ही नहीं, पैरोकार भी है। इसलिए ऐसा हर कदम उसे राष्ट्रीयता बोध के खिलाफ नजर आता है। लेकिन जब यही समुदाय दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों में कमाने-खाने जाता है और वहां खुद के साथ नाइंसाफी होते देखता है तो जागरूक होता है। भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, ब्रज, राजस्थानी आदि को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर उठी मांग को इन्हीं संदर्भों में देखा-समझा जा सकता है।

वोट बैंक की राजनीति ने भाषाओं को भी उनके अस्मिताबोध से जब परिचित कराया तो ऐसी मांगें उठनी ही थीं। लेकिन आठवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद भी कुछ एक भाषाओं को छोड़ दें तो किसी का खास विकास होता नजर नहीं आ रहा है। जब हिन्दी में ही लेखन के दम पर जीने की उम्मीद नहीं की जा सकती तो छोटी भाषाओं को लेकर ऐसी उम्मीद भी बेमानी है। इसलिए जरूरत तो इस बात की है कि हिन्दी को लेकर ही अस्मिताबोध को ठीक उसी अंदाज में जगाया जाय, जिस तरह गाँधी जी की अगुआई में आजादी के रणबांकुरों ने जगाया था। गाँधी जी को शायद आशंका थी कि आगे चलकर देश में भाषाओं को लेकर सांप्रदायिकता का खेल भी खेला जा सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने इंदौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मंच से कहा था, "हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी संस्कृतमयी नहीं है, न ही वह एकदम

फारसी अल्फाज से लदी हुई है।" उन्होंने अदालती कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की जोरदार पैरवी करते हुए कहा था, "हमारी कानूनी सभाओं में भी राष्ट्रीय भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिए। हमारी अदालतों में राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषाओं का जरूर प्रचार होना चाहिए।" इंदौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गाँधी जी ने हिन्दी और स्थानीय भाषाओं को स्वराज के अभियान से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, "मेरा नम्र, लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिन्दी को राष्ट्रीय दर्जा और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे, तब तक स्वराज की सब बातें निरर्थक हैं।"

इसी क्रम में हिन्दी को लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विचारों को भी जान लेना जरूरी है, जिन्होंने राजभाषा के रूप में एक समय हिन्दी का विरोध किया था। बाद में राजगोपालाचारी ने खुद भी 1956-57 में यह माना कि हिन्दी भारत के बहुमत की भाषा है और वह राष्ट्रीय भाषा होने का दावा कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्य में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा होना निश्चित माना था। ऐसा कहते वक्त राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया था कि भारत के सभी भागों में सारी शिक्षा का एक उद्देश्य हिन्दी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए और यह आशा प्रकट की थी कि संचार-व्यवस्था और वाणिज्य की प्रगति निश्चय ही यह कार्य संपन्न करेगी।

गाँधी जी हिन्दी को स्थापित करने के जरिए मैकाले की उस सोच का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसने दो फरवरी 1865 को ब्रिटिश संसद में दिए भाषण में जाहिर किया था। तब उसने कहा था, " मैंने पूरे भारत के कोने-कोने में भ्रमण करके एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, जो या तो भिखारी हो या फिर चोर हो। इस देश में ऐसी समृद्धि, शिष्टता और लोगों में इतनी क्षमता देखी है कि मैं यह सोच भी नहीं सकता कि हम इस देश पर तब तक राज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें, जो इस देश के अध्यात्म और संस्कृति में निहित है। अतः यह मेरा प्रस्ताव है कि हम उनकी (भारतीयों की) पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को ही बदल दें। यदि ये भारतीय यह सोचने लगें कि विदेशी और अंग्रेजी ही श्रेष्ठ है और हमारी(अंग्रेजों की) संस्कृति से उच्चतर है तो वे अपना आत्म सम्मान, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को ही खो देंगे और तब वे वह बन जाएंगे, जो हम उन्हें वास्तविकता में बनाना चाहते हैं यानी एक गुलाम देश।"

संविधान के अनुच्छेद 343 (3) और कांग्रेस दल की कार्यसमिति के दो जून 1965 के भाषा प्रस्ताव के चलते हिन्दी अपना उचित मुकाम हासिल नहीं कर पायी है। कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव में हिन्दी को एक तरह से बांध दिया। जिसके तहत यह तय हुआ कि एक भी राज्य अगर हिन्दी का विरोध करेगा तो हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 343(3) के तहत हिन्दी को संविधान लागू होने के पंद्रह वर्षों में अंग्रेजी को हटाकर उस मुकाम तक पहुंच जाना था, जहाँ उसे पहुंचना था। ऐसा करते वक्त हिन्दी का संविधान सभा में प्रस्ताव रखने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उस विचार को भी किनारे रख दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था, "हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की भारती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए।" इस दौरान नेताजी सुभाषचंद्र बोस की उस घोषणा की भी परवाह नहीं की गई, जिसके मुताबिक "हिन्दी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।"

बेशक आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की बढ़ती मांग को लेकर मशहूर साहित्यकार, भाषाविद् और प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उस पर भी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अव्वल तो आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बजाय इस बात पर जोर दिया जाय कि हिन्दी ही राजनीति और कारोबार की ताकत बने। वैसे भारत की करीब 72 फीसद ग्रामीण जनता तक फैले बाजार की ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बढ़ रही हैं । उनकी मैगी, उनका कुरकुरा और उनके टूथ पेस्ट जैसे उत्पाद ही अभी गाँवों तक ठीक से पहुँच पाए हैं। उनकी कोशिश अपने इस विशाल बाजार तक पहुंचाने की है। गांवों तक पहुंचने के लिए उनके सामने एकमात्र जरिया स्थानीय भाषाएँ ही होंगी। उनमें निश्चित तौर पर हिन्दी का विन्यास बड़ा होगा और यह हिन्दी के विस्तार का सहज जरिया भी होगा । बेहतर तो यह होगा कि आठवीं अनुसूची में शामिल होने के विवाद को परे रखकर हिन्दी यानी भाषाओं के समुच्चय के ही विस्तार को लेकर रणनीति बनाई जाये । हिन्दी के कल्याण की दिशा में यह बेहतर कदम साबित होगा ।

'दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव'
'कलरव' आयोजन के कुछ चित्र

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034
दूरभाष : 09873556781, 09968097816
E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com